اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (سورة النحل:125)

सुधारात्मक निबंध का एक संकलन

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

Dr. Maulana Mohammad Najeeb Qasmi

www.najeebqasmi.com

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

(سورة النحل 125)

सुधारात्मक निबंध का एक संकलन

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

www.najeebqasmi.com

All rights reserved
सभी अधिकार लेखक के लिये सुरक्षित हैं

सुधारात्मक निबंध का एक संकलन

An Anthology of Reformative Articles

By

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

Dr. Muhammad Najeeb Qasmi

http://www.najeebqasmi.com/
MNajeeb Qasmi - Facebook
Najeeb Qasmi - YouTube
Skype: najeebqasmi
Whatsapp: 00966508237446

First Urdu Edition: October 2011
Second Urdu Edition: October 2013
पहला हिंदी संस्करण: मार्च 2016

Address for Gratis Distribution मुफ़्त मिलने का पताः
Dr. Muhammad Mujeeb, Deepa Sarai, Sambhal, UP (2044302) India
डा. मोहम्मद मुजीब, दीपा सराय, सभंल, यूपी, इण्डिया (244302)

विषय-सूची

क्र.	विषय	पेज नं
1	प्रस्तावना: मोहम्मद नजीब क़ासमी संभली	5
2	मुखबंध: हज़रत मौलाना अबुल क़सिम नोमानी	8
3	मुखबंध: मौलाना मोहम्मद असरारूल हक़ क़ासमी	9
4	मुखबंध: प्रोफेसर अखतरूल वासे साहब	10
5	गुस्ल के अहकाम व मसाइल	11
6	अज़ान, वज़ू और मिसवाक के फज़ाइल का बयान	23
7	मोज़ों और जुराबों पर मसह करने का हुकुम	27
8	कज़ाए हाजत के वक़्त क़िबला की तरफ रुख या पीठ करना मना है	32
9	ज़िलहिज्जा का पहला अशरा और क़ुर्बानी के अहकाम व मसाइल	36
10	अरफा के दिन का रोज़ा	37
11	क़ुर्बानी की अहमियत व फज़ीलत	40
12	क़ुर्बानी वाजिब है	41
13	क़ुर्बानी किस पर वाजिब है	43
14	क़ुर्बानी के जानवर	44
15	क़ुर्बानी के तीन दिन (10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा)	46
16	क़ुर्बानी करने वाला नाखुन और बाल न काटे या कटवाए	48
17	क़ुर्बानी की तारीख	49
18	मुहर्रमुल हराम और आशूरा का रोज़ा	51
19	माहे शाबान और शबे बराअत	58

20	माहे रजब और वाक़या-ए-मेराज	68
21	दाढ़ी की शरई हैसियत	80
22	हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है	94
23	मुरतद की सज़ा कुरान व हदीस की रौशनी में	102
24	क्या ऊंट के दूध और पेशाब से बीमारी का इलाज किया जा सकता है?	117
25	आफताब के डूबने के वक़्त छोटे बच्चों का बाहर जाने से रोकना	128
26	दो इबरतनाक वाक़्या	130
27	झूठ बोलना सख्त गुनाह और इंसान को तबाह करने वाला	130
28	क़र्ज़ की वक़्त पर अदाएगी	133
29	दीनी मालूमात पर मुशतमिल 250 सवाल व जवाब	139
30	गलत मालूमात को इन्टरनेट के ज़रिया रिवाज देना	179
31	रिज़्क़ की कुंजियां	183
32	नज़र यानी मन्नत मानने वाले के मसाइल	187
33	क़सम खाने का बयान (हलफ बिल्लाह)	191
34	कबीरा गुनाहों से इजतेनाब	193
35	इमतेहानात और हम	197
36	गाय का गोश्त	202
37	अंगूठी पहनने का हूकुम	207
38	नये साल की आमद पर जश्न या अपना मुहासबा	211
39	रहन (गिरवी रखने) और बैंक से कर्ज लेने के जरूरी मसाइल	223
40	लेखक का परिचय	232

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن،وَالصَّلاة وَالسَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيم وَعَلىٰ آله وَاَصْحَابه اَجْمَعِيْن.

प्रस्तावना

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ आखरी नबी हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अंतरराष्ट्रीय भी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बिला कुरैश या अरबों के लिए नहीं बल्कि पुरी दुनिया के लिए, इसी तरह सिर्फ उस ज़माना के लिए नहीं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए बल्कि क़ियामत तक आने वाले तमाम इंसान व जिन्नात के लिए नबी व रसूल बना कर भेजे गए। क़ुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा खास कर उलमा-ए-दीन की ज़िम्मेदारी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दीने इस्लाम की हिफाज़त करके क़ुरान व हदीस के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाऐं। चूनांचे उलमा-ए-कराम ने अपने अपने ज़माने में मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से इस ज़िम्मेदारी को अंजाम दिया। उलमा-ए-कराम की क़ुरान व हदीस की खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता है और इंशा अल्लाह उलमा-ए-कराम की इल्मी खिदमात से कल क़ियामत तक इस्तिफादा किया जाता रहेगा। अब नई टेक्नोलॉजी (वेबसाइट, वाटस ऐप, मोबाइल ऐप, फेसबुक और यूट्यब वगैरह) को दीने इस्लाम की खिदमात के लिए उलमा-ए-कराम ने इस्तेमाल करना शुरू तो कर दिया है मगर इसमें मज़ीद काम करने की सख्त ज़रूरत है।

अलहमदु लिल्लाह बाज़ दोस्तों की टेक्निकल समर्थन और बाज़ मुहसिनीन के माली योगदान से हमने भी दीने इस्लाम की खिदमात के लिए नई टेक्नोलॉजी के मैदान में घोड़े दौड़ा दिए हैं ताकि इस

अंतरिक्ष (जगह) को एसी ताक़तें पुर न कर दें जो इस्लाम और मुस्लमानों के लिए नुक़सानदेह साबित हों। चूनांचे 2013 में वेबसाइट (www.najeebqasmi.com) लांच की गई, 2015 में तीन ज़बानों में दुनिया की पहली मोबाइल ऐप (**Deen-e-Islam**) और फिर दोस्तों के तक़ाजा पर हाजियों के लिए तीन ज़बानों में खुसूसी ऐप (**Hajj-e-Mabroor**) लांच की गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत से उलमा ने दोनों ऐपस के लिए प्रशंसापत्र लिख कर अवाम व ख्वास से दोनों ऐपस से इस्तिफादा करने की दरखास्त की। यह प्रशंसापत्र दोनों ऐपस का हिस्सा हैं। ज़माने की रफ्तार से चलते हुए क़ुरान व हदीस की रौशनी में मुख्तसर दीनी पैगाम खुबसूरत इमेज की शकल में मुख्तलिफ सूत्रों से हज़ारों दोस्तों को पहुंच रहे हैं जो अवाम व ख्वास में काफी मक़बूलियत हासिल किए हुए हैं।

इन दोनों ऐपस (**दीने इस्लाम और हज्जे मब्रूर**) को तीन ज़बानों में लांच करने के लिये मेरे तक़रीबन 200 मज़ामीन का अंग्रेज़ी और हिन्दी में तर्जुमा करवाया गया। तर्जुमा के साथ ज़बान के माहिरीन से एडिटिंग भी कराई गई। हिन्दी के तर्जुमा में इस बात का ख्याल रखा गया कि तर्जुमा आसान ज़बान में हो ताकि हर आम व खास के लिए इस्तिफादा करना आसान हो।

अल्लाह के फज़ल व करम और उसकी तौफीक़ से अब तमाम मज़ामीन के अंग्रेज़ी और हिन्दी अनुवाद को विषय के एतेबार से किताबी शकल में तरतीब दे दिया गया है ताकि इस्तिफादा आम किया जा सके, जिसके ज़रिया 14 किताबें अंग्रेज़ी में और 14 किताबें हिन्दी में तय्यार हो गई हैं। उर्दू में प्रकाशित 7 किताबों के अलावा 10 नई किताबें छपने के लिए तय्यार कर दी गई हैं।

इस किताब (सुधारात्मक निबंध का एक संकलन) के उर्दू में दो एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं। इस्लाही मज़ामीन जिल्द नं॰2 में मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतअल्लिक़ मज़ामीन को प्रकाशित किया जा रहा है। मौज़ूआत की अहमियत और ज़रूरत के पेशे नज़र अंग्रेज़ी और हिन्दी में भी यह किताब प्रकाशित की जा रही है।

अल्लाह तआला से दुआ करता हूं कि इन सारी खिदमात को क़ुबूलियत व मक़बूलियत से नवाज़ कर मुझे, ऐपस की तायीद में लेटर लिखने वाले उलमा-ए-कराम, टेक्निकल सपोर्ट करने वाले अहबाब, माली योगदान पेश करने वाले मुहसिनीन, मुतर्जिमीन, एडिटिंग करने वाले हज़रात खास कर जनाब अदनान महमूद उसमानी साहब, डिज़ाइनर और किसी भी क़िसम से तआवुन पेश करने वाले हज़रात को दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी अता फरमाये। आखिर में दारूल उलूम देवबन्द के मुहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नुमानी साहब, मौलाना मोहम्मद असरारूल हक़ क़ासमी साहब (मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट) और प्रोफेसर अखतरूल वासे साहब (लेसानियात के कमिशनर, मंत्रालय अक़लियती बहबूद) का शुक्र गुज़ार हूं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद प्रस्तावना लिखा। डॉक्टर शफाअतुल्लाह खान साहब का भी मशकूर हूं जिनकी मेहनतों से यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हूआ।

मोहम्मद नजीब क़ासमी संभली (रियाज़)

14 मार्च, 2016 ई॰

(Mufti) Abul Qasim Nomani
Mohtamim (VC) Darul Uloom Deoband

(مفتی) ابو القاسم نعمانی
مہتمم دار العلوم دیوبند، الہند

PIN- 247554 (U.P.) INDIA Tel: 01336-222429, Fax: 01336-222768 E-mail: info@darululoom-deoband.com

Ref. No.....

Date:.....

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

جناب مولانا محمد نجیب قاسمی سنبھلی مقیم ریاض (سعودی عرب) نے دینی معلومات اور شرعی احکام کو زیادہ سے زیادہ اہل ایمان تک پہونچانے کے لئے جدید وسائل کا استعمال شروع کرکے، دینی کام کرنے والوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم فرمائی ہے۔

چنانچہ سعودی عرب سے شایع ہونے والے اردو اخبار (اردو نیوز) کے دینی کالم (روشنی) میں مختلف عنوانات پر ان کے مضامین مسلسل شایع ہوتے رہتے ہیں۔ اور موبائل ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعہ بھی وہ اپنا دینی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہونچا رہے ہیں۔ ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ زمانہ کی ضرورت کے تحت مولانا نے اپنے اہم اور منتخب مضامین کے ہندی اور انگریزی میں ترجمے کرادیئے ہیں، جو الیکٹرونک بک کی شکل میں جلد ہی لانچ ہونے والے ہیں۔

اور امید ہے کہ مستقبل میں یہ پرنٹ بک کی شکل میں بھی دستیاب ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ مولانا قاسمی کے علوم میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مزید علمی افادات کی توفیق بخشے۔

ابوالقاسم نعمانی غفرلہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند
۱۴۳۷/۶/۳ھ

مولانا محمد اسرار الحق قاسمی
Mohammad Asrarul Haque
Member of Parliament
(Lok Sabha)
Ref. No. MP/19/KNR/2016

16, South Avenue, New Delhi-110011
Ph.: 011-23785046 Telefax: 011-23795314
E-mail: mahaqqasm@gmail.com

Date 19/03/2016

تاثرات

عصر حاضر میں دینی تعلیمات کو جدید آلات و وسائل کے ذریعہ عوام الناس تک پہنچانا وقت کا اہم تقاضہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بعض دینی، معاشرتی اور اصلاحی فکر رکھنے والے حضرات نے اس سمت میں کام کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے سبب آج انٹرنیٹ پر دین کے تعلق سے کافی مواد موجود ہے۔ اگر چہ اس میدان میں زیادہ تر مغربی ممالک کے مسلمان سرگرم ہیں لیکن اب ان کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے مشرقی ممالک کے علماء و داعیان اسلام بھی اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں جن میں عزیزم ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی صاحب کا نام سرفہرست ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر بہت سا دینی مواد ڈال چکے ہیں، باضابطہ طور پر ایک اسلامی و اصلاحی ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں۔

ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی کا قلم رواں دواں ہے۔ وہ اب تک مختلف اہم موضوعات پر سینکڑوں مضامین اور کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کے مضامین پوری دنیا میں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ وہ جدید ٹکنالوجی سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے اپنے مضامین اور کتابوں کو بہت جلد دنیا بھر میں ایسے ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جن تک رسائی آسان کام نہیں ہے۔ موصوف کی شخصیت علوم دینی کے ساتھ علوم عصری سے بھی آراستہ ہے۔ وہ ایک طرف عالم دین ہیں، تو دوسری طرف ڈاکٹر و محقق بھی اور کئی زبانوں میں مہارت بھی رکھتے ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ فعّال و متحرک نوجوان ہیں۔ جس طرح وہ اردو، ہندی، انگریزی اور عربی میں دینی و اصلاحی مضامین اور کتابیں لکھ کر عوام کے سامنے لا رہے ہیں، وہ اس کے لئے تحسین اور مبارک باد کے مستحق ہیں۔ ان کی شب و روز کی مصروفیات و جدوجہد کو دیکھتے ہوئے ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اسی مستعدی کے ساتھ مذکورہ تمام کاموں کو جاری رکھیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان سے مزید دینی، اصلاحی اور علمی کام لے اور وہ اکابرین کے نقش قدم پر گامزن رہیں۔ آمین!

مخلص

(مولانا) محمد اسرار الحق قاسمی
ایم. پی. لوک سبھا (انڈیا)
وصدر آل انڈیا تعلیمی و ملی فاؤنڈیشن، نئی دہلی
Email:asrarulhaqqasmi@gmail.com

प्रो. अख़्तरूल वासे
आयुक्त
PROF. AKHTARUL WASEY
Commissioner

सत्यमेव जयते

भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
Commissioner for Linguistic Minorities in India
Ministry of Minority Affairs
Government of India

تقریظ

اطلاعاتی انقلاب برپا ہونے کے بعد جس طرح ہر قسم کی معلومات انٹرنیٹ کے ذریعہ آنکھوں کی دو پتلیوں میں سما گئی ہیں۔ اس نے ''گاگر میں ساگر'' اور ''کوزے میں دریا'' کے تخیلاتی تصورات کو نہ صرف حقیقت بنا دیا ہے بلکہ ان پر ہمارا انحصار روز بروز ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ گوگل (Google) ہو یا وکی پیڈیا (Wikipaedia) یا پھر دوسری سوشل سائٹس انہوں نے ترسیل وابلاغ کو وہ ہمہ جہت رخ اور رفتار کی تیزی عطا کی ہے کہ فراق وفصل کے تمام تصورات بے معنیٰ ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن اس اطلاعاتی انقلاب نے ایک پیچیدہ مسئلہ یہ پیدا کر دیا ہے کہ اطلاعات رسانی اور خبروں تک رسائی میں حقائق سے گریز یا ان کو مسخ کرنے کا چلن بھی اس طرح شامل ہو گیا ہے اور اس سچائی کو اسلام اور مسلمانوں سے بہتر کون جانتا ہے۔ دوسرا سنگین مسئلہ یہ ہے کہ باخبر ہونے اور معلومات حاصل کرنے کے لئے اب مطالعہ کی عادت لوگوں میں خاصی کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ موبائیل کے روپ میں دنیا ان کی مٹھی میں سمائی رہتی ہے اور وہ سب کچھ اسی کے ذریعہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس چیلینج اور مسئلے کے حل کے لئے ضروری ہے کہ ہم غلط بیانیوں اور حقائق کو دنیا پر آشکار کرنے کے لئے اور اپنے ہم مذہبوں خاص طور پر نئی نسل کو صحیح معلومات فراہم کرنے، انہیں رہنمائی دینے اور ان کے شعور میں بالیدگی اور پختگی لانے کے لئے اس اطلاعاتی انقلاب کے جتنے بھی وسائل وذرائع ہیں ان کا بھرپور استعمال کریں۔

مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ایک موقر اور معتبر عالم حضرت دین مولانا محمد نجیب قاسمی نے جو از ہر ہند دارالعلوم دیوبند کے قابل فخر ابنائے قدیم میں سے ہیں اور عرصہ سے مملکت سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں برسر کار ہیں، انہوں نے اس ضرورت کو بخوبی سمجھا اور دنیا کی پہلی اسلامی موبائیل ایپ ''دین اسلام'' اور ''حج مبرور'' اردو، انگریزی اور ہندی میں تیار کیا تھا اور اب وقت گزرنے کے ساتھ نئے سوالات کی روشنی اور علمی ضرورتوں کے تحت نئے مضامین اور نئے بیانات شامل کر کے ایک دفعہ پھر نئے انداز کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مزید برآں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر دین کے حوالہ سے دو سو مضامین کے الیکٹرونک ایڈیشن کو بھی منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ مجھے وقتاً فوقتاً محترم مولانا محمد نجیب قاسمی صاحب کے مقالے، الیکٹرانک مضامین اور علمی فتوحات سے استفادہ کرنے کا موقعہ ملتا رہا ہے۔ مجھے ان کے متوازن، اعتدال پسند اور عالمانہ اندازِ تحریر نے ہمیشہ متاثر کیا۔ میں مولانا نجیب قاسمی کی خدمت میں ہدیۂ تبریک وتشکر پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کی عمر میں درازی، علم میں اضافہ اور قلم میں مزید پختگی عطا فرمائے۔ کیونکہ:

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

(پروفیسر اختر الواسع)
سابق ڈائریکٹر: ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز
سابق صدر: شعبہ اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
سابق وائس چیرمین: اردو اکادمی، دہلی

14/11, जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
14/11, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi-110011
Tel: (O) 011-23072651-52 Email: wasey27@gmail.com Website: www.nclm.nic.in

गुस्ल के अहकाम व मसाइल

गुस्ल के फराएज़

1) इस तरह कुल्ली करना कि सारे मुंह में पानी पहुंच जाए।

2) नाक की नर्म हडडी तक पानी पहुंचाना।

3) बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी जगह बाक़ी न रहे।

कुल्ली करने और नाक में पानी डालने के मुतअल्लिक़ बाज़ उलमा की राय है कि यह वज़ू की तरह गुस्ल में भी सुन्नत है, मगर फुक़हा व उलमा की बड़ी जमाअत (इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हमबल) की राय है कि कुल्ली करना और नाक में पानी डालना गुस्ल में ज़रूरी है और उसके बेगैर गुस्ल ही नहीं होगा। हिन्द व पाक के जमहूर उलमा की भी यही राय है। सउदी अरब के मशहूर व मारूफ आलिमे दीन शैख मोहम्मद बिन सालेह ने भी यही कहा है। जिन उलमा ने इन दोनों आमाल को सुन्नत क़रार दिया है उनके कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अगर कोई शख्स वाजिब गुस्ल में यह दोनों आमाल छोड़ कर गुस्ल करके नमाज़ अदा करले तो नमाजों का लौटाना ज़रूरी नहीं है, जबकि उलमा-ए-अहनाफ की राय में नमाजों का लौटाना ज़रूरी होगा।

(नोट) अगर किसी शख्स को गुस्ल से फरागत के बाद याद आया कि कुल्ली करना या नाक में पानी डालना भूल गया है तो गुस्ल के बाद भी जो अमल रह गया है उसको पूरा करले, दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। कुल्ली और नाक में पानी डाले बेगैर क़ुरान व हदीस की रौशनी में जमहूर उलमा की राय है कि गुस्ल सही नहीं होगा।

अगर गुस्लखाना में गुस्ल कर रहे हैं जहां कोई देख न सके तो नंगे हो कर गुस्ल करना जाएज़ है चाहे खड़े हो कर गुस्ल करे या बैठ कर, लेकिन बैठ कर गुस्ल करना बेहतर है, क्यूंकि इसमें परदा ज़्यादा है।

अगर नाखुन पालिश लगी हुई है तो वज़ू और गुस्ल में उसको हटा कर गुस्ल करना वाजिब है, अगर उसको हटाए बेगैर कोई औरत वज़ू या गुस्ल करेगी तो उसका वज़ू या गुस्ल सही नहीं होगा, लेकिन अगर बालों या जिस्म पर मेंहदी लगी हुई है तो उसके साथ वज़ू और गुस्ल सही है, क्यूंकि मेंहदी जिस्म में दाखिल हो जाती है जबकि नाखुन पालिश नाखुन के ऊपर रहती है और उसको हटाया भी जा सकता है और यह पानी को अंदर तक पहुंचने से रोकती है।

गुस्ल में पानी का फज़ूल इस्तेमाल न करें, ज़रूरत के मुताबिक़ ही पानी का इस्तेमाल करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी की बहुत कम मिक़दार से गुस्ल कर लिया करते थे।

गुस्ल का मसनून तरीक़ा

गुस्ल करने वाले को चाहिए कि वह पहले दोनों हाथ धोए, फिर बदन पर जो नापाकी लगी हुई है उसको साफ करे और पेशाब भी करले। फिर मसनून तरीक़े पर वज़ू करे। वज़ू से फरागत के बाद पहले सर पर पानी डाले, फिर दाएं कंधे पर और फिर बाएं कंधे पर पानी बहाए और बदन को हाथ से मले। यह अमल तीन बार कर ले, ताकि यक़ीन हो जाए कि पानी बदन के हर हर हिस्सा पर पहुंच गया है। अगर आप शावर से नहा रहे हैं तब भी इसका एहतेमाम कर लें तो बेहतर है वरना कोई हर्ज नहीं। अगर नहाने का पानी गुस्ल की जगह

पर जमा हो रहा है तो वज़ू के साथ पैरों को न धोएं बल्कि गुस्ल से फरागत के बाद उस जगह से हट कर दूसरी जगह पैर धोएं।

गुस्ल कब वाजिब होता है?

1) मनी का निकलना, यानी मनी का शहवत के साथ जिस्म से बाहर निकलना खाह सोते में हो या जागते में।

2) जिमा, यानी मर्द और औरत ने सोहबत की जिससे मर्द की शरमगाह का ऊपरी हिस्सा औरत की शरमगाह में चला गया खाह मनी निकले या न निकले।

(**नोट**) बीवी के साथ बोस व किनार करने में सिर्फ चंद क़तरे रतूबत के (मज़ी) निकल जाएं तो उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता।

3) औरत का हैज या निफास से पाक होना।

सिर्फ जिमा से गुस्ल वाजिब हो जाता है खाह मनी निकले या न निकले

इन दिनों बाज़ हज़रात ने गुस्ल के वाजिब होने के दूसरे सबब के सिलसिले में जमहूर उलमा के फैसले के खिलाफ आम लोगों के सामने कुछ शक व शुबहात पैदा कर दिए हैं, इन हज़रात का मौक़िफ है कि सिर्फ सोहबत करने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, बल्कि गुस्ल के वाजिब होने के लिए मनी का निकलना भी ज़रूरी है। मसअला की अहमियत और नज़ाकत के पेशे नज़र इस मौज़ू पर मैं दलाइल के साथ क़दरे तफसीली रौशनी डालना समझता हूं।

खैरुल क़ुरून से आज तक मुहद्दिसीन व फुक़हा व उलमा की राय है कि अगर मर्द व औरत ने इस तरह सोहबत की कि मर्द की शरमगाह का ऊपरी हिस्सा औरत की शरमगाह में चला गया तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा, खाह मनी निकले या न निकले। 80 हिजरी में पैदा हुए मशहूर फक़ीह व मुहद्दिस हज़रत इमाम अबू हनीफा, उलमा-ए-अहनाफ और हिन्द व पाक के जमहूर उलमा का भी यही मौक़िफ है। सउदी अरब के बेशतर उलमा की भी यही राय है। इब्तिदाए इस्लाम में इस मसअला में कुछ इख्तिलाफ रहा है, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे खिलाफत में अज़वाजे मुतहहरात से रुजू करने के बाद सहाबा-ए-किराम का इस पर इजमा हो गया कि महज़ जिमा से गुस्ल वाजिब हो जाता है खाह मनी निकले या न निकले जैसा कि अक़ाएद की सबसे मशहूर किताब लिखने वाले 239 हिजरी में मिश्र में पैदा हुए हनफी आलिम इमाम तहावी ने दलाइल के साथ लिखा है।

जमहूर उलमा के दलाइल

जमहूर उलमा के बहुत से दलाइल हैं, इख्तिसार के मद्देनज़र सिर्फ तीन अहादीस ज़िक्र कर रहा हूं।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मर्द औरत के चहार ज़ानू में बैठ गया और उसके साथ कोशिश की तो गुस्ल वाजिब हो गया। (सही बुखारी), सही मुस्लिम बाबु बयानिल गुस्ल की इस हदीस में यह अल्फाज़ भी वज़ाहत के साथ मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया “खाह मनी न निकले” यानी सिर्फ जिमा करने से गुस्ल वाजिब है

खाह मनी निकले या न निकले। इमाम बुखारी ने (सही बुखारी) में इस हदीस को ज़िक्र करने के बाद लिखा है कि मज़कूरा बाला हदीस इस बाब की तमाम अहादीस में उमदा और बेहतरीन है और हमने दूसरी अहादीस फुक़हा के इख्तिलाफ के पेशे नज़र ज़िक्र की हैं और एहतियात इसी में है कि जिमा की सूरत में मनी के न निकलने पर भी गुस्ल किया जाए। गरज़ ये कि इमाम बुखारी ने भी इसी राय को तरजीह दी है कि सोहबत में मनी न निकलने पर भी गुस्ल किया जाए। सही मुस्लिम में वारिद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल "खाह मनी न निकले" से मसअला बिल्कुल ही वाज़ेह हो जाता है कि जिमा में मनी न निकलने पर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है।

(नोट) दोनों की शरमगाह के सिर्फ मिलने पर गुस्ल वाजिब न होगा बल्कि मर्द की शरमगाह के ऊपरी हिस्सा का औरत की शरमगाह में दाखिल होना ज़रूरी है जैसा कि मुहद्दिसीन व फुक़हा व उलमा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे अक़वाल की रौशनी में इस हदीस के ज़िम्न में लिखा है।

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अगर दो शरमगाहें आपस में मिल जाएं तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। (तिर्मिज़ी) यह हदीस तिर्मिज़ी के अलावा बहुत सी अहादीस की किताबों में मौजूद है। इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को ज़िक्र करने के बाद लिखा है कि सहाबा-ए-किराम (जिन में हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उसमान, हज़रत अली और हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हुम शामिल

हैं) का यही क़ौल है। फुक़हा व ताबेईन और उनके बाद के उलमा हज़रत सुफयान, हज़रत अहमद और हज़रत इसहाक रहमतुल्लाह अलैहिम का क़ौल है कि जब दो शरमगाहें आपस में मिल जाएं तो गुस्ल वाजिब हो जाता है।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दो शरमगाहें आपस में मिल जाएं और हशफा (मर्द की शरमगाह का ऊपरी हिस्सा) छुप जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। (मुसनद अहमद, इब्ने माजा) 260 हिजरी में पैदा हुए इमाम तबरानी ने हदीस की किताब "अल मोजमुल औसत" में हदीस के अल्फाज़ इस तरह ज़िक्र फरमाए हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब दो शरमगाहें आपस में मिल जाएं और हशफा छुप जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, खाह मनी निकले या न निकले।

जिन हज़रात ने गुस्ल के वाजिब होने के लिए मनी के निकलने को ज़रूरी क़रार दिया है वह आम तौर पर सही मुस्लिम में वारिद इस हदीस को दलील के तौर पर पेश फरमाते हैं "पानी, पानी से वाजिब होता है" जिसका यह मफहूम लेते हैं कि गुस्ल मनी के निकलने की वजह से वाजिब होता है। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस के अलावा भी अहादीस ज़िक्र फरमाई हैं जिनसे मालूम होता है कि गुस्ल के लिए मनी का निकलना ज़रूरी है, मगर इमाम मुस्लिम ने इन तमाम अहादीस को ज़िक्र करने के लिए जो इस बाब का नाम रखा है वह यह है "इब्तिदाए इस्लाम में मनी के निकले बेगैर महज़ जिमा से

गुस्ल वाजिब न था मगर वह हुकुम मंसूख हो गया और अब सिर्फ जिमा से गुस्ल वाजिब है" इमाम मुस्लिम के इस बाब के यह नाम रखने से मसअला खुद ही रोज़े रौशन की तरह वाज़ेह हो गया कि इब्तिदाए इस्लाम में गुस्ल वाजिब न था, बाद में वह हुकुम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंसूख करके इरशाद फरमा दिया कि मनी निकले या न निकले, सिर्फ जिमा से ही गुस्ल वाजिब हो जाएगा। इमाम मुस्लिम ने इस मौक़ा पर यह भी लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस दूसरी हदीस को मंसूख कर देती है जिस तरह क़ुरान की एक आयत दूसरी आयत से मंसूख हो जाती है। सही मुस्लिम की सबसे ज़्यादा मशहूर शरह लिखने वाले इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इमाम मुस्लिम का इस बात को ज़िक्र करने का असल मक़सद यह है कि पहली अहादीस मंसूख हैं क्यूंकि बाद की अहादीस में सराहत मौजूद है खाह मनी निकले या न निकले, महज़ हशफा अंदर जाने से मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है और इसी पर इजमा-ए-उम्मत है। नीज़ हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने यही फरमाया कि मर्द व औरत की शरमगाह के मिलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है, मैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही किया करते थे।

इमाम तिर्मिज़ी ने भी इसको तसलीम किया है कि इब्तिदाए इस्लाम में मनी के निकले बेगैर महज़ जिमा से गुस्ल वाजिब न था, मगर वह हुकुम मंसूख हो गया और अब सिर्फ जिमा से गुस्ल वाजिब हो जाता है चुनांचे इमाम तिर्मिज़ी मशहूर व मारूफ सहाबी और कातिबे

वही हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान अपनी किताब (तिर्मिज़ी) में ज़िक्र फरमाते हैं "इब्तिदाए इस्लाम में गुस्ल उसी वक़्त फर्ज़ होता था जब मनी निकले, यह रुख्सत के तौर पर था, फिर इससे मना कर दिया गया यानी यह हुकुम मंसूख हो गया।" इमाम तिर्मिज़ी लिखते हैं कि यह हदीस हसन सही है और गुस्ल के वाजिब होने के लिए इब्तिदाए इस्लाम में मनी का निकलना ज़रूरी था, मगर बाद में मंसूख हो गया। इसी तरह कई सहाबा ने रिवायत किया है। अक्सर अहले इल्म का इस पर अमल है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से जिमा करे तो मियां बीवी दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा अगरचे मनी न निकले। (तिर्मिज़ी)

खुलासा बहस

खुलफाए राशदीन, कातिबे वही हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत आइशा और दूसरे सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, मुहद्दिसीन, फुक़हा व उलमा के अक़वाल की रौशनी में ज़िक्र किया गया कि इब्तिदाए इस्लाम में मनी के निकले बेगैर महज़ जिमा से गुस्ल वाजिब न था मगर वह हुकुम मंसूख हो गया और बाद में सिर्फ जिमा से भी गुस्ल वाजिब हुआ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे खिलाफत में जब यह मसअला उठा तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जलीलुल क़दर सहाबा को मशवरा के लिए तलब किया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि अज़वाजे मुतहहरात से इस मसअला में रुजू किया जाए, चुनांचे हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रुजू किया गया तो उन्हों ने फरमाया कि जब खितान खितान से तजावुज़ कर जाए तो

गुस्ल वाजिब हो जाता है, यानी हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसकी तसदीक़ की कि गुस्ल के लिए सिर्फ मर्द की शरमगाह का औरत की शरमगाह में दाखिल होना काफी है, मनी निकलना ज़रूरी नहीं है। चुनांचे इसी के मुताबिक़ फैसला कर दिया गया और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर इस के खिलाफ मैंने किसी से कुछ सुना तो उसे लोगों के लिए इबरत बना दूंगा। इमाम तहावी ने इस पर तफसीली बहस की है। सउदी अरब के मशहूर व मारूफ आलिमे दीन शैख मोहम्मद बिन सालेह ने लिखा है कि सिर्फ जिमा से गुस्ल वाजिब हो जाता है, मगर बहुत सारे लोगों पर हफ्ते और महीने गुज़र जाते हैं और वह अपनी बीवी से बेगैर इंज़ाल के सोहबत करते रहते हैं और गुस्ल नहीं करते, यह इंतिहाई खतरनाक बात है। इंसान के लिए ज़रूरी है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तआला के नाज़िल करदा अहकाम की हुदूद से वाक़िफ हो। इंसान ने अगर सोहबत की तो गुस्ल वाजिब हो गया खाह मनी निकले या न निकले। (मजमूआ फतावा व रसाइल अश शैख उसैमीन बाबुल गुस्ल जिल्द 11 पेज 217)

(इन्नमल माओ मिनलमा) का हुकुम मंसूख है

जहां तक हदीस “पानी, पानी से है” का तअल्लुक़ है तो यह मंसूख है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोहबत याफ्ता व कातिबे वही हज़रत अबोय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमा (इब्तिदाए इस्लाम में गुस्ल उसी वक़्त फर्ज़ होता था जब मनी निकले, यह रुख्सत के तौर पर था, फिर इससे मना किया दिया

गया, यानी यह हुकुम मंसूख हो गया)। हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु का यह क़ौल इमाम तिर्मिज़ी ने ज़िक्र फरमा कर लिखा है कि यह हदीस हसन सही है। यह मसअला ऐसा ही है कि इब्तिदाए इस्लाम में आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू टूट जाता था मगर माद में यह हुकुम मंसूख हो गया, पहले हुकुम से मुतअल्लिक़ आहदीस भी हदीस की किताबों में मौजूद हैं मगर उनपर अमल नहीं है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन मसलन इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहिम ने इसका एतेराफ किया है कि यह हुकुम मंसूख हो गया है या यह कहा जाए कि इस हदीस का तअल्लुक़ एहतिलाम से है, यानी अगर किसी शख्स को एहतिलाम हो जाए तो गुस्ल वाजिब है। इस सूरत में इस हदीस का मतलब होगा कि पानी (गुस्ल) पानी (एहतिलाम) की वजह से वाजिब है, या यह कहा जा सकता है कि यह हदीस जिमा के लिए मंसूख हो चुकी है लेकिन एहतिलाम के लिए अब भी वाजिबुल अमल है और ऐसा बकसरत होता है कि एक हदीस के बाज़ जुज़इयात मंसूख और बाज़ वाजिबुल अमल हों। क़ुरान करीम की बाज़ आयात का हुकुम भी मंसूख है लेकिन इसकी तिलावत क़यामत तक बाक़ी रहेगी।

मुझे इस मसअला में बहुत तअज्जुब होता है कि हमारे बाज़ भाई जो हदीस का इल्म बुलंद करके इस पर अमल करने की दावत तो देते हैं लेकिन इस मसअला में बावजूद कि अहादीस में ही वज़ाहत मौजूद है कि यह इब्तिदाए इस्लाम में था बाद में मंसूख हो गया लेकिन 1400 साल के बाद भी अपनी गलती पर मुसिर हैं हालांकि दलाइले

शरइया की मौजूदगी के बावजूद इहतियात का तकाज़ा भी यह है कि गुस्ल को वाजिब क़रार दिया जाए, ताकि इंसान नापाकी की हालत में सारी दुनिया का चक्कर न लगाता फिरे और इसी हाल में नमाज़ न पढ़ता रहे। इमाम मुस्लिम ने इस बहस पर जो बाब बांधा है वह इस तरह है "इब्तिदाए इस्लाम में मनी के निकले बेगैर महज़ जिमा से गुस्ल वाजिब न था मगर वह हुकुम मंसूख हो गया और अब सिर्फ जिमा से गुस्ल वाजिब है" इमाम मुस्लिम ने मसअला रोज़े रौशन की तरह वाज़ेह कर दिया कि इब्तिदाए इस्लाम में गुस्ल वाजिब न था, बाद में वह हुकुम "पानी, पानी से" हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंसूख करके इरशाद फरमाया मनी निकले या न निकले सिर्फ जिमा से गुस्ल वाजिब हो जाएगा। गरज़ ये कि मुहद्दिसीने किराम खास कर इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम तिर्मिज़ी अलैहिर रहमा की वजाहतों से यह मसअला बिल्कुल वाज़ेह हो गया। इमाम नववी जैसे मुहद्दिस ने भी यही लिखा है कि जमहूर सहाबा और उनके बाद के उलमा ने भी यही कहा है कि यह हुकुम मंसूख है।

सउदी अरब के मशहूर आलिम शैख मोहम्मद बिन सालेह से जब मज़कूरा मसअला पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उलमा का इजमा है कि जिमा से गुस्ल वाजिब हो जाता है खाह इंज़ाल हो या न हो और उन्होंने दलील के तौर पर सही बुखारी व सही मुस्लिम में वारिद उस हदीस का ज़िक्र किया जो मैंने जमहूर उलमा के दलाइल के ज़िम्न में सबसे पहले ज़िक्र की है और फरमाया कि (रियाजुस सलेहीन के मुसन्निफ और मशहूर मुहद्दिस) इमाम नववी ने लिखा है

कि इस हदीस के मानी यह हैं कि मर्द की शरमगाह के ऊपरी हिस्सा के औरत की शरमगाह में जाते ही गुस्ल वाजिब हो जाएगा खाह मनी निकले या न निकले। बाज़ सहाबा का इसमें इख्तिलाफ था, मगर बाद में इजमा हो गया जैसा कि ज़िक्र किया गया। और शैख मोहम्मद बिन सालेह ने फरमाया कि यह हदीस मनी न निकलने पर भी जिमा से गुस्ल के वाजिब होने में सरीह है और जो हज़रात जिमा में इंज़ाल न होने पर गुस्ल नहीं करते वह गलती पर हैं। नीज़ सउदी अरब की लजना दाइमा के फतावा (5/314) में लिखा है कि औरत की शरमगाह में मर्द की शरमगाह के ऊपरी हिस्सा के दाखिल होने पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा खाह इंज़ाल हो या न हो।

अल्लाह तआला हम सबको कुरान व हदीस सही समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाए, आमीन।

अज़ान, वज़ू और मिसवाक के फ़ज़ाइल का मुख्तसर बयान

अज़ान

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन अज़ान देने वाले सबसे ज़्यादा लम्बी गर्दन वाले होंगे, यानी सबसे मुमताज़ नज़र आएंगे। (मुस्लिम, बाबु फज़लिल अज़ान)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अज़ान देने वाले की आवाज़ जहां तक पहुंचती है वहां तक उसकी मगफिरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। (मुसनद अहमद)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अज़ान देने वाले की की आवाज़ जो दरख्त, मिट्टी के ढेले, पत्थर, जिन और इंस सुनते हैं वह सब क़यामत के दिन अज़ान देने वाले की के लिए गवाही देंगे। (इब्ने खुज़ैमा)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने बारह साल अज़ान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, इंशा अल्लाह। (हाकिम)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अज़ान देने वालों को क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा और

न ही उनको हिसाब देना होगा, बल्कि वह मुशक के टीले पर तफरीह करेंगे।(तिर्मिज़ी, तबरानी, मजमउज़्ज़वाएद)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अज़ान सुनने के बाद अज़ान के बाद की दुआ पढ़े तो उसके लिए क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत वाजिब होगी। (बुखारी)

वज़ू

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने अच्छी तरह वज़ू किया यानी सुन्नतों और आदाब व मुस्तहबात का एहतेमाम किया तो उसके (छोटे) गुनाह जिस्म से निकल जाते हैं, यहां तक कि उसके नाखुनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। (मुस्लिम)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मोमिन बन्दा वज़ू करता है और उस दौरान कुल्ली करता है तो उसके मुंह के तमाम (छोटे) गुनाह धुल जाते हैं, जब वह नाक साफ करता है तो नाक के तमाम (छोटे) गुनाह धुल जाते हैं, जब चेहरा धोता है तो चेहरे के तमाम (छोटे) गुनाह धुल जाते हैं यहां तक कि पल्कों की जड़ों से भी निकल जाते हैं। (नसई)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हाल में बुलाई जाएगी कि उनके हाथ

पांव और चेहरे वज़ू में धुलने की वजह से रौशन और चमकदार होंगे। (बुखारी)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन का ज़ेवर क़यामत कि दिन वहां तक पहुंचेगा जहां तक वज़ू का पानी पहुंचता है यानी आज़ा के जिन हिस्सों तक वज़ू का पानी पहुंचेगा वहां तक ज़ेवर पहनाया जाएगा। (मुस्लिम)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मुस्तहब्बात और आदाब का एहतेमाम करते हुए अच्छी तरह वज़ू करे फिर यह दुआ पढ़े "अश हदु अन ला इलाहा आखिर तक" तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजें खुल जाते हैं जिससे चाहे दाखिल हो जाए। (मुस्लिम)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स वज़ू होने के बावजूद दोबारह वज़ू करता है तो उसे दस नेकियां मिलती हैं। (अबू दाउद)

(**वज़ाहत**) इसकी शकल यह है कि वज़ू करके मगरिब की नमाज़ मगरिब के वक़्त में अदा करली, अब इशा की नमाज़ इशा के वक़्त में अदा करनी है तो बेहतर है कि दूसरा वज़ू कर लें खाह पहला वज़ू भी बाक़ी हो।

मिसवाक

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मिसवाक करना तमाम अम्बिया की सुन्नत है। (तिर्मिज़ी)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मिसवाक मुंह को साफ करने वाली और अल्लाह तआला की खुशनूदी का ज़रिया है। (नसई)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मिसवाक करके दो रिकात नमाज़ पढ़ना बेगैर मिसवाक के सत्तर रिकात पढ़ने से अफज़ल है। (रवाहुल बज़्ज़ार, मजमउज़्ज़वाएद)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दिन या रात में जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो कर उठते वज़ू से पहले मिसवाक ज़रूर करते। (अबू दाउद)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते तो मिसवाक से अपने मुंह को अच्छी तरह साफ करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाने के बाद सबसे पहले मिसवाक किया करते थे। (मुस्लिम)

या अल्लाह! हम सबको क़ुरान व हदीस के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने वाला बना। या अल्लाह! हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, आमीन।

मोज़ों और जुराबों पर मसह करने का हुकुम

अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम (सूरह माइदा 6) में इरशाद फरमाया **"ऐ ईमान वालों! जब तुम नमाज़ के लिए उठो तो अपने चेहरे को और कोहनियों तक अपने हाथों को धो लो, अपने सर का मसह कर लो और अपने पांव (भी) टखनों तक धोलो।"**

इस आयत में अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू कर लिया करो जिसमें चार चीजें ज़रूरी हैं जिनके बेगैर वजू हो ही नहीं सकता।

1) पूरे चेहरा का धोना।

2) दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना।

3) सर का मसह करना।

4) दोनों पैर टखनों समेत धोना।

अहले सुन्नत वलजमाअत के तमाम मुफस्सेरीन व मुहद्दिसीन व फुक़हा व उलमा-ए-किराम ने इस आयत और दूसरी मुतवातिर अहादीस की रौशनी में लिखा है कि वज़ू में पैरों का धोना ही शर्त है, सर के मसह की तरह पैरों का मसह करना काफी नहीं है। लेकिन मुतावितर अहादीस से साबित है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मरतबा पैर धोने के बजाए चमड़े के मोज़ों पर मसह भी किया है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़ुरान करीम में वज़ाहत के साथ पैरों के धोने का ज़िक्र आया है, में उस वक़्त तक मोज़ों (चमड़े के) पर मसह का क़ायल नहीं हुआ जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुतवातिर अहादीस से मेरे पास नहीं पहुंच गया।

गरज़ ये कि क़ुरान करीम में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि वज़ू के सही होने के लिए दोनों पैरों का धोना शर्त है, लेकिन अगर कोई शख्स वज़ू करने के बाद (चमड़े के) मोज़े पहन ले तो मुक़ीम एक दिन और एक रात तक और मुसाफिर तीन दिन और तीन रात तक वज़ू में पैरों को धोने के बजाए (चमड़े के) मोज़ों के ऊपरी हिस्सा पर मसह कर सकता है, जैसा कि मुतवातिर अहादीस से साबित है। अगर कोई शख्स चमड़े के बजाए सूत या ऊन या नाइलोन के मोज़े पहने हुए है तो जमहूर फुक़हा व उलमा की राय है कि उन पर मसह करना जाएज़ नहीं बल्कि पैरों का धोना ही ज़रूरी है। इस मसअला को समझने से पहले मोज़ों के अक़साम को समझें।

अगर मोज़े सिर्फ चमड़े के हों तो उन्हें खुफ्फैन कहा जाता है।

अगर कपड़े के मोज़े के दोनों तरफ यानी नीचे चमड़ा भी लगा हुआ है तो उसे मुजल्लदैन कहते हैं।

अगर मोज़े के सिर्फ निचले हिस्से में चमड़ा लगा हुआ है तो उसे मुनालैन कहते हैं।

जौरब सूत या ऊन या नाइलोन के मोज़ों का कहा जाता है, इनको जुराब भी कहते हैं।

मोज़े की इब्तिदाई तीनों क़िस्मों पर मसह करना जाएज़ है, लेकिन जमहूर फुक़हा व उलमा ने अहादीसे नबविया की रौशनी में लिखा है कि जुराब यानी सूत या ऊन या नाइलोन के मोज़ों पर मसह करना उसी वक़्त जाएज़ होगा जब इनमें मोटा होने की शर्त पाई जाती हो, यानी वह ऐसे सख्त और मोटे कपड़ों के बने हों कि अगर उन पर पानी डाला जाए तो पांव तक न पहुंचे। मालूम हुआ कि सूत या ऊन

या नाइलोन के मोज़ों (जैसा कि हिन्द व पाक के उलमा हत्ता कि अहले हदीस उलमा ने भी यही लिखा है कि आम नाइलोन के मोज़ों पर जैसा कि आम तौर पर मौजूदा ज़माने में मोज़े इस्तेमाल किए जाते हैं मसह करना जाएज़ नहीं है। मगर कुछ लोगों को देख कर हमने भी आम मोज़ों पर मसह करना शुरू कर दिया है खाह मोज़ों पर मसह करने के मसाइल से वाक़िफ हैं या नहीं।

हिन्द व पाक के उलमा ने (जो मुख्तलिफ फी मसाइल में 80 हिजरी में पैदा हुए मशहूर ताबई व फक़ीह हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय को इख्तियार करते हैं) वज़ाहत के साथ लिखा है कि अल्लाह तआला ने सराहत के साथ क़ुरान करीम में फरमाया कि वज़ू में पैरों का धोना ज़रूरी है। जहां तक मोज़ों पर मसह करने का तअल्लुक़ है तो सिर्फ उन्हीं मोज़ों पर मसह करने की गुंजाइश होगी जिन पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसह किया हो या मसह करने की तालीम दी हो और वह अहादीसे सहीहा से साबित हों। किसी शक व शुबहा वाले क़ौल या खबरे अहाद को क़ुरान करीम के वाज़ेह हुकुम के मुक़ाबले में क़बूल नहीं किया जाएगा। जुराब (सूत या ऊन या नाइलोन के मोज़ों) पर मसह करने की कोई दलील हदीस की किताबों में मौजूद नहीं है।

मशहूर अहले हदीस आलिमे दीन मौलाना मोहम्मद अब्दुर रहमान मुबारकपूरी ने तिर्मिज़ी की मशहूर शरह (तोहफतुल अहवज़ी शरह जामिउत तिर्मिज़ी) में “बाबु माजाअ फिल मसहि अलल जौरबैन वान्नालैन” के तहत इस मौज़ू पर जो तफसीली बहस फरमाई है उसका खुलासए कलाम यह है कि जुराबों (जैसा कि आज कल मोज़े

इस्तेमाल होते हैं) पर मसह की कोई दलील नहीं है, न तो क़ुरान करीम से न सुन्नत से न इजमा से और न क़यास से। (चमड़े के) मोज़ों पर मसह की बाबत बहुत सी अहादीस मंकूल हैं जिनके सही होने पर उलमा का इजमा है। मुतवातिर अहादीस की वजह से ज़ाहिरे क़ुरान को छोड़कर उन पर भी अमल किया गया। जबकि जुराबों (जैसा कि आज कल मोज़े इस्तेमाल होते हैं) पर मसह की बाबत जो रिवायात मंकूल हैं उन पर बहुत ज़्यादा तंकीद हुई हैं, पस इस क़िस्म की ज़ईफ रिवायात की वजह से ज़ाहिरे क़ुरान को क्यूंकर छोड़ा जा सकता है। सहाबा-ए-किराम के मोज़ों की तरह की जुराबों पर आज कल की बारीक जुराबों को क़यास करना क़तअन दुरुस्त नहीं। हां अगर आज भी मोज़ों की तरह जुराबों को कोई इस्तेमाल करता है तो उन पर मसह करने में कोई हर्ज नहीं। (तोहफतुल अहवज़ी)
मशहूर अहले हदीस आलिम शैख नज़ीर हुसैन देहलवी से पूछा गया कि ऊनी और सूती जुराबों पर मसह जाएज़ है या नहीं है? वह जवाब में लिखते हैं कि मज़कूरा जुराबों पर मसह जाएज़ नहीं है, क्यूंकि इसकी कोई सही दलील क़ुरान व सुन्नत में नहीं मिलती और जाएज़ कहने वालों ने ने जिन चीजों से इस्तिदलाल किया है इसमें शुबहा है फिर शुबहों का ज़िक्र फरमा कर लिखा है कि जुराबों पर मसह जाएज़ होने की कोई दलील नहीं है। (फतावा नज़ीरिया)

नमाज़ ईमान के बाद इस्लाम का सबसे अहम व बुनियादी रुक्न है, क़ुरान करीम की सैकड़ों आयात में नमाज़ पढ़ने की ताकीद आई है और पूरी उम्मते मुस्लिमा का इजमा है कि वज़ू के बेगैर नमाज़ नहीं होती। क़ुरान करीम में सराहत के साथ वज़ू में पैर के धोने का ज़िक्र

आया है, लिहाज़ा सिर्फ उन ही शराएत के साथ और उन ही मोज़ों पर मसह करना जाएज़ होगा जिसका सुबूत अहादीसे सहीहा से मिलता है। जुराब यानी आज कल के आम मोज़ों पर मसह करने का कोई सुबूत अहादीसे सहीहा में नहीं मिलता, लिहाज़ा आज कल के आम मोज़ों पर मसह न करें, हां अगर मसह करने का इरादा है तो चमड़े के मोज़ों का इस्तेमाल करें, वरना पैरों को धोएं ताकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक यानी नमाजें सही तरीक़ा पर अदा हों।

कज़ाए हाजत के वक़्त क़िबला की तरफ रुख या पीठ करना मना है

हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम बैतुलखला जाओ तो पेशाब पाखाना करते वक़्त क़िबला की तरफ न रुख करो और न पीठ करो, अलबत्ता मशरिक़ या मगरिब की तरफ रुख करलो। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग मुल्के शाम आए तो हमने बैतुलखला क़िबला की तरफ रुख बने हुए पाए, हम तो अपना रुख तबदील कर लेते थे और अल्लाह तआला से इस्तिगफार कर लेते थे। (साही बुखारी व सही मुस्लिम) यह हदीस बुखारी व मुस्लिम के अलावा तिर्मिज़ी, नसई, इब्ने माजा, अबू दाऊद, मोअत्ता मालिक, मुसनद अहमद, सही इब्ने खुज़ैमा, सही इब्ने हिब्बान और सुनन दारमी वगैरह हदीस की किताबों में भी मौजूद है। गरज़ ये कि हदीस की कोई मशहूर व मारूफ किताब ऐसी मौजूद नहीं जिसमें यह हदीस मज़कूर न हो। यह हदीस बइत्तिफाक़ मुहद्दिसीन इस बाब की सबसे मज़बूत और मुस्तनद हदीस है।

नोट - कज़ाए हाजत के लिए इस हदीस में मशरिक़ या मगरिब की तरफ रुख करने का हुकुम आया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद मदीना के रहने वालों के लिए था, क्योंकि मदीना के जुनूब में मक्का वाक़े है, इस लिए वहां क़िबला की तरफ रुख या पुशत शिमाल या जुनूब की तरफ बनता है जबकि हिन्द व

पाक के रहने वालों के लिए मशरिक़ या मगरिब। लिहाज़ा बर्रे सगीर और इसी तरह रियाज़ शहर में कज़ाए हाजत के वक़्त शिमाल या जुनूब की तरफ रुख किया जाएगा।

इस हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उमूमी बयान फरमाया है और आबादी व सेहरा की कोई तफरीक़ नहीं की है, इसलिए फुक़हा व उलमा की एक बड़ी जमाअत (जिसमें हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, हज़रत सुराक़ा बिन मालिक, हज़रत मुजाहिद, हज़रत इब्राहीम नखई, हज़रत अता, इमाम औज़ाई, हज़रत सुफयान सौरी और हज़रत इमाम अबू हनीफा वगैरह हैं) ने फरमाया कि कज़ाए हाजत के वक़्त क़िबला की तरफ रुख या पीठ करना नाजायज़ है, चाहे घर के अंदर बने बैतुलखला में पेशाब या पाखाना कर रहे हों या किसी जंगल व बयाबान में। हिन्द व पाक के जमहूर उलमा (जो 80 हिजरी में पैदा हुए शैख नोमान बिन साबित यानी इमाम अबू हनीफा की क़ुरान व हदीस पर मबनी राय को तरजीह देते हैं) ने भी यही कहा है कि कज़ाए हाजत के वक़्त क़िबला की तरफ रुख या पीठ करना नाजायज़ है। उलमाए किराम की एक दूसरी जमाअत ने कहा है कि हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़कूरा तालीमात के पेशे नज़र हत्तल इमकान कज़ाए हाजत के वक़्त क़िबला की तरफ रुख या पीठ नहीं करनी चाहिए, चाहे घर के अंदर बने बैतुलखला में पेशाब या पाखाना कर रहे हों या किसी जंगल व बयाबान में, लेकिन तिर्मिज़ी में वारिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत (मैं एक रोज़ हज़रत हफसा रज़ियल्लाहु

अन्हा के मकान पर चढ़ा तो नबी अकरम सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम को कज़ाए हाजत करते देखा कि आप मुल्के शाम की तरफ रुख करके और काबा की तरफ पीठ करके कज़ाए हाजत कर रहे थे) की बिना पर आबादी में गुनजाइश है, जंगल में जायज़ नहीं। इसी तरह बाज़ हज़रात ने फरमाया कि क़िबला की तरफ रुख करके कज़ाए हाजत करना तो जायज़ नहीं, अलबत्ता पीठ करके कज़ाए हाजत करने की गुनजाइश है।

हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत एक क़ानून की हैसियत रखती है, इसके मुक़ाबले में दूसरी रिवायात व वाक़्यात जुज़इयात के दरजे में है। लिहाज़ा बुखारी व मुस्लिम, तिर्मिज़ी, नसई, इब्ने माजा, अबू दाऊद, मुअत्ता मालिक, मुसनद अहमद, सही इब्ने हिब्बान, सही इब्ने खुज़ैमा और सुनन दारमी वगैरह में वारिद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस पर ही अमल किया जाएगा, क्योंकि इसमें ज़ाबता कुल्लिया बयान किया गया है, दूसरे वाक़्यात में तावील व तौजीह की जाएगी। नीज़ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस क़ौली है, यानी इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल को बयान किया गया है और यह मुस्लमा उसूल है कि ज़ाहिरी तआरुज़ के वक़्त क़ौली हदीस को तरजीह दी जाएगी। जहां तक हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत का तअल्लुक़ है तो इसमें कई एहतेमालात हैं, मसलन हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसदन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, बल्कि इत्तिफाक़न आप पर नज़र पड़ गई थी जिसकी वजह से

गलती का भी इमकान है। इस रिवायत के अलावा दूसरे रिवायात से भी इस्तिदलाल किया गया है, मगर वह तमाम रिवायात हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से सनद के एतेबार से कमज़ोर हैं और मफहूम के एतेबार से भी मुख्तलिफ एहतेमालात लिए हुए हैं।

खुलासए कलाम

पूरी उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि हमें कज़ाए हाजत के वक़्त क़िबला की तरफ रुख या पीठ करने से हत्तल इमकान बचना चाहिए और घर में बैतुलखला बनाते वक़्त इसका एहतेमाम करना चाहिए कि कज़ाए हाजत के वक़्त हमारा रुख या पीठ क़िबला की तरफ न हो। अगर बैतुलखला पहले इस तरह बने हुए हैं कि कज़ाए हाजत के वक़्त रुख या पीठ क़िबला की तरफ होता है तो बैतुलखला में लगी हुई सीट का रुख तब्दील करना चाहिए और जब तक तब्दील नहीं कर सकते हैं तो सीट पर इस तरह बैठें कि रुख या पीठ किसी हद तक क़िबला की तरफ से हट जाए। याद रखें कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में वारिद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रौशनी में फुक़हा व उलमा की एक बड़ी जमाअत के नज़दीक जिसमें हज़रत इमाम अबू हनीफा भी हैं कज़ाए हाजत के वक़्त क़िबला की तरफ रुख या पीठ करना जायज़ नहीं है, चाहे घर के अंदर बने बैतुलखला में पेशाब या पाखाना कर रहे हों या किसी जंगल व बयाबान में और यही क़ौल एहतियात पर मबनी है।

ज़िलहिज्जा का पहला अशरा और
क़ुर्बानी के अहकाम व मसाइल

ज़िलहिज्जा के महीने का पहला अशरा

अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम (सूरह फजर आयत 2) में ज़िलहिज्जा की दस रातों की क़सम खाई है जिससे मालूम हुआ कि ज़िलहिज्जा का महीना इब्तिदाई अशरा इस्लाम में खास अहमियत का हामिल है। हज का अहम रुक्न वुक़ूफे अरफा इसी अशरे में अदा किया जाता है जो अल्लाह तआला के खास फज़्ल व करम को हासिल करने का दिन है। गरज़ रमज़ान के बाद इन दिनों में उखरवी कामयाबी हासिल करने का बेहतरीन मौक़ा है, लिहाज़ा इनमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, रोज़ा रखें, क़ुर्बानी करें।

अहादीस में इन अय्याम में इबादत करने के खुसूसी फज़ाइल आए हैं जिनमें से चंद अहादीस ज़िक्र कर रहा हूं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें नेक अमल अल्लाह तआला के यहां इन दस दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हो। (सही बुखारी)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला के नज़दीक अशरए ज़िलहिज्जा से ज़्यादा अज़मत वाले दूसरे कोई दिन नहीं हैं, लिहाज़ा तुम इन दिनों में तसबीह व तहलील और तकबीर व तहमीद कसरत से किया करो। (तबरानी) इन अय्याम में

हर शख्स को तकबीरे तशरीक पढ़ने का खास एहतेमाम करना चाहिए तकबीरे तशरीक के कलेमात यह हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर आखिर तक।

अरफा के दिन का रोज़ा

हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अरफा के दिन के रोज़े के मुतअल्लिक़ मैं अललाह से पुख्ता उम्मीद रखता हूं कि वह इस की वजह से एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाहों को माफ फरमा देंगे। (सही मुस्लिम)

मज़कूरा हदीस से मालूम हुआ कि अरफा के दिन का एक रोज़ा एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाहों की माफी का सबब बनता है, लिहाज़ा 9 ज़िलहिज्जा के दिन रोज़ा रखने का एहतेमाम करें।

(वज़ाहत) इख्तिलाफे मताले के सबब मुख्तलिफ मुल्कों में अरफा का दिन अलग अलग दिनों में हो तो उसमें कोई इशकाल नहीं, क्योंकि ईदुल, ईदुल अज़हा, शबे क़दर और आशूरा के दिन की तरह जगह के एतेबार से जो दिन अरफा का क़रार पाएगा उस जगह उसी दिन में अरफा के रोज़ा रखने की फज़ीलत हासिल होगी इंशाअल्लाह।

क़ुर्बानी की हक़ीक़त

क़ुर्बानी का अमल अगरचे हर उम्मत के लिए रहा है जैसा कि अल्लाह तआला का इरशाद है "**हमने हर उम्मत के लिए क़ुर्बानी मुक़र्रर की ताकि वह चैपायों के मखसूस जानवरों पर अल्लाह के**

नाम लें जो अल्लाह तआला ने अता फरमाए।" (सूरह हज 34) लेकिन हज़रत इब्राहिम और हज़रत इसमाईल अलैहिस्सलाम की अहम व अज़ीम क़ुर्बानी की वजह से क़ुर्बानी को सुन्नते इब्राहिमी कहा जाता है और इसी वजह से इसको खुसूसी अहमियत हासिल हो गई। चुनांचे हज़रत इब्राहिम और हज़रत इसमाईल अलैहिमुस्सलाम की अज़ीम क़ुर्बानी की याद में अल्लाह तआला के हुकुम पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में जानवरों की क़ुर्बानी की जाती है जो क़यामत तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। इस क़ुर्बानी से हमें यह सबक़ मिलता है कि हम अल्लाह की इताअत और फरमांबरदारी में अपनी जान व माल व वक़्त हर क़िस्म की क़ुर्बानी के लिए तैयार हैं।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौक़े पर सौ ऊंटों की क़ुर्बानी पेश फरमाई थी जिसमें 63 ऊंट की क़ुर्बानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से की थी और बक़िया 37 ऊंट हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़बह फरमाए। (सही मुस्लिम) यह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद (ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को कोई नेक अमल अल्लाह तआला के नज़दीक क़ुर्बानी का खून बहाने से बढ़ कर महबूब और पसंदीदा नहीं) का अमली इज़हार है और उस अमल में उन हज़रात का भी जवाब है जो मगरबी तहज़ीब से मुतअस्सिर हो कर कह देते हैं कि जानवरों की क़ुर्बानी के बजाए गरीबों को पैसे तक़सीम कर दिए जाएं। इस्लाम ने जितना गरीबों का खयाल रखा है उसकी कोई मिसाल किसी दूसरे मज़हब में नहीं मिलती, बल्कि इंसानियत को गरीबों और कमजोरों के दर्द का इहसास शरीअते इस्लामिया ने

ही सबसे पहले दिलाया है। गुरबा व मसाकीन का हर वक़्त खयाल रखते हुए शरीअते इस्लामिया हमसे मुतालिबा करती है कि हम ईदुल अज़हा के दिनों में हज़रत इब्राहिम और हज़रत इसमाइल अलैहिस्सलाम की अज़ीम क़ुर्बानी की याद में अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए क़ुर्बानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें जैसा कि सारी इंसानियत के नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी काम में माल खर्च किया जाए तो वह ईदुल अज़हा के दिन क़ुर्बानी में खर्च किए जाने वाले माल से ज़्यादा फज़ीलत नहीं रखता। (सुनन दारे क़ुतनी, बैहक़ी)

इन दिनों बाज़ हज़रात ने बावजूद कि उन्होंने क़ुर्बानी के सुन्नते मुअक्कदा और इस्लामी शेआर का मौक़िफ इख्तियार किया है 1400 साल से जारी व सारी सिलसिले के खिलाफ अपने अक़वाल व अफआल से गोया यह तबलीग करनी शुरू कर दी है कि एक क़ुर्बानी पूरे खानदान के लिए काफी है और क़ुर्बानी कम से कम की जाए जो सरासर क़ुरान व हदीस की रूह के खिलाफ है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के अक़वाल व अफआल की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा क़ुर्बानी करनी चाहिए।

दूसरे अमाले सालेहा की तरह क़ुर्बानी में भी मतलूब व मक़सूद रज़ाए इलाही होनी चाहिए जैसा कि अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है "**मेरी नमाज़, मेरी क़ुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह की रज़ामंदी के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है।**" (सूरह

अनआम 162) अल्लाह तआला का फरमान “**अल्लाह को न उनका गोशत पहुंचता है न उनका खून, लेकिन उसके पास तुम्हारा तक़वा पहुंचता है।**” (सूरह हज 37)

क़ुर्बानी की अहमियत व फ़ज़ीलत

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहुमा फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में दस साल क़याम फरमाया (उस क़याम के दौरान) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुर्बानी करते रहे। (तिर्मिज़ी) गरज़ ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने मदीना के क़याम के दौरान एक मरतबा भी क़ुर्बानी तर्क नहीं की बावजूद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बवजहे क़िल्लते तआम कई कई महीने चुल्हा नहीं जलता था। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा सहाबा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया या रसूलुल्लाह! यह क़ुर्बानी क्या है? (क़ुर्बानी की हैसियत क्या है?) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहिम की सुन्नत (और तरीक़ा) है। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! हमें क़ुर्बानी से क्या फायदा होगा? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! ऊन के बदले में क्या मिलेगा? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऊन के हर बाल के बदले में (भी) नेकी मिलेगी। (सुनन इब्ने माजा)

उम्मुल मोमेनीन हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को कोई नेक अमल अल्लाह तआला के नज़दीक क़ुर्बानी का खून बहाने से बढ़ कर महबूब और पसंदीदा नहीं और क़यामत के दिन क़ुर्बानी करने वाला अपने जानवर के बालों, सींगों और खुरों को ले कर आएगा (और यह चीजें अज्र व सवाब का सबब बनेंगी) और क़ुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तआला के नज़दीक शरफे क़बूलियत हासिल कर लेता है, लिहाज़ा तुम खुश दिली के साथ क़ुर्बानी किया करो। (तिर्मिज़ी)

क़ुर्बानी वाजिब है

क़ुर्बानी को वाजिब या सुन्नते मुआक्कदा क़रार देने में ज़मानए क़दीम से इख्तेलाफ चला आ रहा है, मगर पूरी उम्मते मुस्लिमा मुत्तफिक़ है कि क़ुर्बानी एक इस्लामी शेआर है और जो शख्स क़ुर्बानी कर सकता है उसको क़ुर्बानी करने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए चाहे उसको वाजिब कहें या सुन्नते मुअक्कदा या इस्लामी शेआर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हमेशा क़ुर्बानी किया करते थे बावजूद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अशियाए खुर्दनी न होने की वजह से कई कई महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। 80 हिजरी में पैदा हुए हज़रत इमाम अबू हनीफा ने क़ुरान व हदीस की रौशनी में क़ुर्बानी को वाजिब क़रार दिया है, हज़रत इमाम मालिक और हज़रत इमाम अहमद बिन हमबल की एक रिवायत भी क़ुर्बानी के वुजूब की है। हिन्द व पाक के जमहूर उलमा ने भी वुजूब के क़ौल को इख्तियार

किया है, क्योंकि यही क़ौल एहतियात पर मबनी है। अल्लामा इब्ने तैमिया ने भी क़ुर्बानी के वुजूब के क़ौल को इख्तियार किया है। क़ुर्बानी के वुजूब के लिए बहुत से दलाइल में से चन्द पेशे खिदमत हैं।

1) अल्लाह तआला क़ुरान करीम (सूरह कौसर) में इरशाद फरमाता है "**आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ें और क़ुर्बानी करें।**" इस आयत में क़ुर्बानी करने का हुकुम दिया जा रहा है और अमर वुजूब के लिए हुआ करता है जैसा कि मुफस्सेरीन ने इस आयत की तफसीर में लिखा है। अल्लामा अबू बकर जस्सास (विलादत 305) अपनी किताब (अहकामुल क़ुरान) में लिखते हैं हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि इस आयत में जो नमाज़ का ज़िक्र है इससे ईद की नमाज़ मुराद है और "वनहर" से क़ुर्बानी मुराद है। मुफस्सीरे क़ुरान शैख अबू बकर जस्सास फरमाते हैं कि इससे दो बातें साबित होती हैं: 1) ईद की नमाज़ वाजिब है। 2) क़ुर्बानी वाजिब है।

2) हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स को क़ुर्बानी की वुसअत हासिल हो और वह क़ुर्बानी न करे तो हमारी ईदगाह के करीब न भटके। (इब्ने माजा, मुसनद अहमद) वुसअत के बावजूद क़ुर्बानी न करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद इरशाद फरमाई है और इस क़िस्म की सख्त वईद वाजिब के छोड़ने पर ही होती है, लिहाज़ा मालूम हुआ कि क़ुर्बानी करना वाजिब है।

3) हज़रत जुनदुब बिन सुफयान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं ईदुल अज़हा के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ईद की नमाज़ से पहले (क़ुर्बानी का जानवर) ज़बह कर दिया तो उसे चाहिए कि उसकी जगह दूसरी क़ुर्बानी करे और जिसने (ईद की नमाज़ से पहले) ज़बह नहीं किया तो उसे चाहिए कि वह (ईद की नमाज़ के) बाद ज़बह करे। (सही बुखारी) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदुल अज़हा की नमाज़ से पहले जानवर ज़बह करने पर दोबारा क़ुर्बानी करने का हुकुम दिया, हालांकि उस ज़माने में सहाबा के पास माली वुसअत नहीं थी, यह क़ुर्बानी के वुजूब की वाज़ेह दलील है।

क़ुर्बानी किस पर वाजिब है

हर साहबे हैसियत को क़ुर्बानी करनी चाहिए जैसा कि हदीस में गुज़रा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को क़ुर्बानी की वुसअत हासिल हो और वह क़ुर्बानी न करे तो वह हमारी ईदगाह में न आए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि क़ुर्बानी के वुजूब के लिए साहबे वुसअत होना ज़रूरी है, अलबत्ता मुसाफिर पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं जैसा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुसाफिर पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं। (अलमुहल्ला बिल आसार)

क़ुर्बानी के जानवर

भेड़, बकरी, गाए, भैंस और ऊंट (नर व मादा) क़ुर्बानी के लिए ज़बह किए जा सकते हैं जैसा कि अल्लाह तआला फरमाता है आठ जानवर हैं दो भेड़ों में से और दो बकरियों में से, दो ऊंटों में से और दो गायों में से। (सूरह अनआम 143, 144)

क़ुर्बानी के जानवरो में भैंस भी दाखिल है, क्योंकि यह भी गाए की एक क़िस्म है लिहाज़ा भैंस की क़ुर्बानी भी जाएज़ है। उम्मते मुस्लिमा का इजमा है कि भैंस का हुकुम गाए वाला है। (किताबुल इजमा लिइब्ने मुंजिर पेज 37) हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि भैंस गाए के दरजे में है। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 7 पेज 65) हज़रत इमाम सुफयान सौरी फरमाते हैं कि भैंसों को गाए के साथ शुमार किया जाएगा। (मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्द 4 पेज 23) हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि भैंस गाए ही है (यानी गाए के हुकुम में है) (मुअत्ता इमाम मालिक) हिन्द व पाक के जमहूर उलमा की भी यही राय है कि भैंस गाए के हुकुम में है। सउदी अरब के मशहूर आलिम शैख मोहम्मद बिन उसैमीन ने भी भैंस को गाए के हुकुम में शामिल किया है। भैंस अरबों में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका ज़िक्र क़ुरान करीम में वज़ाहत से नहीं है। (मजमूआ फतावा व रसाइल शैख इब्ने उसैमीन 34/25) मौसूआ फिकह कुवैतिया में यही मज़कूर है कि भैंस गाए के हुकुम में है।

जानवर की उम्र

क़ुर्बानी के जानवर में भेड़ और बकरा और बकरी एक साल, गाए और भैंस दो साल और ऊंट पांच साल का होना ज़रूरी है, अलबत्ता

वह भेड़ और दुम्बा जो देखने में एक साल का लगता हो उसकी क़ुर्बानी भी जाएज़ है।

क़ुर्बानी के जानवर में शुरका की तादाद

अगर क़ुर्बानी का जानवर बकरा, बकरी, भेड़ या दुम्बा है तो वह सिर्फ एक आदमी की तरफ से किफायत करती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बकरी एक आदमी की तरफ से होती है। (एलाउस सुनन)

अगर क़ुर्बानी का जानवर ऊंट, गाए या भैंस है तो उसमें सात आदमी शरीक हो सकते हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज का एहराम बांध कर निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकुम दिया कि हम ऊंट और गाए में सात सात आदमी शरीक हो जाएं। (सही मुस्लिम) हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हमने हुदैबिया वाले साल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़ुर्बानी की, चुनांचे ऊंट सात आदमियों की तरफ से और गाए सात आदमियों की तरफ से ज़बह की। (सही मुस्लिम)

(वज़ाहत) हज्जतुल विदा और सुलह हुदैबिया के मौक़े पर ऊंट और गाए में सात सात आदमी शरीक हुए थे, इस पर क़यास करके उलमाए उम्मत ने फरमाया कि ईदुल अज़हा की क़ुर्बानी में भी ऊंट और गाए में सात सात आदमी शरीक हो सकते हैं।

क़ुर्बानी के दिन (क़ुर्बानी के तीन दिन हैं 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ुरान की आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अय्यामे मालूमात से मुराद यौमुन नहर (10 ज़िलहिज्जा) और उसके बाद दो दिन हैं। (तफसीर इब्ने अबी हातिम जिल्द 6 पेज 261)

हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स क़ुर्बानी करे तो तीसरे दिन के बाद उसके घर में क़ुर्बानी के गोशत में से कुछ नहीं बचना चाहिए। (सही बुखारी) इस हदीस से मालूम हुआ कि क़ुर्बानी के दिन तीन ही हैं, इसलिए कि जब चौथे दिन क़ुर्बानी का बचा हुआ गोश्त रखने की इजाज़त नही तो पूरा जानवर क़ुर्बानी करने की इजाज़त कहां से होगी?

(वज़ाहत) तीन दिन के बाद क़ुर्बानी का गोश्त रखने की मुमानअत इब्तिदाए इस्लाम में थी, बाद में इजाज़त दे दी गई कि इसे तीन दिन बाद भी रखा जा सकता है। (मुस्तदरक हाकिम जिल्द 4 पेज 259) इससे कोई यह न समझे कि जब तीन दिन के बाद गोश्त रखने की इजाज़त मिल गई तो तीन दिन के बाद क़ुर्बानी भी की जा सकती है, इस लिए कि गोशत तो पूरे साल भी रखा जा सकता है तो क्या क़ुर्बानी की इजाज़त भी सारे साल होगी? हरगिज़ नहीं। तीन दिन के बाद क़ुर्बानी की इजाज़त न पहले थी और अब है।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से भी यही मंकूल है कि क़ुर्बानी के दिन तीन ही हैं। (मुअत्ता इमाम मालिक)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि क़ुर्बानी के दिन 10 ज़िलहिज्जा और उसके बाद दो दिन हैं अलबत्ता यौमुन नहर (10 ज़िलहिज्जा) को क़ुर्बानी करना अफज़ल है। (अहकामुल क़ुरान लित तहावी जिल्द 2 पेज 205)

(वज़ाहत) बाज़ उलमा ने मुसनद अहमद में वारिद हदीस (कुल्लु अय्यामित तशरीक ज़िबहुन) की बुनियाद पर फरमाया कि अगर कोई शख्स 12 ज़िलहिज्जा तक क़ुर्बानी नहीं कर सका तो 13 ज़िलहिज्जा को भी क़ुर्बानी की जा सकती है। लेकिन हज़रत इमाम अबू हनीफा, हज़रत इमाम मालिक और हज़रत इमाम अहमद बिन हमबल रहमतुल्लाह अलैहिम ने मज़कूरा बाला दलाइल की रौशनी में फरमाया है कि क़ुर्बानी सिर्फ तीन दिन की जा सकती है। हज़रत इमाम अहमद बिन हमबल ने खुद अपनी किताब में वारिद हदीस के मुतअल्लिक़ वज़ाहत कर दी है कि यह हदीस ज़ईफ है, नीज़ असूले हदीस है कि ज़ईफ हदीस से हुकुम साबित नहीं हो सकता है। हज़रत इमाम अहमद बिन हमबल ने लिखा है कि बहुत से सहाबए किराम मसलन हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम की भी यही राय थी, एहतियात का तकाजा भी यही है कि क़ुर्बानी को सिर्फ तीन दिन तक महदूद रखा जाए, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी एक सहाबी से 13 ज़िलहिज्जा को क़ुर्बानी करना साबित नहीं है।

क़ुर्बानी करने वाला नाखुन और बाल न काटे या कटवाए

उम्मुल मोमेनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो जाए और तुममें से जो क़ुर्बानी करने का इरादा करे तो वह अपने बाल और नाखुन न काटे। (मुस्लिम) इस हदीस और दूसरे अहादीस की रौशनी में क़ुर्बानी करने वालों के लिए मुस्तहब है कि ज़िलहिज्जा का चांद नज़र आने के बाद क़ुर्बानी करने तक जिस्म के किसी हिस्से के बाल और नाखुन न काटें, लिहाज़ा अगर बाल या नाखुन वगैरह काटने की ज़रूरत हो तो ज़िलक़ादा के आखिर में फारिग हो जाएं।

क़ुर्बानी की तारीख

हज़रत इब्राहीम अलैहिस सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि वह अपने बेटे (इसमाईल अलैहिस सलाम) को ज़बह कर रहे हैं। नबी का ख्वाब सच्चा हुआ करता है, चुनांचे अल्लाह तआला के इस हुकुम को पूरा करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस सलाम फलस्तीन से मक्का पहुंच गए। जब बाप ने बेटे को बताया कि अल्लाह तआला ने मुझे तुम्हें ज़बह करने का हुकुम दिया है तो फरमांबरदार बेटे इसमाईल अलैहिस सलाम का जवाब था "**अब्बा जान! जो कुछ आपको हुकुम दिया जा रहा है उसे कर डालिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे।**" (सूरह साफ्फात 102) बेटे के इस जवाब के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस सलाम अपने बेटे हज़रत इसमाईल अलैहिस सलाम को जब मक्का से ज़बह करने के लिए लेकर चले तो शैतान ने मिना में तीन जगहों पर उन्हें बहकाने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने सात सात कंकड़ियां उसको मारीं जिसकी वजह से वह ज़मीन में धंस गया। आखिर रज़ाए इलाही की खातिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस सलाम ने अपने दिल के टुकड़े को मुंह के बल ज़मीन पर लिटा दिया, छुरी तेज की, आंखों पर पट्टी बांधी और उस वक़्त तक छुरी अपने बेटे के गले पर चलाते रह जब तक अल्लाह तआला की तरफ से यह आवाज़ न आ गई "**ऐ इब्राहीम! तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं।**" (सूरह साफ्फात 107) चुनांचे हज़रत इसमाईल अलैहिस सलाम की जगह जन्नत से एक मेंढा भेज दिया गया जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस सलाम ने ज़बह कर दिया। इस वाक़्या के बाद से अल्लाह

तआला की रज़ा के लिए जानवरों की क़ुर्बानी करना खास इबादत में शुमार हो गया, चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भी हर साल क़ुर्बानी न सिर्फ मशरू की गई बल्कि इसको इस्लामी शेआर बनाया गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस सलाम की इत्तिबा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर जानवरों की क़ुर्बानी का यह सिलसिला कल क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह।

मुहर्रमुल हराम और आशूरा का रोज़ा

मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है, यानी मुहर्रम से हिजरी साल का आग़ाज़ और ज़िलहिज्जा पर हिजरी साल इखतेताम होता है, नीज़ मुहर्रम उन चार महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह तआला ने हुरमत वाले महीने क़रार दिए हैं। इस माह को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तआला का महीना क़रार दिया है। यूं तो सारे ही दिन और महीने अल्लाह तआला के हैं लेकिन अल्लाह तआला की तरफ निसबत करने से इसकी फज़ीलत ज़ाहिर होती है। मुहर्रम के महीने की एक खास फज़ीलत यह भी है कि इस महीने का रोज़ा रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे अफज़ल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान के बाद सबसे अफज़ल रोज़ा अल्लाह तआला के महीना मुहर्रम का रोज़ा है। (तिर्मिज़ी जिल्द 1 पेज 157) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माहे रमज़ान के बाद अफज़ल तरीन रोज़े अल्लाह तआला के महीने माहे मुहर्रम के रोज़े हैं। (सही मुस्लिम)

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, एक साहब ने आकर पूछा या रसूलुल्लाह! रमज़ान के महीने के बाद किस महीने के रोज़े रखने का आप मुझे हुकुम देते हैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमज़ान के महीने के बाद तुमको रोज़ा रखना हो तो मुहर्रम का रोज़ा रखो, इसलिए कि यह अल्लाह का महीना है। इसमें एक दिन है जिसमें अल्लाह तआला ने

एक क़ौम की तौबा क़बूल की और दूसरे लोगों की तौबा भी क़बूल फरमाएंगे। (तिर्मिज़ी जिल्द 1 पेज 157) जिस क़ौम की तौबा क़बूल हुई वह क़ौम बनी इसराइल है जैसा कि इसकी वज़ाहत हदीस में है कि आशूरा के दिन अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरऔन और उसके लश्कर से निजात दी थी।

आशूरा का रोज़ा

मुहर्रम की दसवीं तारीख को आशूरा कहा जाता है जिसके मानी हैं दसवां दिन। यह दिन अल्लाह तआला की खुसूसी रहमत और बरकत का हामिल है। इस दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा था और मुसलमानों को रोज़ा रखने का हुकूम भी दिया था। पहले तो यह रोज़ा वाजिब था फिर जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फर्ज़ हुए तो मुसलमानों को इख्तियार दिया गया कि चाहें यह रोज़ा रखें या न रखें अलबत्ता इसकी फज़ीलत बयान कर दी गई कि जो रोज़ा रखेगा उसके गुज़रे हुए साल के छोटे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। पहले यह रोज़ा एक दिन रखा जाता था लेकिन यहूदियों की मुखालफत के लिए आखिर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं आइन्दा साल तक ज़िन्दा रहा तो इंशाअल्लाह नवीं मुहर्रम को भी रोज़ा रखूंगा, लेकिन इस ख्वाहिश पर अमल करने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया।

आशूरा के रोज़े से मुतअल्लिक़ अहादीस

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ान के रोज़े फर्ज़ होने से पहले लोग आशूरा का रोज़ा रखते थे और आशूरा के दिन बैतुल्लाह को गिलाफ पहनाया जाता था। जब रमज़ान फर्ज़ हुआ

तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे न रखे। (सही बुखारी पेज 127) दूसरी रिवायत में है कि हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कुरैश जाहिलियत में आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक़्त यह रोज़ा रखते थे। जब मदीना तशरीफ लाए तो यहां भी रोज़ा रखा और इस रोज़े का भी हुकुम दिया। जब रमज़ान फर्ज़ हुआ तो आशूरा (के रोज़े का हुकुम) छोड़ दिया गया, जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे न रखे। (सही बुखारी पेज 154, 168)

हज़रत रूबै बिन्त मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा की सुबह अंसार के गांव में एलान करवाया कि जिसने सुबह को खा पी लिया हो वह बक़िया दिन पूरा करे (यानी रुका रहे) और जिसने अभी तक खाया पिया नहीं है वह रोज़ा रखे। फरमाती हैं कि वह भी यह रोज़ा रखती थीं और अपने बच्चों को भी रोज़ा रखवाती थीं और उनके लिए ऊन का खिलौना बनाती थीं। जब कोई बच्चा खाने के लिए रोता तो यह खिलौना उसको दे देतीं यहां तक कि इफतार का वक़्त होता। (सही बुखारी जिल्द 1 पेज 263, सही मुस्लिम जिल्द 1 पेज 360)

हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन एक आदमी को भेजा जो लोगों में यह एलान कर रहा था कि जिसने खा लिया वह पूरा करे या फरमाया बक़िया दिन खाने पीने से रुका रहे और जिसने नहीं खाया वह न खाए (यानी रोज़ा रखे)। (बुखारी जिल्द 1 पेज 257)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो यहूदियों को देखा कि आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा यह क्या है? यहूदियों ने कहा यह अच्छा दिन है, इस दिन अल्लाह तआला ने बनी इसराइल को उनके दुशमन से निजात दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को गल्बा और कामयाबी अता फरमाई, हम इस दिन की ताज़ीम के लिए रोज़ा रखते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुमसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम के करीब हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुकुम दिया। (बुखारी जिल्द 1 पेज 268)

हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए तो देखा कि कुछ यहूदी आशूरा की ताज़ीम कर रहे हैं और इस दिन रोज़ा रखते हैं, इसको ईद बना रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम उस रोज़ा के ज़्यादा हक़दार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को रोज़ा रखने का हुकुम दिया। (बुखारी जिल्द 1 पेज 268, 562)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दिन के रोज़ा का एहतेमाम और कसद करते हुए नहीं देखा सिवाए आशूरा का रोज़ा और रमज़ान के महीने का। (बुखारी जिल्द 1 पेज 268) यानी उन रोजों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा एहतेमाम फरमाते थे। हज़रत मआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हज के लिए तशरीफ

लाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिम्बर पर आशूरा के दिन (खड़े हो कर) फरमाया ऐ अहले मदीना कहां हैं तुम्हारे उलमा, मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था कि यह आशूरा का दिन है और अल्लाह तआला ने तुम पर इसका रोज़ा फर्ज़ नहीं किया है, मैं रोज़े से हूं जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे रोज़ा न रखे। (सही बुखारी जिल्द 1 पेज 262)

आशूरा के रोज़े का सवाब

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे अल्लाह तआला की रहमत से उम्मीद है कि जो शख्स आशूरा के दिन रोज़ा रखेगा तो उसके पिछले एक साल के गुनाह का कफ्फारा हो जाएगा। (सही मुस्लिम) हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा के रोज़े के बारे में मुझे अल्लाह तआला से उम्मीद है कि साले गुज़श्ता के गुनाह माफ फरमा देंगे। (तिर्मिज़ी जिल्द 1 पेज 151) इन अहादीस में गुनाह से छोटे गुनाह मुराद हैं, बड़े गुनाह के लिए तौबा की ज़रूरत होती है।

अशुरा के रोज़े रखने का तरीक़ा

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा रखा और लोगों को इसका हुकुम दिया। लोगों ने बताया कि यहूद व नसारा इस दिन की ताज़ीम करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आइन्दा साल ज़िन्दा रहा तो इंशाअल्लाह नवीं को

(भी) रोज़ा रखूंगा, लेकिन आईन्दा साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। (मुस्लिम जिल्द 1 पेज 359)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा को रोज़ा रखो और इसमें यहूद की मुखालफत करो, एक दिन पहले रोज़ा रखो या एक दिन बाद।(मुसनद अहमद जिल्द 1 पेज 241) यह हदीस बाज़ नुसखों में "औ" की जगह "वाव" की के साथ आई है, अगर "वाव" (और) के साथ रिवायत साबित मान ली जाए तो फिर तीन रोज़ा रखना साबित होगा। इस तरह आशूरा के रोज़े रखने की 4 शकलें बनती हैं। 9, 10 और 11 तीनों दिन रोज़े रख लें। 9 और 10 दो दिन रोज़े रख लें। 10 और 11 दो दिन रोज़े रख लें। अगर किसी वजह से 2 रोज़े नहीं रख सकते तो सिर्फ एक रोज़ा आशूरा के दिन रख लें।

खुलासए कलाम

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तय्यिबा में जब भी आशूरा का दिन आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते लेकिन वफात से पहले जो आशूरा का दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा रखा और साथ ही यह भी फरमाया कि 10 मुहर्रम को हम भी रोज़ा रखते हैं और यहूद भी रोज़ा रखते हैं जिसकी वजह से उनके साथ हल्की सी मुशाबहत पैदा हो जाती है, इसलिए अगर मैं आईन्दा साल ज़िन्दा रहा तो सिर्फ आशूरा का रोज़ा नहीं रखूंगा बल्कि उसके साथ एक और रोज़ा 9 या 11 मुहर्रम को रखूंगा ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत खत्म हो जाए। लेकिन अगले साल आशूरा का दिन आने से पहले ही हुज़ूर

अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और आपको इस पर अमल करने को मौक़ा नहीं मिला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की रौशनी में सहाबए किराम ने आशूरा के रोज़े के साथ 9 या 11 मुहर्रम का एक रोज़ा मिला कर रखने का एहतेमाम फरमाया और इसी को मुस्तहब क़रार दिया और सिर्फ आशूरा का रोज़ा रखना खिलाफे औला क़रार दिया, यानी अगर कोई शख्स सिर्फ आशूरा का रोज़ा रख ले तो वह गुनाहगार नहीं होगा बल्कि उसको आशूरा का सवाब मिलेगा लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश 2 रोज़े रखने की थी, इसलिए इस ख्वाहिश के तकमील में बेहतर यही है कि एक रोज़ा मिला कर दो रोज़े रखे जाएं।

(वज़ाहत) बाज़ हज़रात यह समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तक़रीबन 50 साल बाद 61 हिजरी में नवासाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की वजह से उस दिन की अहमियत हुई है हालांकि उसकी दिन की फज़ीलत व अहमियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रौशनी में पहले ही से साबित है जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रौशनी में ज़िक्र किया गया, हां हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़ीम शहादत के लिए अल्लाह तआला ने इस बाबरकत दिन का इंतिखाब किया जिससे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ुर्बानी की मज़ीद अहमियत बढ़ जाती है।)

माहे शाबान और शबे बराअत

इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक़ शाबान आठवां महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान आता है। अहादीस की रौशनी में बिला शुबहा यह माहीना बहुत सी फजीलतों का हामिल है, चुनांचे रमज़ान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़े इसी महीने में रखते थे।

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रमज़ान के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पूरे महीने के रोज़े रखते नहीं देखा सिवाए शाबान के कि इसके तक़रीबन पूरे दिनों में आप रोज़ा रखते थे। (बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद)

हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान से ज़्यादा किसी और महीने में (नफली) रोज़ा रखते नहीं देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह रजब और रमज़ान के दरमियान एक महीना है जिसकी बरकत से लोग गाफिल हैं। इस महीना में अल्लाह तआला के सामने आमाल पेश किए जाते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे आमाल इस हाल में पेश हों कि मैं रोज़ा से हूं। (नसई, अत्तरगीब वत्तरहीब)

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के तक़रीबन पूरे महीने में रोज़ा रखते थे। मैंने पूछा कि क्या आपको शाबान के रोज़े बहुत पसंद हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह

तआला इस साल इंतिक़ाल करने वालों के नाम इस महीने में लिख देता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी मौत का फैसला इस हाल में हो कि मैं रोज़ा से हूं। (रवाहु अबू याला)

बाज़ दूसरी अहादीस में शाबान के आखिरी दिनों में रोज़ा रखने से मना फरमाया गया है, ताकि इसकी वजह से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने में दुशवारी न हो। (बुखारी व मुस्लिम)

मज़कूरा व इस तरह की बहुत सी अहादीस की रौशनी में यह बात वाज़ेह हो जाती है कि शाबान का महीना बिला शुबहा बहुत सी फज़ीलतों का हामिल है और इस महीने के आखिरी दो तीन दिन के अलावा इस माहीना में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखना चाहिए।

इस महीने की पन्दरहवीं रात को शबे बराअत कहा जाता है जो 14 तारीख के सूरज डूबने से शुरू होती है और 15 तारीख की सुबह सादिक़ तक रहती है। शबे बराअत फार्सी का लफ्ज़ है जिसके मानी निजात पाने की रात के हैं। चूंकि इस रात में बेशुमार गुनाहगारों की मगफिरत की जाती है इसलिए इस शब को शबे बराअत कहा जाता है।

इस रात की फज़ीलत के सिलसिले में उलमा के दरमियान ज़मानए क़दीम से इख्तिलाफ चला आ रहा है लेकिन तहक़ीक़ी बात यह है कि इस रात की फज़ीलत का बिल्कुल्लिया इंकार करना सही नहीं है, क्योंकि बाज़ मुफस्सेरीन ने तो क़ुरान की आयत (इन्ना अनज़लनाहु आखिर तक) से मुराद शाबान की पन्दरहवीं रात (शबे बराअत) ली है और हर ज़माने के मशहूर व मारूफ मुफस्सेरीन ने अपनी तफसीरों में इस तफसीर को ज़िक्र किया है। अगरचे जमहूर उलमा की राय में इस आयत से मुराद शबे क़दर है और यही राजेह है, मगर क़ाबिले

गौर बात यह है कि अगर शबे बरात की कोई हक़ीक़त ही न होती तो मशहूर व मारूफ मुफस्सेरीन इस आयत की तफसीर में इस तफसीर का ज़िक्र क्यूं करते बल्कि इस तफसीर की मुखालफत करते।

शबे बराअत की फज़ीलत के मुतअल्लिक़ तक़रीबन 17 सहाबए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से अहादीस मरवी हैं जिनमें से बाज़ सही हैं, अगरचे दूसरे अहादीस की सनद में ज़ोफ मौजूद है लेकिन वह कम से कम क़ाबिले इस्तिदलाल ज़रूर हैं और अहादीस की इतनी बड़ी तादाद को रद्द करना सही नहीं है, नीज़ उम्मते मुस्लिमा का शुरू से इस पर मामूल भी चला आ रहा है। लिहाज़ा इल्मे हदीस के क़ायदे के मुताबिक़ अगर हदीस सनद के एतेबार से ज़ईफ हो लेकिन उम्मते मुस्लिमा का अमल इस पर चला आ रहा हो तो इस हदीस को भी कुवत हासिल हो जाती है और वह क़ाबिले एतेबार क़रार दी जाती है। इन अहादीस पर अमल करने में कोई मुज़ाइक़ा नहीं है, नीज़ इस बाब की अहादीस मुख्तलिफ सनदों के साथ वारिद हुई हैं अगरचे बाज़ अहादीस की सनद में ज़ोफ है, लेकिन इल्म हदीस के क़ायदे के मुताबिक़ एक दूसरे से तक़वियत ले कर यह अहादीस हसन लिगैरेही बन जाती हैं जिसका एतेराफ बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने भी किया है।

अक़ल से भी सोचें कि यह कैसे मुमकिन हुआ कि मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले हज़रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक झूठी बात को मंसूब करने में मुत्तफिक़ हो गए, नीज़ सबने शाबान की 15 तारीख को ही क्यों इख्तियार किया, कोई दूसरी तारीख या कोई दूसरा महीना क्यों

इख्तियार नहीं किया? और यह मौजूदा ज़माने की बात नहीं है बल्कि 1400 साल से यह सिलसिला जारी है।

इन अहादीस से शबे बराअत में किसी मुस्तक़िल अमल को साबित नहीं किया जा रहा है, बल्कि अमाले सालेहा (नमाज़े फजर व इशा की अदाएगी, बक़दरे तौफीक़ नवाफिल खास कर नमाज़े तहज्जुद की अदाएगी, क़ुरान करीम की तिलावत, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह तआला से गुनाहों की माफी और दुआएं) के करने की रगबत दी जा रही है जिनका तअल्लुक़ हर रात से है और इन आमाले सालेहा का अहादीसे सहीहा से सबूत भी मिलता है जिस पर सारी उम्मत मुत्तफिक़ है। शबे बराअत भी एक रात है। शबे बराअत में थोड़ा एहतेमाम के साथ इन आमाले सालेहा की अदाएगी के लिए उलमा व मुहक़्क़ेक़ीन की एक बड़ी जमाअत की राय के मुताबिक़ 17 सहाबए किराम से मंक़ूल अहादीस सबूत के लिए काफी हैं।

(वज़ाहत) अगर कुछ लोगों ने गलत रस्म व रिवाज इस रात में शुरू कर दिए हैं जिनमें से बाज़ का ज़िक्र मज़मून के आखिर में आ रहा है तो इसकी बुनियाद पर उन आमाले सालेहा को इस रात में करने से रोका नहीं जा सकता, बल्कि रस्म व रिवाज के रोकने का एहतेमाम करना होगा, मसलन ईदुल फितर की रात या दिन में लोग नाचने गाने लगें तो सिरे से ईदुल फितर का इंकार नहीं किया जाएगा बल्कि गलत रस्म व रिवाज को रोकने का पूरा एहतेमाम किया जाएगा। नीज़ शादी के मौक़े पर रस्म व रिवाज और बिदआत की वजह से निकाह ही से इंकार नहीं किया जाएगा, बल्कि बिदआत और रस्म व रिवाज को रोकने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह मौत के

वक़्त और उसके बाद बिदआत व खुराफात को रोकने की कोशिश की जाएगी न कि तदफीन ही बन्द कर दी जाए।

शबे बराअत की फज़ीलत से मुतअल्लिक़ चंद अहादीस

हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमया अल्लह तआला पन्दरहवीं शब में तमाम मख्लूक़ की तरफ तजल्ली फरमाता है और मुशरिक और बुग्ज़ रखने वालों के सिवा सारे मख्लूक़ की मगफिरत फरमाता है। (सही इब्ने हिब्बान, तबरानी, बैहक़ी)

इसी मज़मून की रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुसनद अहमद मे भी मरवी है (क़ातिल और बुग्ज़ रखने वालों के अलावा अल्लाह तआला सबकी मगफिरत फरमाता है) जिसको अलहाफिज़ अल हैसमी ने मजमउज़ ज़वायद में सही क़रार दिया है। दूसरे मुहद्दिसीन हत्ताकि शैख नासिरुद्दीन अलबानी ने भी सही क़रार दिया है। (अस्सुन्नह पेज 224, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा जिल्द 3)

इसी मज़मून की रिवायत हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से इब्ने माजा (किताब इकामतुस सलात जिल्द 1 पेज 455) में मरवी है। और इस हदीस को मुहद्दिसीन हत्ताकि शैख नासिरुद्दीन अलबानी ने सही क़रार दिया है। (सिलसिलतुल अहादीस सहीहा जिल्द 3 पेज 135)

इसी मज़मून की रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। (रवाहुल बज़्ज़ार, ज़कर हाफिज़ अल हैसमी फी मजमउज़ ज़वायद)

इसी मज़मून की रिवायत हज़रत अबू सालबी अलखुशनी से मरवी है। (अखरजहुत तबरानी वल बैहक़ी, अद्दुर्रुल मंशूर लिस सुयूती)

इसी मज़मून की रिवायत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। (अखरजहुल बज़्ज़ार वल बैहक़ी, मजमउज़ ज़वायद लिल हैसमी)

इसी मज़मून की रिवायत हज़रत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। (अखरजहुल बज़्ज़ार, मजमउज़ ज़वायद लिल हैसमी)

इसी मज़मून की रिवायत हज़रत कसीर बिन मुर्रा रहमतुल्लाह अलैह से मुरसलन मरवी है। (अखरजहुल बैहक़ी, हसनुल बयान)

हज़रत उसमान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पन्दरहवीं रात में अल्लाह तआला की तरफ से आवाज़ लगाई जाती है कि है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसके गुनाहों को माफ करूं, है कोई सवाल करने वाला कि मैं अता करूं। हर सवाल करने वाले को मैं अता करता हूं सिवाए शिर्क और ज़िना करने वाले के। (बैहक़ी)

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती है कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास न पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हें डर था कि अल्लाह और उसके रसूल तुम पर ज़ुल्म करेंगे? मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! मुझे गुमान हुआ कि आप दूसरे अज़वाजे मुतहहरात के पास तशरीफ ले गए होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

फरमाया बेशक अल्लाह तआला पन्दरहवीं शाबान की रात को निचले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और क़बीला कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद में लोगों की मगफिरत फरमाता है। और इस रात में बेशुमार लोगों की मगफिरत की जाती है मगर शिर्क, अदावत करने वाले, रिश्ता तोड़ने वाले, तकब्बुराना तौर पर टखनों से नीचे कपड़ा पहनने वाले, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब पीने वाले की तरफ अल्लाह तआला की नज़रे करम नहीं होती। (मुसनद अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, बैहक़ी, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, अत्तरगीब वत्तरहीब)

हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शाबान की पन्दरहवीं रात हो तो इस रात में क़याम करो और इस दिन रोज़ा रखो, इसलिए कि अल्लाह तआला सूरज डूबने के वक़्त से आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और कहते हैं क्या कोई मगफिरत तलब करने वाला है कि मैं उसकी मगफिरत करूं? क्या कोई रिज़्क़ को तलाश करने वाला है कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूं? क्या कोई मुसीबत का मारा है मैं उसकी मुसीबत दूर करूं? क्या कोई ऐसा है? क्या कोई ऐसा है? हत्ताकि सुबहे सादिक़ का वक़्त हो जाता है। (इब्ने माजा, बैहक़ी, अत्तरगीब वत्तरहीब)

इस रात में इन आमाले सालेहा का खास एहतेमाम करना चाहिए

1) इशा और फजर की नमाजें वक़्त पर अदा करें।
2) बक़दरे तौफीक़ नफल नमाजें खास कर नमाज़े तहज्जुद अदा करें।
3) अगर मुमकिन हो तो सलातुत तसबीह पढ़ें।
4) क़ुरान पाक की तिलावत करें।

5) कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करें।

6) किसी किसी शबे बराअत में क़ब्रिस्तान तशरीफ ले जाएं अपने और मय्यत के लिए दुआए मगफिरत करें।

7) अल्लाह तआला से खूब दुआएं मांगें खास कर अपने गुनाहों की मगफिरत चाहें।

लेकिन हर शबे बराअत में क़ब्रिस्तान जाने का खास एहतेमाम कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि पूरी ज़िन्दगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ एक मरतबा इस रात में क़ब्रिस्तान जाना साबित है।

(नोट) शबे बराअत में पूरी रात जागना कोई ज़रूरी नहीं है, जितना आसानी से मुमकिन हो इबादत कर लें, लेकिन याद रखें कि किसी शख्स को आप के जागने की वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए।

पन्दरहवीं तारीख का रोज़ा

शबे बराअत की फज़ीलत के मुतअल्लिक़ बहुत सी अहादीस मौजूद हैं, मगर शबे बराअत के बाद आने वाले दिन के रोज़े के मुतअल्लिक़ सिर्फ एक ज़ईफ हदीस मौजूद है, लिहाज़ा शाबान के महीने में सिर्फ और सिर्फ पन्दरहवीं तारीख के रोज़े रखने का बहुत ज़्यादा एहतेमाम करना या उस दिन रोज़ा न रखने वाले को कमतर समझना सही नहीं है, अलबत्ता शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखने चाहिएं।

इस रात में नीचे लिखे हुए आमाल का अहादीस से कोई सबूत नहीं है, लिहाज़ा इन आमाल से बिल्कुल दूर रहें:

1) हलवा पकाना। (हलवा पकाने से शबे बराअत का दूर दूर तक कोई तअल्लुक़ नहीं है)

2) आतिशबाजी करना। (यह फुज़ूल खर्ची है, नीज़ इससे अपनी और दूसरों की अमलाक को नुक़्सान पहुंचने का भी खदशा है)
3) इजतिमाई तौर पर क़ब्रिस्तान जाना।
4) क़ब्रिस्तान में औरतों का जाना।
5) क़ब्रिस्तान में चिरागां (रौशनी का इंतेज़ाम) करना
6) मुख्तलिफ क़िस्म के डेकूरेशन का एहतेमाम करना।
7) औरतों और मर्द का इख्तिलात होना।
8) कब्रों पर चादर चढ़ाना।

(नोट) इस रात में बक़दरे तौफीक़ इंफिरादी इबादत करनी चाहिए, लिहाज़ा इजतिमाई इबादतों से हत्तल इमकान अपने आपको दूर रखें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात में इजतिमाई तौर पर कोई इबादत करना साबित नहीं है।

जिन गुनाहगारों की इस बाबरकत रात में भी मगफिरत नहीं होती वह यह हैं:

1) मुशरिक
2) क़ातिल
3) वालिदैन की नाफरमानी करने वाला
4) बुग्ज़ व अदावत रखने वाला
5) रिश्ता तोड़ने वाला
6) तकब्बुराना तौर टखनों से नीचे कपड़ा पहनने वाला
7) शराब पीने वाला
8) ज़िना करने वाला

लिहाज़ा हम सबको तमाम गुनाहों से खास कर इन मज़कूरा कबीरा गुनाहों से बचना चाहिए।

(वज़ाहत) मज़मून की तिवालत से बचने के लिए सिर्फ चंद अहादीस के ज़िक्र पर इकतिफा किया है, दूसरे अहादीस व उलमा और मुहद्दिसीन के अक़वाल पढ़ने के लिए शैख अब्दुल हफीज़ अलमक्की साहब की अरबी ज़बान में किताब (फज़ाइल लैलतुन निस्फ मिन शाबान) का मुतालआ करें। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि इस रात में साल भर के फैसले भी होते हैं, लेकिन इन तमाम ही आहादीस की सनद में ज़ोफ मौजूद है।

खुलासए कलाम

शाबान के महीने की फज़ीलत और उसमें ज़्यादा रोज़ा रखने के मुतअल्लिक़ उम्मते मुस्लिमा मुत्तफिक़ है, अलबत्ता पन्दरहवीं रात की खुसूसी फज़ीलत के मुतअल्लिक़ उलमा, फुक़हा और मुहद्दिसीन के दरमियान ज़मानए क़दीम से इख्तिलाफ चला आ रहा है। उलमा, फुक़हा और मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमाअत की राय है कि इस बाब से मुतअल्लिक़ अहादीस क़ाबिले क़बूल (हसन लिगैरेही) और उम्मते मुस्लिमा का अमल इब्तिदा से इस पर होने की वजह से इस रात में इंफिरादी तौर पर नफल नमाजों की अदाएगी, क़ुरान करीम की तिलावत, ज़िक्र और दुआओं का किसी हद तक एहतेमाम करना चाहिए। किसी किसी शबे बराअत में क़ब्रिस्तान भी चले जाना चाहिए। इस क़िस्म से इस रात में इबादत करना बिदअत नहीं बल्कि इस्लामी तालिमात के ऐन मुताबिक़ है।

अल्लाह तआला हमारे तमाम नेक आमाल को क़बूल फरमाए, आमीन।

माहे रजब और वाक़या-ए-मेराज

इस्लामी साल का सातवां महीना रजब है। रजब उन चार महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह तआला ने हुरमत वाले महीने क़रार दिया है ''अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद बारह महीने हैं, जो अल्लाह किताब (लौहि महफूज़) के मुताबिक़ उस दिन नाफिज हैं जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। उन (बारह महीनों) में से चार हुरमत वाले हैं।" (सूरह तौबा 36) इन चार महीनों की तहदीद क़ुरान करीम में नहीं है बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बयान फरमाया है और वह यह हैं जुल कायदा, जुलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। मालूम हुआ कि हदीसे नबवी के बेगैर क़ुरान करीम नहीं समझा जा सकता है। इन चार महीनों को अशहुर हरम कहा जाता है। इन महीनों को हुरमत वाले महीने इसलिए कहते हैं कि इनमें हर ऐसे काम जो फितना व फसाद, क़त्ल व गारत गरी और अमन व सुकून की खराबी का बाइस हो से मना फरमाया गया है, अगरचे लड़ाई झगड़ा साल के दूसरे महीनों में भी हराम है मगर इन चार महीनों में लड़ाई झगड़ा करने से खास तौर पर मना किया गया है। इन चार महीनों की हुरमत व अजमत पहली शरीअतों में भी मुसल्लम रही है हत्ताकि ज़माना जाहिलियत में भी इन चारों महीनों का एहतेराम किया जाता था।

रजब का महीना शुरू होने पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला से यह दुआ मांगा करते थे। ''ऐ अल्लाह! रजब और शाबान के महीनों में हमें बरकत अता फरमा और माहे रमज़ान तक हमें पहुंचा।" (मुसनद अहमद, बज़्ज़ार, तबरानी, बैहक़ी)

लिहाज़ा माहे रजब के शुरू होने पर हम यह दुआ या उस मफहुम पर मुशतमिल दुआ मांग सकते हैं। इस दुआ से अंदाजा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक रमज़ान की कितनी अहमियत थी कि माहे रमज़ान की इबादत को हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से दो महीने पहले दुआओं का सिलसिला शुरू फरमा देते थे। माहे रजब को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए बरकत हासिल हुई, जिससे माहे रजब का किसी हद तक मुबारक होना साबित होता है।

माहे रजब में किसी खास नमाज़ पढ़ने का या किसी मुअय्यन दिन के रोजे रखने की खास फज़ीलत का कोई सबूत अहादीस से नहीं मिलता है। नमाज़ व रोज़ा के एतेबार से यह महीना दूसरों महीना की तरह ही है। अलबत्ता रमज़ान के पूरे रोजे रखना हर बालिग मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज़ हैं और माहे शाबान में कसरत से रोजे रखने की तर्गीब आदीस में मौज़ूद है।

माहे रजब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई उमरह अदा किया या नहीं? इस बारे में उलमा व मुअर्रेखीन की राय मुख्तलिफ हैं। अलबत्ता दूसरे महीनों की तरह माहे रजब में भी उमरह अदा किया जा सकता है। असलाफ से भी इस माह में उमरह अदा करने के सबूत मिलते हैं। अलबत्ता रमज़ान के अलावा किसी और माह में उमरह अदा करने की कोई खास फज़ीलत अहादीस में मौज़ूद नहीं है।

वाक़या-ए-मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

इस वाक़या की तारीख और साल के मुतअल्लिक़ मुअररेखीन और सीरतों के जानने वाले की राय मुख्तलिफ हैं, उनमें से एक राय यह

है कि नुबूवत के बारहवीं साल 27 रजब को 51 साल 5 महीना की उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई जैसा कि अल्लामा क़ाजी मोहम्मद सुलैमान सलमान मंसूरपुरी ने अपनी किताब ''मुहरे नुबूवत" में लिखा है।

इसरा के मानी रात को ले जाने के हैं। मस्जिदे हराम (मक्का) से मस्जिदे अकसा का सफर जिसका तजकिरा सूरह बनी इसराइल में किया गया है, इसको इसरा कहते हैं। और यहां से जो सफर आसमानों की तरफ हुआ उसका नाम मेराज है, मेराज ओरूज से निकला है जिसके मानी चढ़ने के हैं। हदीस में ''अरज बीहि" यानी मुझको ऊपर चढ़ाया गया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इस लिए इस सफर का नाम मेराज हो गया। इस मुक़द्दस वाक़या को इसरा और मेराज दोनों नामों से याद किया जाता है।

इस वाक़या का ज़िक्र सूरह नजम की आयात में भी है ''फिर वह क़रीब आया और झुक पड़ा, यहां तक कि वह दो कमानों के फासले के बराबर क़रीब आ गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा नज़दीक इस तरह अल्लाह को अपने बन्दे पर जो वही नाज़िल फामानी थी वह नाज़िल फरमाई।

सूरह नजम की आयात 13-18 में वज़ाहत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (इस मौक़ा पर) बड़ी बड़ी निशानियां मुलाहिजा फरमाऐं ''और हक़ीक़त यह है कि उन्होंने इस (फरिश्ते) को एक और मरतबा देखा है। उस बेरी के दरखत के पास जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है, उसी के पास जन्नतुल मावा है, उस वक़्त बेरी के दरखत पर वह चीजें छाई हुई थीं जो भी उसपर छाई हुई थीं। (नबी की) आंख न तो चकराई और न हद से आगे बढ़ी, सच तो है कि

उन्होंने अपने परवरदिगार की बड़ी बड़ी निशानियों में से बहुत कुछ देखा है।

अहादीस मुतवातिर से साबित है, यानी सहाबा, ताबेईन और तबे ताबेईन की एक बड़ी तादाद से मेराज के वाक़या से मुतअल्लिक़ अहादीस मरवी हैं।

इंसानी तारीख का सबसे लम्बा सफर

क़ुरान करीम और अहादीस मुतवातिर से साबित है कि इसरा मेराज का तमाम सफर सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी था, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सफर कोई खाब नहीं था बल्कि एक जिस्मानी सफर और ऐनी मुशाहिदा था। यह एक मोजज़ा था कि मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र कर इतना बड़ा सफर अल्लाह तआला ने अपनी कुदरत से सिर्फ रात के एक हिस्सा में पूरा कर दिया। अल्लाह तआला जो इस पूरी कायनात का पैदा करने वाला है उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि वह तो कादिरे मुतलक है जो चाहता है करता है, उसके तो इरादा करने पर चीज का वज़ूद हो जाता है। मेराज का वाक़या पूरी इंसानी तारीख का एक ऐसा अज़ीम, मुबारक और बेनजीर मोजज़ा है जिसकी मिसाल तारीख पेश करने से कासिर है। खालिक़े कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे कर अपना मेहमान बनाने का वह शर्फ अज़ीम अता फरमाया जो न किसी इंसान को कभी हासिल हुआ है और न किसी मुकर्रब तरीन फरिश्ते को।

वाक़या मेराज का मक़सद

वाक़या मेराज के मकासिद में जो सबसे मुख्तसर और अज़ीम बात क़ुरान करीम (सूरह बनी इसराइल) में ज़िक्र की गई है वह यह है कि

हम (अल्लाह तआला) ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुछ निशानियां दिखलाईं। उसके मकासिद में से एक अहम मक़सद अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह अजीमुश शान मक़ाम व मरतबा देना है जो किसी भी इंसान हत्ता कि किसी मुकर्रब तरीन फरिश्ता को नहीं मिला है और न मिलेगा। नीज़ उसके मकासिद में उम्मते मुस्लिमा को यह पैगाम देना है कि नमाज़ ऐसा बड़ा अमल और अज़ीम इबादत है कि उसकी फर्ज़ियत का इलान ज़मीन पर नहीं बल्कि सातों आसमानों के ऊपर बुलंद व आला मक़ाम पर मेराज की रात में हुआ। नीज़ उसका हुकुम हज़रत जिबरइल अलैहिस्सलाम के ज़रिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचा बल्कि अल्लाह तआला ने फर्जीयते नमाज़ का तोहफा बजाते खुद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। नमाज़ अल्लाह तआला से तअल्लुक़ क़ायम करने और अपनी ज़रूरतों और हाजतों को मांगने का सबसे बड़ा ज़रिया है। नमाज़ में अल्लाह तआला से मुनाजात होती है।

वाक़या मेराज की मुख्तसर तफसील

इस वाक़या की मुख्तसर तफसील यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सोने का तशत लाया गया जो हिकमत और ईमान से पुर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया फिर उसे जमजम के पानी से धोया गया फिर उसे हिकमत और ईमान से भर दिया गया और फिर बिजली की रफ्तार से ज़्यादा चलने वाली एक सवारी यानी बुराक लाया गया जो लम्बा सफेद रंग का चैपाया था, उसका कद गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था वह अपना क़दम वहां रखता था जहां तक उसकी नज़र

पड़ती थी। उसपर सवार करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया और वहां तमाम अम्बिया-ए-किराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी। फिर आसमानों की तरफ ले जाया गया। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आमसान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चैथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवीं आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आमसान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवीं आसमान पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई। उसके बाद बैतुल मामूर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया गया जहां रोज़ाना सत्तर हज़ार फरिश्ते अल्लाह तआला की इबादत के लिए दाखिल होते हैं जो दोबारह उसमें लौट कर नहीं आते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके पत्ते इतने बड़े हैं जैसे हाथी के कान हों और उसके फल इतने बड़े बड़े हैं जैसे मटके हों। जब सिदरतुल मुंतहा को अल्लाह के हुकुम से ढांकने वाली चीजों ने ढांक लिया तो उसका हाल बदल गया, अल्लाह की किसी भी मख्लूक में इतनी ताकत नहीं कि उसके हूसन को बयान कर सके। सिदरतुल मुंतहा की जड़ में चार नहरें नज़र आऐं, दो बातनी नहरें और दो जाहिरी नहरें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर हज़रत जिबरइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि बातनी दो नहरे जन्नत की नहरें हैं और जाहिरी दो नहरें फुरात और नील हैं (फुरात इराक और मिश्र में है)।

नमाज़ की फर्ज़ियत

उस वक़्त अल्लाह तआला ने उन चीजों की वही फरमाई जिनकी वही उस वक़्त फरमाना था और पच्चास नमाजें फर्ज़ कीं। वापसी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद मरतबा अल्लाह तआला के दरबार में हाज़िर हुए और नमाज़ की तख्फीफ की दरख्वास्त की। हर मरतबा पांच नमाजों माफ कर दी गई। यहां तक कि सिर्फ पांच नमाजें रह गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर मजीद तख्फीफ की बात कही लेकिन उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इससे ज़्यादा तख्फीफ का सवाल करने में शर्म महसूस होती है और मैं अल्लाह के इस हुकुम को तसलीम करता हुं। इस पर अल्लाह तआला की तरफ से यह आवाज़ आई कि मेरे पास बात बदली नहीं जाती है यानी मैंने अपने फरीजा का हुकुम बाकी रखा और अपने बन्दों से तख्फीफ कर दी और मैं एक नेकी का बदला दस बना कर देता हुं। गरज़ ये कि अदा करने में पांच हैं और सवाब में पचास ही हैं।

नमाज़ की फर्ज़ियत के अलावा दूसरे दो इनाम

इस मौक़ा पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला से इंसान का रिश्ता जोड़ने का सबसे अहम ज़रिया यानी नमाज़ की फर्ज़ियत का तुहफा मिला और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत की फिक्र और अल्लाह के फजल व करम की वजह से पांच नमाज़ की अदाएगी पर पचास नमाजों का सवाब दिया जाएगा।

1) सूरह बक़रह की आखरी आयत "आमनर रसूलु आखिर तक" इनायत फरमाई गई।

2) इस क़ानून का इलान किया गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों की माफी मुमकिन है यानी कबीरा गुनाहों की वजह से हमेशा अज़ाब में नहीं रहेंगे बल्कि तौबा से माफ हो जाऐंगे या अज़ाब भुगत कर छुटकारा मिल जाएगा अलबत्ता काफिर और मशरिक हमेशा जहन्नम में रहेंगे।

मेराज में दीदारे इलाही

ज़माना क़दीम से इख्तेलाफ चला आ रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज में दीदारे खुदावंदी से मुशर्रफ हुए या नहीं और अगर दीदार हुई तो वह दीदार बसरी थी या कल्बी थी अलबत्ता हमारे लिए इतना मान लेना इंशाअल्लाह काफी है कि यह वाक़या बरहक़ है, यह वाक़या रात के सिर्फ एक हिस्सा में हुआ नीज़ बेदारी की हालत में हुआ है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह एक बड़ा मोजज़ा है।

कुरैश की तकजीब और उनपर हुज्जत क़ायम होना

रात के सिर्फ एक हिस्सा में मक्का से बतुल मुक़द्दस जाना अम्बिया की इमामत में वहां नमाज़ पढ़ना फिर वहां से आसमानों तक तशरीफ ले जाना, अम्बिया से मुलाक़ात और फिर अल्लाह तआला की दरबार में हाजिरी, जन्नत व दोजख को देखना, मक्का तक वापस आना और वापसी पर कुरैश के एक तिजारती काफला से मुलाक़ात होना जो मुल्के शाम से वापस आ रहा था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूबह को मेराज का वाक़या

बयान किया तो कुरैश तअज्जुब करने लगे और झुठलाने लगे और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर उन्हों ने यह बात कही है तो सच फरमाया है। इस पर कुरैश के लोग कहने लगे कि क्या तुम इस बात की भी तसदीक करते हो? उन्होंने फरमाया कि मैं इससे भी ज़्यादा अजीब बातों की तसदीक करता हूं और वह यह कि आसमानों से आपके पास खबर आती है। इसी वजह से उनका लक़ब सिद्दीक़ पड़ गया। उसके बाद जब कुरैश मक्का की जानिब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के अहवाल दरयाफ्त किए गए तो अल्लाह तआला ने बैतुल मुक़द्दस को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रौशन फरमा दिया उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में तशरीफ फरमा थे। कुरैश मक्का सवाल करते जा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते जा रहे थे।

सफरे मेराज के बाज़ मुशाहिदात

इस अहम व अज़ीम सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत व दोजख के मुशाहिदा के साथ मुख्तलिफ गुनहगारों के अहवाल भी दिखाए गए जिनमें से बाज़ गुनहगारों के अहवाल इस जज़्बा से लिख रहा हुं कि उन गुनाहों से हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचने की तर्गीब दें।

कुछ लोग अपने सीनों को नाखूनों से छील रहे थे

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे मेराज कराई गई मैं ऐसे लोगों पर गुजरा जिन के नाखून ताम्बे के

थे और वह अपने चेहरों और सीनों को छील रहे थे। मैंने जिबरइल अलैहिस्सलाम से दरयाफ्त किया कि यह कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया कि वह लोग हैं जो लोगों के गोश्त खाते हैं (यानी उनकी गीबत करते हैं) और उनकी बेआबरूई करने में पड़े रहते हैं। (अबू दाउद)

सूद खुरों की बदहाली

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे सैर कराई गई मैं ऐसे लोगों पर भी गुजरा जिनके पेट इतने बड़े बड़े थे जैसे (इंसानों के रहने के) घर होते हैं उनमें सांप थे जो बाहर से उनके पेटों में नज़र आ रहे थे। मैंने कहा कहा कि ऐ जिबरइल! यह कौन लोग हैं? उन्होंने कहा यह सूद खाने वाले हैं। (मिशकात)

कुछ लोगों के सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसे लोगों के पास से भी हुआ जिनके सर पत्थर से कुचले चा रहे थे, कुचल जाने के बाद फिर वैसे ही हो जाते थे जैसे पहले थे। इसी तरह यह सिलसिला जारी था, खत्म नहीं हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा यह कौन लोग हैं? जिबरइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह लोग नमाज़ में सुस्ती करने वाले हैं।(अनवारूस सिराज)

ज़कात न देने वालों की बदहाली

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसे लोगों के पास से भी हुआ जिनकी शर्मगाहों पर आगे और पीछे चितड़े लिपटे हुए हैं और ऊंट व बैल की तरह चरते हैं और कांटेदार खबीस दरखत और जहन्नम के पत्थर खा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

पूछा यह कौन लोग हैं? जिबरइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह वह लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते हैं। (अनवारूस सिराज)

सड़ा हुआ गोश्त खाने वाले लोग

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसे लोगों के पास से भी हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त है और एक हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा है यह लोग सड़ा गोश्त खा रहे हैं और पका हुआ गोश्त नहीं खा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरयाफ्त किया कि यह कौन लोग हैं? जिबरइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह वह लोग हैं जिनके पास हलाल और पाकिज़ा औरत मौज़ूद है मगर जानिया और फाहिशा औरत के साथ रात गुज़ारती हैं। (अनवारूस सिराज)

सिदरतुल मुंतहा क्या है?

अहादीस में सिदरतुल मुंतहा और अस सिदरतुल मुंतहा दोनों तरह इस्तेमाल हुआ है। क़ुरान करीम में सिदरतुल मुंतहा इस्तेमाल हुआ है। सिदरह के मानी बैर के हैं और मुंतहा के मानी इंतिहा होने की जगह के हैं। इस दरख्त का यह नाम रखने की वजह सही मुस्लिम में इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊपर से जो अहकाम नाज़िल होते हैं वह इसी पर मुंतहा हो जाते हैं और बन्दों के आमाल नीचे से ऊपर जाते हैं वह वहां पर ठहरे जाते हैं यानी आने वाले अहकाम पहले वहां आते हैं फिर वहां से नाज़िल होते हैं और नीचे से जाने वाले जो आमाल हैं वह वहां ठहरे जाते हैं फिर ऊपर उठाए जाते हैं।

(वज़ाहत) वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअल्लिक़ कोई खास इबादत हर साल हमारे लिए मसनून या ज़रूरी नहीं है। तारीख के इस बेमिसाल वाक़या को बयान करने का अहम मक़सद यह है कि हम इस अजीमुशशान वाक़या की किसी हद तक तफसीलात से वाकिफ हों और हम उन गुनाहों से बचें जिनका इरतिकाब करने वालों का बुरा अंजाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर में अपनी आंखों से देखा और फिर उम्मत को बयान फरमाया।

अल्लाह तआला हम सबका खात्मा ईमान पर फरमा और दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी अता फरमा, आमीन।

दाढ़ी की शरई हैसियत

दाढ़ी की शरई हैसियत क्या है? वाजिब है या सुन्नत और दाढ़ी मुंडवाना जायज़ है या मकरूह या हराम? जमहूर मुहद्दिसीन व मुहक़्क़ेक़ीन व फुक़हा और उलमाए किराम नीज़ चारों अइम्मा (इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हमबल) दाढ़ी के वाजिब होने पर मुत्तफिक़ हैं। असरे हाज़िर में भी उम्मते मुस्लिमा के तक़रीबन तमाम मकातिबे फिक्र क़ुरान व हदीस की रौशनी में वुजूब के ही क़ायल हैं।

मैंने इस मौज़ू पर अरबी व उर्दू ज़बान की बहुत सी किताबों में मुहद्दिसीन व फुक़हा व उलमाए किराम के अक़वाल का मुतालआ किया, सबने यही एतेराफ किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से दाढ़ी का वाजिब होना ही साबित होता है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मते मुस्लिमा को दाढ़ी रखने का हुकुम दिया और हुकुम वुजूब के लिए ही होता है मगर यह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी दूसरे इरशाद या अमल या सहाबा के अमल से मालूम हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुकुम वुजूब के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ताकीद के लिए है। लेकिन ज़ेरे बहस मसअले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की जिन्दगियों के अहवाल से यही मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मते मुस्लिमा को दाढ़ी रखने का हुकुम वुजूब के लिए ही है, चुनांचे खैरुल क़ुरून में सहाबा या ताबेईन या तबे ताबेईन में से किसी एक मुहद्दिस या फक़ीह या आलिम ने दाढ़ी के अदमे वुजूब का

फतवा जारी नहीं फरमया बल्कि सब ने उसके वुजूब का ही फैसला फरमाया है। इस मौज़ू पर तफसीलात के लिए शैखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया कांधलवी की अरबी किताब "वुजूब एफाइल लेहया" का मुतालआ करें जो सउदी अरब के "इदारतुल बुहूस अल इल्मिया वलइफ्ता वद्दवत वलइरशाद" से शैख अब्दुल अज़ीज बिन बाज़ की तक़रीज़ के साथ शाये हुई है, इस किताब का उर्दू तरजुमा deenislam.com पर मौजूद है।

अगर दाढ़ी के सिर्फ सुन्नत होने को तसलीम कर भी लिया जाये तो यह आम सुन्नत नहीं होगी बल्कि दाढ़ी रखना सुन्नते मुअक्कदा अशद्दुत ताकीद होने के साथ साथ इस्लामी शेआर भी है और तमाम अम्बिया की सुन्नत भी है, नीज़ फितरते इंसानी भी है और फितरते इंसानी को बदलने की इजाज़त नहीं है जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरह रूम 30 में इरशाद फरमाया है। बर्रे सगीर में इल्मे हदीस की अहम व अज़ीम शख्सियत हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा जिल्द 1 पेज 152 में लिखा है कि दाढ़ी काटना अल्लाह की तखलीक़ और बनावट को बदलना है। बात यही खत्म नहीं हो जाती बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी काटने को मुशरिकिन और मजूसियों का तरीक़ा क़रार दिया है और आप सल्लल्लाहु लैहि वसल्लम ने दाढ़ी काटने वालों की तरफ नज़र उठा कर देखना भी पसंद नहीं फरमाया।

आइए पहले दाढ़ी के मुतअल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का मुतालआ करें

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुशरेकीन की मुखालफत करो यानी दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूंछों का काटो। एक दूसरी रिवायत में यह अल्फाज़ हैं मूंछों की अच्छी तरह काटो और दाढ़ियों को बढ़ाओ। (बुखारी, मुस्लिम)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मजूस (आग की पूजा करने वाले) का ज़िक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह लोग मूंछों को बढ़ाते हैं और दाढ़ियों को मुंडाते हैं, पस तुम उनकी मुखालफत किया करो। (सही इब्ने हिब्बान)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूंछों को काटने और दाढ़ियों के बढ़ाने का हुकुम हुआ है। मालूम हुआ कि दाढ़ियों के बढ़ाने का हुकुम अहकमुल हाकेमीन अल्लाह तआला की तरफ से है। “अमर” का लफ्ज़ भी किताबों में आया है यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूंछों के काटने और दाढ़ियों के बढ़ाने का हुकुम दिया है। (मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुशरिक लोग मूंछों को बढ़ाते हैं और दाढ़ियों को काटते हैं पस तुम उनकी मुखालफत करो और दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूंछों को काटो। (बज़्ज़ाज़)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूंछों को काटो और दाढ़ियों को बढ़ाओ और मजूसियों की मुखालफत करो। (मुस्लिम)

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस खसलतें फितरत में से क़रार दी हैं, जिनमें से पहली खसलत मूंछ को काटना और दूसरी खसलत दाढ़ी का बढ़ाना है। (मुस्लिम) यानी दाढ़ी रखना फितरते इंसानी और इस्लामी शेआर है नीज़ तमाम अम्बिया की सुन्नत है जैसा कि अल्लामा इब्ने हजर असकलानी ने बुखारी की शरह फतहुल बारी जिल्द 10 पेज 339 में और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने तनवीरुल हवालिक शरह मुअत्ता इमाम मालिक जिल्द 2 पेज 219 में फितरत की तशरीह के तेहत तहरीर किया है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुख्तलिफ मुमालिक के बादशाहों को इस्लाम की दावत देने के लिए खुतूत लिखे तो उनमें से एक खत किसरा शाहे फारस के नाम भी लिखा। उसके पास जब नामा मुबारक पहुंचा तो उसने उसको फाड़ दिया और यमन के गवर्नर को लिखा कि दो मज़बूत आदमियों को हिजाज़ भेजो जो इस शख्स को लेकर आए जिसने मुझे यह खत लिखा है। चुनांचे यमन के गवर्नर ने शाह फारस किसरा के हुकुम से दो फैजियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। वह दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनकी दाढ़ियां मुंडी हुई थीं और मूंछें बढ़ी हुई थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों की तरफ देखना भी पसंद नहीं फरमाया, फिर उनकी तरफ मुतवज्जेह हो कर कहा कि तुम दोनों के लिये अज़ाब है, किस

ने तुम को इस का हुकुम दिया है? दोनों ने कहा हमारे रब यानी किसरा ने हमें इसका हुकुम दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन मेरे रब ने तो मुझे दाढ़ी रखने और मूंछें काटने का हुकुम दिया है। (अलबिदाया वन्निहाया, तारीख इब्ने जरीर) इस वाक़्या को मौलाना मोहम्मद युसूफ साहब कांधलवी ने अपनी मशहूर मारूफ किताब "हयातुस सहाबा" जिल्द 1 पेज 115 में मुख्तलिफ सनदों के साथ ज़िक्र किया है।

मजूसियों में एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया जिसने अपनी दाढ़ी और अपनी मूंछ बढ़ाई हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह क्या है? उसने कहा यह हमारा दीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन हमारे दीन में तो यह है कि हम मूंछें काटते हैं और दाढ़ियां बढ़ाते हैं। (इब्ने अबी शैबा जिल्द 8 पेज 379)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का तज़केरा

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दाढ़ी रखते थे जैसा कि अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक का कसरत से ज़िक्र मिलता है।

हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में बहुत ज़्यादा बाल थे। (मुस्लिम)

हज़रत हिन्द बिन्त हाला रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक घनी थी। (तिर्मिज़ी फिशशमाइल) हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु से इन्हीं अल्फाज़ के साथ (नसई) में रिवायत मज़कूर है। हज़रत अली

रज़ियल्लाहु अन्हु से इन्हीं अल्फाज़ के साथ (मुसनद अहमद) में रिवायत मज़कूर है।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक बहुत घनी थी। (मुसनद अहमद जिल्द 1 पेज 127)

हज़रत आइशा, हज़रत उस्मान बिन अफ्फान, हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और दूसरे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुज़ू के वक़्त दाढ़ी में खिलाल करने का तज़केरा अहादीस की किताबों में मौजूद है।

गरज़ ये कि सहाबाए किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को मुख्तलिफ अल्फाज़ में ज़िक्र किया है, उन अल्फाज़ का खुलासा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक घनी और ज़्यादा बालों वाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू के वक़्त दाढ़ी में खिलाल भी किया करते थे और कभी कभी इसमें मेंहदी भी लगाते थे। खुलफाए राशिदीन और दूसरे सहाबा की दाढ़ी मुबारक का तज़केरा अहादीस की किताबों में मौजूद है, लेकिन मज़मून की तिवालत से बचने के लिए उनका तज़केरा नहीं कर रहा हूं। किसी भी सहाबा से दाढ़ी का मूंडना या एक मुश्त से कम दाढ़ी रखना साबित नहीं है।

दाढ़ी की मिक़दार

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तालीमात की बिना पर जमहूर मुहद्दिसीन, फुक़हा और उलमाए किराम दाढ़ी के वुजूब के तो क़ायल हैं, अलबत्ता यह दाढ़ी कितनी रखी जाए और

क्या दाढ़ी की हद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअय्यन की है या नहीं? इस सिलसिले में फुक़हा व उलमा इख्तिलाफ ज़मानए क़दीम से चला आ रहा है। अगरचे यह बात बड़े वसूक़ से कही जा सकती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में दाढ़ी की हद के मुतअल्लिक़ खास वज़ाहत नहीं मिलती है, हां तिर्मिज़ी में एक रिवायत है जो सनद के एतेबार से यक़ीनन कमज़ोर है, इसमें ज़िक्र किया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी मुबारक के तूल व अर्ज़ से ज़ायद बाल काट दिया करते थे। बाज़ सहाबए किराम मसलन हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक मुश्त के बाद अपनी दाढ़ी का काटना अहादीसे सहीहा से साबित है जैसा कि इमाम बुखारी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल ज़िक्र फरमाया है। (बुखारी जिल्द 2 पेज 875)

गरज़ ये कि दाढ़ी की मिक़दार के सिलसिले में ताबेईन, तबे ताबेईन और उसके बाद के ज़माने में उलमाए किराम की चंद रायें मिलती हैं, अलबत्ता एक मुश्त से कम रखने का जवाज़ किसी सहाबी या ताबेई या तबे ताबेईन या किसी मोतबर मुहद्दिस या फक़ीह से कहीं नहीं मिलता।

दाढ़ी की मिक़दार के सिलसिले में फुक़हा के अक़वाल

दाढ़ी को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, यानी किसी तरफ से कोई बाल न काटा जाए। इमाम शाफई के दो अक़वाल में से एक क़ौल जिसको इमाम नववी ने राजेह क़रार दिया है नीज़ इमाम अहमद बिन हमबल की दो राय में से एक राय यही है।

दाढ़ी को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, अलबत्ता हज या उमरह से फरागत के बाद दाढ़ी के दाएं और बाएं जानिब से थोड़ा काट लिया जाए। इमाम शाफई के दो अक़वाल में से दूसरा क़ौल यही है जिसको हाफिज इब्ने हजर ने राजेह क़रार दिया है।

दाढ़ी के दाएं और बाएं जानिब जो बाल बिखरे हुए हैं एक कब्ज़ा (मुटठी) की शर्त के बेगैर उनको काट लिया जाए। इमाम मालिक की राय यही है जिसको क़ाजी अयाज़ ने राजेह क़रार दिया है।

एक मुटठी के बाद दाढ़ी के बाल काट लिए जाएं । इमाम अबू हनीफा की राय यही है कि एक मुश्त ही दाढ़ी रखना सुन्नत है और एक मुश्त से कम दाढ़ी के बाल काटना जायज़ नहीं हैं। इसी राय को तमाम उलमाए अहनाफ ने राजेह क़रार दिया है। इमाम अबू हनीफा के मशहूर व मारूफ शागिर्द इमाम मोहम्मद ने अपनी तसनीफ किताबुल आसार में लिखा है कि हमने रिवायत किया इमाम अबू हनीफा से और वह रिवायत करते हैं हैसम से और वह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कि वह यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी दाढ़ी मुटठी में ले कर मुटठी भर से ज़ायद को यानी जो मुटठी से नीचे लटकी हुई बाकी रह जाती तो वह उसे काट दिया करते थे। इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि हमने इसी को इख्तियार किया है और यही क़ौल इमाम अबू हनीफा का भी है। चुनांचे फिकहे हनफी की तमाम मशहूर व मारूफ किताबों में यही लिखा है कि एक मुश्त दाढ़ी रखना सुन्नत है और अगर दाढ़ी एक मुश्त से कम हो तो उसका काटना जायज़ नहीं है।

दाढ़ी के मुतअल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तालीमात सबसे ज़्यादा मुस्तनद व मोतबर सनदों के साथ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वास्ते से ही उम्मते मुस्लिमा को पहुंची हैं और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उन सहाबए किराम में से हैं जिनसे बड़े बड़े सहाबए किराम भी मसाइल में रुजू फरमाते थे, नीज़ वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े फिदाई थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी में बहुत ज़्यादा पेश पेश रहने वाले थे, उनके अमल को बतौर मेयार पेश किया जाता है। इमाम बुखारी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दाढ़ी से मुतअल्लिक़ उनके अमल को तराज़ू बना कर पेश किया है कि वह हज व उमरह से फारिग होने के मौक़े पर इहराम खोलते तो दाढ़ी को मुटठी में लेकर ज़ायद हिस्सा काट दिया करते थे। (बुखारी जिल्द 2 पेज 845)

हाफिज इब्ने हजर शरह बुखारी में तबरी से नक़ल करते हुए फरमाते हैं कि एक जमाअत कहती है कि दाढ़ी जब एक मुश्त से ज़ायद हो जाए तो ज़ायद को कतर दिया जाए फिर तबरी ने अपनी सनद से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि उन्होंने ऐसा ही किया।

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हम लोग दाढ़ी के अगले और लटकने वाले हिस्से को बढ़ा हुआ रखते थे, मगर हज और उमरह में (हज और उमरह से फारिग हो कर) उसे काट दिया करते थे। (अबू दाऊद जिल्द 4 पेज 4198)

दाढ़ी के मुतअल्लिक़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद सबसे ज़्यादा रिवायात हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से

मरवी हैं, उनका अमल भी एक मुश्त के बाद दाढ़ी काटने का मज़कूर है। (नसबुर राया जिल्द 2 पेज 458)

इमाम गज़ाली ने अपनी किताब "अल इहया" में लिखा है कि एक मुश्त से ज़्यादा दाढ़ी के काटने में उलमाए किराम का इख्तिलाफ है, लेकिन अगर कोई एक मुश्त के बाद दाढ़ी के बाल काट देता है तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और ताबेईन से इसका सबूत मिलता है। अल्लामा इब्ने सीरीन ने एक ही मुश्त दाढ़ी रखने को मुस्तहसन क़रार दिया है।

शैख अब्दुलहक़ मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब "अशेअ्अतुल लमआत" जिल्द 1 पेज 228 में लिखते हैं दाढ़ी मुंडवाना हराम है और एक मुश्त की मिक़दार तक उसका बढ़ाना वाजिब है।

अल्लामा इब्ने तैमिया ने अपनी किताब "शरहुल उमदा" जिल्द 1 पेज 236 में लिखा है कि एफाउल लेहया के मानी दाढ़ी को अपने हाल पर छोड़ने के हैं, लेकिन अगर कोई एक मुश्त के बाद दाढ़ी काटता है या दायें बायें जानिब बिखरे हुए बाल को काटता है तो वह मकरूह नहीं है, क्योंकि ऐसा करना हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित है।

"सफवतु तफासीर" के मुसन्निफ और मस्जिदे हराम के मुदर्रिस शैख मोहम्मद बिन अली अस साबूनी का एक मक़ाला सउदी अरब के मशहूर व मारूफ अखबार (अलमदीना) में 24 मुहर्रम 1415 हिजरी को शाये हुआ था जिसमें उन्होंने दलाइल के साथ लिखा था कि दाढ़ी के बालों को बिखरा हुआ न छोड़ा जाए बल्कि जो बाल इधर उधर बिखरे हुए हों उनको काट कर दाढ़ी को संवारा जाए और इसको इस

तरह न छोड़ा जाए कि बच्चे डरने लगें और बड़े लोग किनारा कशी इख्तियार करने लगें।

(नोट) असरे हाज़िर के बाज़ उलमाए किराम ने एक मुश्त से कम दाढ़ी रखने के जवाज़ का फतवा दिया है, अलबत्ता यह उलमाए किराम भी दाढ़ी को कम से कम एक मुश्त ही रखने की तर्गीब देते हैं। वल्लाहु आलम बिस सवाब।

एक शुबहे का इज़ाला

बाज़ हज़रात कह देते हैं कि क़ुरान करीम में दाढ़ी का हुकुम कहां है? मैं उन हज़रात से सवाल करता हूं कि क़ुरान करीम में यह कहां है कि जो क़ुरान में हो बस उसी पर अमल करना लाज़िम है और क़ुरान में यह कहां है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मत मानो, बल्कि क़ुरान करीम में अल्लाह तआला ने बेशुमार जगहों पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुकुम दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी इताअत क़रार दिया है। (सूरह निसा 80) नीज़ अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में जगह जगह अपनी इताअत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को ज़रूरी क़रार दिया है अगर क़ुरान करीम ही हमारे लिए काफी है तो फिर अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में जगह जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुकुम क्यों दिया है? इस मौज़ू पर तफसील के लिए मेरा मज़मून हुज्जीयते हदीस को पढ़ें।

मैंने हुज्जीयते हदीस के मज़मून में दलाइल के साथ तहरीर किया था कि अहादीसे शरीफा के बेगैर क़ुरान को समझना नामुमकिन है जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरह नहल 44 और 64 में वाज़ेह तौर

फरमाया है कि क़ुरान करीम के मुफस्सिरे अव्वल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह तआला की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह ज़िम्मेदारी आयद की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मते मुस्लिमा के सामने क़ुरान करीम के अहकाम व मसाइल खोल खोल कर बयान करें।

फिर भी उन हज़रात के इतमिनान के लिए ज़िक्र है कि दाढ़ी का तज़केरा क़ुरान करीम (सूरह ताहा 94) में आया है। हज़रत मूसा अलैहिस सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस सलाम की दाढ़ी मुबारक पकड़ी तो हज़रत हारून अलैहिस सलाम ने कहा ऐ मेरी मां के बेटे! मेरी दाढ़ी को न पकड़ो।

दाढ़ी को खिजाब या मेंहदी से रंगना

अगर बुढ़ापे की वजह से दाढ़ी या सर के बाल सफेद हो गए हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रौशनी में उलमाए किराम का मुत्तफक अलैह फैसला है कि बाल को खालिस काले रंग से रंगना जायज़ नहीं है क्योंकि इसमें तखलीक़ को बदलना है, लेकिन अगर किसी शख्स के जवानी में ही किसी बीमारी वगैरह की वजह से बाल सफेद हो गए हों तो जवानी में बालों को खालिस काले रंग से रंगने के मुतअल्लिक़ उलमाए किराम का इख्तिलाफ है लेकिन बचने में ही खैर है। अलबत्ता खालिस काले रंग के अलावा मेंहदी या सियाही माइल किसी रंग से बालों का रंगना सब के लिए चाहे बूढ़े हों या जवान न सिर्फ जायज़ है बल्कि मुस्तहब है।

हज़रत अबू क़ुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु को फतहे मक्का के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस हाल में लाया गया

कि उनके बाल बिल्कुल सफेद थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके बालों की सफेदी को बदलो, अलबत्ता काले रंग से बचो। (मुस्लिम, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा, मुसनद अहमद)

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बालों की सफेदी को बदलने के लिए हिना और कुतुम का इस्तेमाल किया करो। (अबू दाऊद, नसई, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) हिना मेंहदी को कहते हैं जबकि कुतुम भी मेंहदी की तरह ही होता है, लेकिन बालों पर इस्तेमाल के बाद उसका रंग सियाही माइल हो जाता है।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी को ज़र्द रंग से रंगते थे। (अबू दाऊद)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी ज़माने में कुछ लोग खालिस काले रंग से अपने बालों को रंगेंगे उन लोगों को जन्नत की खुशबू भी नसीब न होगी। (अबू दाऊद, नसई)

खुलासए कलाम

मेरे अजीजो! दाढ़ी रखने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आपकी इत्तिबा और आपसे मोहब्बत का इज़हार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुकुम दिया हे उससे दाढ़ी का वाजिब होना ही ज़ाहिर होता है। लेकिन दौरे हाज़िर में बाज़ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का ज़रा भी खयाल नहीं करते और न सिर्फ दाढ़ी मुंडवाते हैं बल्कि दाढ़ी पर मुख्तलिफ तबसरे करने शुरू कर देते हैं। याद रखें कि दाढ़ी न रखना

गुनाह है लेकिन दाढ़ी पर गलत तबसरे करना या दाढ़ी का मज़ाक़ उड़ाना कुफ्र है।

अल्लाह तआला हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए और दाढ़ी रखने वाला बनाए, आमीन

हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है

खालिक़े कायनात अल्लाह तआला ने हर जानदार के लिए मौत का वक़्त और जगह मुतअय्यन कर दी है और मौत ऐसी चीज़ है कि दुनिया का कोई भी शख्स चाहे वह काफिर या फाजिर हत्ताकि दहरिया ही क्यों न हो मौत को यक़ीनी मानता है और अगर कोई मौत पर शक व शुबहा भी करे तो उसे बेवकूफों की फेहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी माद्दी ताकतें और मशरिक़ से मगरिब तक क़ायम सारी हूकूमतें मौत के सामने आजिज़ व बेबस हो जाती हैं।

मौत बन्दों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा बनाने वाली, दुनियावी ज़ाहिरी सहारों को खत्म करने वाली, दिलों को थर्राने वाली, आंखों का रूलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमाअतों को मुंतशिर करने वाली, लज़्ज़तों को खत्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तक़ियों को बाला खानों तक पहुंचाने वाली चीज़ है।

मौत न छोटों पर शफक़त करती है न बड़ों की ताज़ीम करती है, न दुनियावी चौधरियों से डरती है, न बादशाहों से उनके दरबार में हाज़री की इजाज़त लेती है। जब भी हुक्मे खुदावंदी होता है तो तमाम रुकावटों का चीरती और फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है।

मौत न नेक सालेह लोगों पर रहम खाती है, न जालिमों को बख्शती है। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों को भी मौत अपने गले लगा लेती है और घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। उखरवी

अबदी ज़िन्दगी को दुनियावी फानी ज़िन्दगी पर तरजीह देने वाले भी मौत की आगोश में सो जाते हैं और दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुक़मा बना लेती है।

मौत आने के बाद आंख देख नहीं सकती, ज़बान बोल नहीं सकती, हाथ पैर काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह का बदन से तअल्लुक़ खत्म होने का और इंसान का दारे फानी से दारे बक़ा की तरफ कूच करने का। तरक़्क़ी याफ्ता साइंस भी रूह को समझने से क़ासिर है, हालांकि अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में वाज़ेह तौर पर एलान फरमा दिया "**रूह सिर्फ अल्लाह का हुकुम है।**" मौत पर इंसान के आमाल का रजिस्टर बन्द कर दिया जाता है और मौत पर तौबा का दरवाजा बन्द और जज़ा व सज़ा का वक़्त शुरू हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तआला बन्दा की तौबा क़बूल करता है यहां तक कि उसका आखरी वक़्त आ जाए। हम हर रोज़, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के क़रीब होते जा रहे हैं। साल, महीना और दिन गुज़रने पर हम कहते हैं हमारी उम्र इतनी हो गई लेकिन हक़ीक़त यह है कि ये अय्याम हमारी ज़िन्दगी से कम हो गए।

मौत एक मुसीबत भी है जैसा कि अल्लाह तआला फरमाता है "**और वहीं तुम्हें मौत की मुसीबत पेश आ जाए।**" (सूरह माईदा 106)

अल्लाह तआला ने अपने पाक कलाम की बहुत सी आयात में मौत और उसकी हक़ीक़त को बयान किया है। जिनमें से चंद आयात पेशे खिदमत हैं।

"**हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और तुम सब को (तुम्हारे आमाल के) पूरे पूरे बदले क़यामत ही के दिन मिलेंगे। फिर जिसको**

दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वह सही माना में कामयाब हो गया और यह दुनियावी ज़िन्दगी तो (जन्नत के मुक़ाबले में) धोके के सामान के सिवा कुछ भी नहीं।" (सूरह आले इमरान 185) इस आयत में अल्लाह तआला ने इंसानों की कामयाबी का मेयार ज़िक्र किया है और वह यह है कि इस हाल में हमारी मौत आये कि हमारे लिए जहन्नम से छुटकारे और दुखूले जन्नत का फैसला हो चुका हो।

"**इस ज़मीन में जो कोई है फना होने वाला है और (सिर्फ) तुम्हारे परवरदिगार की जलाल वाली और फज़्ल व करम वाली ज़ात बाक़ी रहेगी।**" (सूरह रहमान 26-27)

"**हर चीज़ फना होने वाली है, सिवाए अल्लाह की ज़ात के। हुकूमत उसी की है और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है।**" (सूरह क़सस 88)

"**ऐ पैगम्बर! तुम से पहले भी हमेशा ज़िन्दा रहना हमने किसी फर्दे बशर के लिए तय नहीं किया। चुनांचे अगर तुम्हारा इंतिक़ाल हो गया तो क्या यह लोग ऐसे हैं जो हमेशा ज़िन्दा रहें? हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और हमने तुम्हें आज़माने के लिए बुरी और अच्छी हालतों में मुबतला करते हैं और तुम सब हमारे ही पास लौट कर आओगे।**" (सूरह अम्बिया 34-35)

"**तुम जहां भी होगे (एक न एक दिन) मौत तुम्हें जा पकड़ेगी, चाहे तुम मज़बूत किलों में ही क्यों न रह रहे हो।**" (सूरह निसा 78)

"**ऐ नबी! आप कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वह तुमसे आ मिलने वाली है, यानी वक़्त आने पर मौत तुम्हें ज़रूर उचक लेगी।**" (सूरह जुमा 8)

“**चुनांचे जब उन की मुकररर मीआद आ जाती है तो वह घड़ी भर भी उससे आगे पीछे नहीं हो सकते।**” (सूरह आराफ 34)

“**और न किसी को यह पता है कि ज़मीन के किस हिस्से में उसे मौत आएगी।**” (सूरह लुकमान 34)

इन मज़कूरा आयात से मालूम हुआ कि हर शख्स को मरना यक़ीनी है, लेकिन मौत का वक़्त और जगह सिवाए अल्लाह की ज़ात के किसी बशर को मालूम नहीं। चुनांचे बाज़ बचपन में तो बाज़ जवानी और बाज़ अधेड़ उम्र में जबकि बाक़ी बुढ़ापे में दाइए अजल को लब्बैक कह जाते हैं। बाज़ सेहतमंद तन्दरुस्त नौजवान सवारी पर सवार होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वह मौत की सवारी पर सवार हो चुके हैं।

मेरे भाईयो और बहनो! यही दुनियावी फानी वक़्ती ज़िन्दगी उखरवी अबदी ज़िन्दगी की तैयारी के लिए पहला और आखरी मौक़ा है जैसा कि अल्लाह तआला फरमाता है “**यहां तक कि जब उनमें से किसी पर मौत आ खड़ी होगी तो वह कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे वापस भेज दीजिए ताकि जिस दुनिया को मैं छोड़ आया हूं उसमें जाकर नेक आमाल करूं। हरगिज नहीं, यह तो बस एक बात है जो वह कह रहा है, अब उन सब (मरने वालों) के पीछे एक बरज़ख है जब तक वह दोबारा उठाए जाएं।**” लिहाज़ा ज़रूरी है कि हम अफसोस करने या खून के आंसू बहाने से पहले इस दुनियावी फानी ज़िन्दगी में ही अपने मौला को राजी करने की कोशिश करें, ताकि हमारी रूह हमारे बदन से इस हाल में जुदा हो कि हमारा खालिक़ व मालिक व राज़िक़ हमसे राज़ी हो। आज हम सिर्फ फानी ज़िन्दगी के आरज़ी मक़ासिद को सामने रख कर दुनियावी ज़िन्दगी गुज़ारते हैं और

दुनियावी ज़िन्दगी के ऐश व आराम और वक़्ती इज़्ज़त के लिए जिद्द व जोहद करते हैं, लिहाज़ा आइए दुनिया को दुनिया के पैदा करने वाले के ही ज़बानी समझें।

"**और यह दुनियावी ज़िन्दगी तो (जन्नत के मुक़ाबले में) धोके के सामान के सिवा कुछ भी नहीं।**" (सूरह आले इमरान 185)

"**दुनियावी ज़िन्दगी का फायदा आखिरत के मुक़ाबले में कुछ भी नहीं मगर बहुत थोड़ा।**" (सूरह तौबा 38)

"**कह दो कि दुनिया का फायदा तो थोड़ा सा है और जो शख्स तक़वा इख्तियार करे उसके लिए आखिरत कहीं ज़्यादा बेहतर है और तुम पर ज़र्रा बराबर ज़ुल्म नहीं होगा।**" (सूरह निसा 77)

"**और यह दुनियावी ज़िन्दगी खेल कूद के सिवा कुछ भी नहीं और हक़ीक़त यह है कि दारे आखिरत ही असल ज़िन्दगी है अगर यह लोग जानते होते।**" (सूरह अंकबूत 64)

"**लोगों के लिए उन चीजों की मोहब्बत खुशनुमा बना दी गइ है जो उनकी नफसानी ख्वाहिश के मुताबिक़ होती है यानी औरतों, बच्चे, सोने चांदी के लगे हुए ढेर, निशान लगाए हुए घोड़ें, चौपाए और खेतियां यह सब दुनियावी ज़िन्दगी का सामान है।**" (सूरह आले इमरान 14)

इसका मतलब हरगिज यह नहीं कि हम दुनियावी ज़िन्दगी को नज़र अंदाज करके रहबानियत इख्तियार कर लें, बल्कि मक़सद यह है कि अल्लाह के खौफ के साथ दुनियावी फानी ज़िन्दगी गुजारें और उखरवी ज़िन्दगी की कामयाबी को हर हाल में तरजीह दें।

अलहमदु लिल्लाह हम अभी ज़िन्दा हैं और मौत का फरिश्ता हमारी जान निकालने के लिए कब आ जाए मालूम नहीं। हुज़ूर अकरम

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पांच उमूर से पहले पांच उमूर से फायदा उठाया जाए। बुढ़ापे आने से पहले जवानी से, मरने से पहले ज़िन्दगी से, काम आने से पहले खाली वक़्त से गुरबत आने से पहले माल से, बीमारी आने से पहले सेहत से। लिहाज़ा हमें तौबा करके नेक आमाल की तरफ सबक़त करनी चाहिए। अल्लाह तआला फरमाता है "**और ऐ मोमिनों! तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।**" (सूरह नूर 31) इसी तरह अल्लाह तआला का फरमान है कह दो कि "**ऐ मेरे वह बन्दो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती कर रखी है यानी गुनाह कर रखे हैं अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, यक़ीन जानो अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है। यक़ीनन वह बहुत बखशने वाला बड़ा मेहरबान है।**" (सूरह ज़ुमर 53)

मेरे अज़ीज़ भाईयो! क़यामत के दिन किसी इंसान का कदम अल्लाह तआला के सामने हट नहीं सकता यहां तक कि वह पांच सवालात का जवाब देदे, ज़िन्दगी कहां गुज़ारी? जवानी कहां लगाई? यानी हुसूले माल के असबाब हलाल थे या हराम। माल कहां खर्च क्या? यानी माल से मुतअल्लिक़ अल्लाह और बन्दों के हुक़ूक़ अदा किए या नहीं। इल्म पर कितना अमल किया?

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लज़्ज़तों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। मौत को याद करने के चंद असबाब यानी वह आमाल जिनसे मौत याद आती है यह हैं:

1) कभी कभी क़ब्रिस्तान जाना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्रों की जियारत किया करो, इससे तुम्हें आखिरत याद रहेगी। (मुसनद अहमद, अबू दाऊद)

2) मुर्दे को गुस्ल देना या उनके गुस्ल के वक़्त हाज़िर रहना।

3) अगर मौक़ा हो तो इंतिक़ाल करने वाले शख्स के आखिरी लम्हात देखना और उनको कलमए शहादत की तलक़ीन करना।

4) जनाज़ा में शिर्कत करना।

5) बीमारों और बूढ़ों से मुलाक़ात करना।

6) आंधी, तूफान और ज़लज़ले के वक़्त इंसानों की कमज़ोरी और अल्लाह तआला की ताकत व कुवत का एतेराफ करना।

7) पहली उम्मतों के वाक़्यात पढ़ना।

मौत को कसरत से याद करने वालों को अल्लाह तआला की जानिब से मज़कूरा आमाल की तौफीक़ होती है

1) गुनाहों से तौबा नसीब होती है।

2) गुनाहों से हिफाज़त होती है।

3) सख्त दिल नर्म हो जाता है और वक़्तन फवक़्तन आंखों से अंसू बह जाते हैं।

4) इबादत में निशात पैदा होती है।

5) दिल क़नाअत पसंद बन जाता है।

6) बहुत सारी दुशवारियां आसान हो जाती हैं।

7) लम्बी लम्बी उम्मीदें और उमंगें कम हो जाती हैं।

8) तवाज़ो और इंकिसारी पैदा होती है जिससे इंसान दूसरों पर ज़ुल्म करने और किब्र करने से महफूज़ रहता है।

9) उखरवी ज़िन्दगी याद रहती है जिससे अल्लाह तआला का खौफ पैदा होता है।

अल्लाह तआला हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक़ अता फरमाए और हमें दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी से नवाज़े, आमीन।

मुरतद की सज़ा क़ुरान व हदीस की रौशनी में

2014 के पारलिमानी एलेक्शन के बाद हिन्दुस्तान की सियासत में ज़बर्दस्त तब्दीली रोनुमा हुई है जिसकी वजह से फिरका परस्त अनासिर के हौसले बहुत बढ़ गए हैं और उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफशानी करके फिरका वाराना हमआहंगी को खत्म करने की सरगर्मियों को तेज़ कर दिया है। चुनांचे कभी शर आमेज़ बयानात से मदारिसे इस्लामिया की किरदार कुशी की जा रही है तो कभी "'लव जिहाद" के नाम से हिन्दुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज बोकर यहां के पुरअमन माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। ताजा वाक़्या आगरा का है जहां एक फितना परवर तंज़ीम ने पैसों और दूसरे माद्दी फवायद का लालच देकर गरीब मुसलमानों को हिन्दू बनाने की नापाक कोशिश की है और अपने इस अमल को "घर वापसी" का नाम दिया है, जिसकी वजह से सूरते हाल बद से बदतर होने का खदशा है। इस्लामी नुक़्तए नज़र में मज़हब की तब्दीली यानी मुरतद हो जाना इंसान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है जो दुनिया व आखिरत हर एतेबार से इंसान को बरबाद करने वाली है, लिहाज़ा मैंने ज़रूरत महसूस की कि क़ुरान व हदीस की रौशनी में इस तबाहकुन गुनाह का ज़िक्र करूं ताकि आम लोग इसके बड़े बड़े नुक़्सानात से वाकिफ हो सकें। अलहमदु लिल्लाह! आगरा के मुसलमानों की तब्दीलिए मज़हब हक़ीक़त में उनके साथ एक धोका साबित हुई जो बहुत जल्द ही उनके सामने वाज़ेह हो गया जिससे फौरन ही वह हज़रात अपने हक़ीक़ी मालिक व राज़िक़ व खालिक़ से ताएब हो कर अपने मज़हबे

इस्लाम में वापस आ गए। अल्लाह तआला उनको इस्लाम पर साबित क़दम रखे, हम तमाम मुसलमानों को दुशमनाने इस्लाम के नापाक इरादों से महफूज़ फरमाए और हमारा खत्मा ईमान पर फरमाए। मज़मून के आखिर में चंद ऐसी तदाबीर भी ज़िक्र की हैं जिन के ज़रिया हम इस तबाहकुन गुनाह से खुद भी बच सकते हैं और अपने भाइयों को भी महफूज़ रख सकते हैं।

इस्लाम में गैर मुस्लिमों के लिए तबलीग व तर्गीब तो है लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक़ जबरन किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर कोई इस्लाम से फिर जाए यानी मुरतद हो जाए तो पहले उसे दोबारा मजहबे इस्लाम क़बूल करने की तर्गीब दी जाएगी और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि वह दोबारा मज़हबे इस्लाम इख्तियार करले ताकि वह हमेशा हमेशा के दर्दनाक अज़ाब से बच जाए। अगर दीने इस्लाम से फिरने वाला यानी मुरतद मज़हब इस्लाम को दोबारा इख्तियार कर लेता है तो उसे अल्लाह तआला से तौबा व इस्तिगफार के साथ कलमए शहादत भी पढ़ना होगा, लेकिन अगर कोई मुरतद दोबारा इस्लाम क़बूल करने के लिए तैयार नहीं है तो जिस तरह दुनियावी हूकूमत के खिलाफ बगावत करने वालों को फांसी पर लटकाया जाता है इसी तरह अल्लाह तआला के बागी को भी किसी तरह की कोई रिआयत नहीं दी जाएगी और उसे इस्लामी हुकूमत क़त्ल कराएगी जैसा कि इब्तिदाए इस्लाम से आज तक तमाम मुफस्सेरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा व उलमा ने क़ुरान व हदीस और खुलफाए राशिदीन के अक़वाल व अफआल की रौशनी में फैसला फरमाया है। हिन्दुस्तान जैसे गैर मुस्लिम ममालिक में इस हुकुम की तंफीज़

अगरचे नहीं हो सकती फिर भी कम से कम एक मुसलमान को यह ज़रूर मालूम होना चाहिए कि शौहर के मुरतद होने पर बीवी का उसके साथ रहना जायज़ नहीं, उसके मुसलमान वालिदैन या क़रीबी रिशतेदार के इंतिक़ाल पर उसको विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और इरतिदाद की हालत में इंतिक़ाल पर उसकी नमाज़े जनाज़ा भी नहीं पढ़ी जाएगी और न मरने के बाद उसके लिए इस्तिगफार किया जाएगा वगैरह वगैरह।

आयाते क़ुरानिया

अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ौम बनी इसराइल के बाज़ लोगों का ज़िक्र फरमाया कि वह बछड़े की इबादत करने की वजह से मुरतद हो गए थे। अल्लाह तआला ने उनके मुतअल्लिक़ हुकुम फरमाया "**लिहाज़ा अब अपने खालिक़ से तौबा करो और अपने आपको क़त्ल करो**" (सूरह बक़रह 54) इस आयत की तफसीर में मुफस्सेरीन ने लिखा है कि जिन लोगों ने गौ साला परस्ती की थी और मुरतद हो गए थे उन लोगों के हाथों से अल्लाह तआला के हुकुम के मुताबिक़ क़त्ल कराया गया जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की थी। उन लोगों का वाक़्या बयान फरमा कर अल्लाह तआला सूरह आराफ 152 में इरशाद फरमाता है "**और यही सज़ा हम देते हें बोहतान बांधने वालों को**।" बनी इसराइल के इस वाक़्ये के ज़िम्न में अल्लाह तआला ने अपनी आदते जारिया बयान फरमाई कि मुरतद होने वाले शख्स को ऐसी ही सज़ा देते हैं या देंगें क्योंकि "नजज़ी" फेल मुज़ारेअ का सीगा है जिसमें हाल और मुस्तक़बिल दोनों के मानी पाए जाते हैं। गरज़ ये कि इस आयत में अल्लाह तआला ने इस्लाम से मुरतद होने वाले शख्स के मुतअल्लिक़ अपना

फैसला बयान फरमाया। क़ुरान व हदीस की रौशनी में उलमाए उम्मत का इत्तिफाक़ है कि गुज़श्ता शरीअतों के अहकाम जब अल्लाह तआला और उसके रसूल ने बयान किए हों और उन पर कोई नकीर न की हो तो उस उम्मत पर वह अमल इसी क़िस्म से बाक़ी रहेगा। इस आयत में अल्लाह तआला ने मुरतद होने वाले शख्स को "वकज़ालिका नजज़िल मुफतरीन" कह कर क़त्ल करने की ताईद की है, नीज़ क़ुरान करीम के पहले मुफस्सिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरतद होने वाले शख्स को वाज़ेह तौर पर क़त्ल करने का हुकुम दिया है।

ज़मीन में फसाद बरपा करने वालों और क़त्ल व गारतगरी करने वालों के लिये सूरह अल माइदह 33 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है "**इन्नामा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू.....**" हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रौशनी मे मुफस्सेरीन ने लिखा है की ये आयत उन लोगों के बारे में भी है जो मुरतद हो गये हों चुनांचे उरैना वालों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल के ऊँटों को हंका ले जाने और उनके चरवाहों को क़त्ल के जुर्म में जो इबरतनाक सज़ा दी इमाम बुखारी इस वाक़्ये को इसी आयत के तहत ज़िक्र किया है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़कात ना देने वालों की जो सरकोबी की वो भी इसी हुकुम के तहत की मुसैलमा कज़्ज़ाब का फ़ितना भी इसी "मुहारबतुल्लाह व रसूलिह" के तहत आता है

अहादीसे नबविया

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने अपना दीन (इस्लाम) बदल दिया तो उसको क़त्ल कर दो। (सही बुखारी, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, मुसनद अहमद)

हज़रत जैद बिन असलम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने अपना दीन (इस्लाम) बदल दिया तो उसकी गर्दन को उड़ा दो। (मुअत्ता मालिक)

हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के एक सूबे का गवर्नर बना कर भेजा जबकि हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके बाद दूसरे सूबे का गवर्नर बना कर भेजा। हज़रत मआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात के लिए गए, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इकरामे ज़ैफ (इज़्ज़त) के लिए हज़रत मआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए तकिया डाला और हज़रत मआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु अभी सवार थे कि उन्होंने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स बंधा हुआ देखा। पूछा यह कौन है? हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यह पहले यहूदी था फिर मुसलमान हुआ उसके बाद फिर यहूदी हो गया। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ऐ मआज़! बैठ जाओ। हज़रत मआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब तक उसको क़त्ल नहीं किया जाएगा मैं नहीं बैठूंगा। अल्लाह तआला और उसके रसूल का

यही फैसला है। तीन दफा हज़रत मआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही फरमाया। फिर इस मुरतद के बारे में क़त्ल का हुकुम दिया गया और वह क़त्ल कर दिया गया। (सही बुखारी व मुस्लिम)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी मुसलमान का जो इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह तआला के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं खून बहाना जायज़ नहीं मगर तीन चीजों में से किसी एक के इरतेकाब पर (1) शादी शुदा होने के बाद ज़िना करे (2) किसी को क़त्ल कर दे तो उसके क़िसास में क़त्ल किया जाएगा और (3) अपने दीने इस्लाम को छोड़ कर मिल्लत से खारिज हो जाए तो क़त्ल किया जाएगा। (सही बुखारी व मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा, मुसनद अहमद)

हज़रत उसमान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान आदमी का खून हलाल नहीं मगर तीन चीजों से। (1) शादी शुदा होने के बाद ज़िना करे (2) किसी को क़त्ल कर दे तो उसके क़िसास में क़त्ल किया जाएगा और (3) अपने दीने इस्लाम को छोड़ कर मिल्लत से खारिज हो जाए तो क़त्ल किया जाएगा। (नसई, इब्ने माजा, मुसनद अहमद)

उम्मुल मोमेनीन हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स अपने दीन

(इस्लाम) से फिर गया तो उसे क़त्ल कर दो। (मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़)

मशहूर ताबई हज़रत अबू क़िलाबा रहमतुल्लाह अलैहि ने खलीफा राशिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की भरी हुई अदालती और इल्मी मजलिस में यह हदीस बयान फरमाई कि अल्लाह की क़सम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी को क़त्ल नहीं किया मगर तीन जरायम में। (वह शख्स जो नाहक़ किसी को क़त्ल करता तो उसे किसास में क़त्ल करते। (2) शादी के बाद ज़िना करता तो उसे क़त्ल करते। (3) इस्लाम से फिर कर मुरतद हो जाता तो उसे क़त्ल करते। (सही बुखारी)

गरज़ ये कि दुनिया में हदीस की कोई भी मशहूर व मारूफ किताब ऐसी मैजूद नहीं है जिसमें तौबा न करने पर मुरतद को क़त्ल किए जाने के मुतअल्लिक़ रहमतुल लिल आलमीन का इरशाद मौजूद न हो।

खुलफाए राशिदीन

शैख जलालुद्दीन सुयूती हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल करते हैं कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और मदीना के इर्द गिर्द में बाज़ हज़रात मुरतद हो गए तो खलीफए वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु शरई हुकुम के मुताबिक़ उनके क़त्ल के लिए खड़े हो गए, हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वक़्त की नज़ाकत के पेशे नज़र उनके क़त्ल में तअम्मुल कर रहे थे, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगरचे हुज़ूर की वफात हो गई और वही बंद हो गई, लेकिन अल्लाह तआला की क़सम मैं ज़रूर उनसे उस वक़्त तक

जिहाद करता रहूंगा जब तक मेरा हाथ तलवार को पकड़ सकेगा। (तारीखुल खुलफा)

इस वाक़्ये के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ मुतवज्जेह हुए जो नुबूवत का दावा करने की वजह से सहाबा के इजमा पर मुरतद क़रार दिया गया था, चुनांचे एक लशकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की सरकरदगी में उसकी तरफ रवाना किया गया जिसने मुसैलमा कज़्ज़ाब को मौत के घाट उतार दिया। (फतहुल बारी)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा अहले इराक़ में से एक मुरतद जमाअत को गिरफतार किया और उनकी सज़ा के बारे में मशवरा के लिए हज़रत उसमान रज़ियल्लाहु अन्हु को खत लिखा, हज़रत उसमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में लिखा कि उन पर दीने हक़ पेश करो, अगर क़बूल कर लें तो उनको छोड़ दो वरना क़त्ल कर दो। इसी तरह हज़रत इमाम बुखारी ने लिखा है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाज़ मुरतदीन को क़त्ल किया। (सही बुखारी) यह उन खुलफाए राशिदीन का अमल है जिन की इक़तिदा के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाली पूरी उम्मत को हुकुम दिया है तुम पर लाज़िम है कि मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाज़िम पकड़ो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अहदे खिलाफत में मुख्तार बिन अबी उबैद को नुबूवत का दावा करने पर क़त्ल किया था। (फतहुल बारी)

उलमाए उम्मत के अक़वाल

क़ुरान व हदीस की रौशनी में खैरूल क़ुरून से असरे हाज़िर तक के जमहूर उलमा का इत्तिफाक़ है कि मुरतद को क़त्ल किया जाएगा अगर वह तौबा करके दोबारा इस्लाम में वापस आने के लिए तैयार नहीं है, इख्तिसार के मद्देनज़र सिर्फ चारों अइम्मा की राय ज़िक्र कर देता हूं।

हज़रत इमाम अबू हनीफा

अक़ीदे की सबसे मशहूर व मारूफ किताब लिखने वाले मिस्री हनफी आलिम इमाम तहावी हज़रत इमाम अबू हनीफा और उलमाए अहनाफ का क़ौल नक़ल करते हुए लिखते हैं मुरतद के बारे में उलमा की रायें मुख्तलिफ हैं कि क्या उससे तौबा का मुतालबा किया जाएगा या नहीं? उलमा की एक जमाअत कहती है कि अगर हाकिम मुरतद से तौबा करने का मुतालबा करे तो अच्छा है, तौबा न करे तो क़त्ल कर दिया जाए। हज़रत इमाम अबू हनीफा, हज़रत इमाम अबू यूसुफ और हज़रत इमाम मोहम्मद का यही क़ौल है। उलमा की दूसरी जमाअत फरमाती हे कि मुरतद से तौबा का मुतालबा न किया जाए जैसाकि दारूल हर्ब के कुफ्फार को जब दावते इस्लाम पहुंच जाए तो फिर उनको इस्लाम की दावत देने की ज़रूरत नहीं, न पहुंची हो तो दावत दी जाए और तौबा का मुतालबा उस वक़्त वाजिब है जबकि कोई शख्स इस्लाम से बेसमझी की वजह से कुफ्र की तरफ चला जाए। रहा वह शख्स जो सोचे समझे तरीक़े पर इस्लाम से कुफ्र की तरफ चला जाए तो उसे क़त्ल किया जाएगा और उससे तौबा का मुतालबा नहीं किया जाएगा। हां अगर वह मेरे इक़दाम से पहले ही

तौबा कर ले तो मैं उसे छोड़ दूंगा और उसका मामला अल्लाह तआला के हवाले कर दूंगा। (तहावी)

हज़रत इमाम मालिक

उस शख्स के बारे में जो इस्लाम से फिर जाए इमाम मालिक हज़रत ज़ैद बिन असलम से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अपना दीन बदल दिया तो तुम उसकी गर्दन उड़ा दो। इमाम मालिक फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मानी यह हैं कि जो शख्स इस्लाम से निकल कर ज़नादिक़ा वगैरहुम में जा मिला, ऐसे ज़नादिक़ा पर जब मुसलमानों का गलबा हो जाए तो उनसे तौबा तलब किए बेगैर उनको क़त्ल किया जाए। बाक़ी रहे वह लोग जो सिर्फ इस्लाम से कुफ्र की तरफ चले गए तो उनसे तौबा करने को कहा जाएगा, वरना उनका क़त्ल कर दिया जाएगा। (मुअत्ता मालिक)

हज़रत इमाम शाफई

उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि मुरतद पर न एहसान किया जाए और न उससे फिदया लिया जाए और उसको उसके हाल पर भी नहीं छोड़ा जाएगा यहां तक कि वह मुसलमान हो जाए या क़त्ल कर दिया जाए। (किताबुल उम) मशहूर शाफई आलिम व मुहद्दिस इमाम नववी लिखते हैं कि तमाम अहले इस्लाम का मुरतद के क़त्ल करने पर इजमा है, हां इख्तिलाफ है कि मुरतद पर तौबा पेश करना वाजिब है या मुस्तहब? (शरह मुस्लिम)

हज़रत इमाम अहमद

मशहूर व मारूफ हमबली अलिमे दीन इमाम इब्ने क़ुदामा लिखते हैं कि अक्सर अहले इल्म यह कहते हैं कि मुरतद को उस पर तौबा

पेश किए बेगैर न क़त्ल किया जाए जिन में हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अता, इमाम नखई, इमाम मालिक, इमाम सौरी, इमाम औज़ाई, इमाम इसहाक़ और फुक़हाए अहनाफ शामिल हैं और हज़रत इमाम शाफइ का भी एक क़ौल यही है और हज़रत इमाम अहमद से एक दूसरी रिवायत में है कि मुरतद से तौबा का मुतालबा वाजिब नहीं है, लेकिन मुस्तहब है और हज़रत हसन बसरी से भी यही मंक़ूल है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपना दीन (इस्लाम) बदल दे तो उसे क़त्ल कर दो। तौबा का मुतालबा इसमें मज़कूर नहीं है। (मुगनी)

गरज़ ये कि क़ुरान व हदीस और खुलफाए राशिदीन के अक़वाल व अफआल की रौशनी में तमाम मुफस्सेरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा व उलमा ने यही फैसला फरमाया है कि मुरतद को क़त्ल किया जाएगा अगर वह तौबा करके दोबारा इस्लाम में वापस आने के लिए तैयार नहीं है।

इस मुसीबत से बचने की चंद तदाबीर

इस तबाह कुन गुनाह से बचने और अपने भाइयों के बचाने के लिए हमें चाहिए कि हम जज़्बात पर काबू रखते हुए हिकमत व बसीरत के साथ नीचे लिखे हुए तदाबीर को इख्तियार करें, ताकि दुशमन अपने नापाक इरादे में कामयाब न हो सके। इंशाअल्लाह यह आमाल हमारे भाइयों के लिए इस दुशवार कुन घड़ी में इंतिहाई मुफीद साबित होंगे।

1) अल्लाह के घर यानी मसाजिद से अपने खुसूसी तअल्लुक़ रखें क्योंकि मसाजिद मुसलमानों की न सिर्फ तरबियतगाहें हैं बल्कि मसाजिद मुस्लिम मुआशरे की अक्कासी करती हैं जैसा कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सात क़िस्म के आदमी हैं जिनको अल्लाह तआला अपनी (रहमत के) साये में ऐसे दिन जगह अता फरमाएगा जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया न होगा। उन सात लोगों में एक वह शख्स वह भी है जिसका दिल मस्जिद से अटका हुआ हो। दुनिया में सबसे पहला घर बैतुल्लाह है जो मस्जिदे हराम के बीच में वाक़े है जिसकी तरफ रुख करके हम ईमान के बाद सबसे अहम रुक्न यानी नमाज़ की अदाएगी करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने से थोड़ा पहले क़ुबा में और मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी जो बाद में मस्जिदे नबवी के नाम से जानी जाती है। जो इस्लाम के दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने का ज़रिया बनी। लिहाज़ा हम खुद भी नमाजों का एहतेमाम करें और इस बात की कोशिश करें कि हमारी मस्जिदें आबाद हों। अगर हमारा तअल्लुक़ मस्जिद से जुड़ा हुआ है तो जहां अल्लाह तआला से क़ुर्बत हासिल होगी वहीं इंशाअल्लाह दुशमनाने इस्लाम की तमाम कोशिशें भी रायगां होंगी।

2) उलमाए किराम और अवाम के दरमियान रिशते को मज़बूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह तआला ने उलमा के मुतअल्लिक़ यह एलान फरमाया "**अल्लाह से उसके बन्दों में से वही लोग डरते हैं जो इल्म रखते हैं।**" (सूरह फातिर 28) आज इल्मी सतह पर दुशमनाने इस्लाम का मक़सद है कि इस्लामी तहज़ीब को खत्म करके मुसलमानों पर अपनी तहज़ीब थोप दें। उलमाए किराम इनके मक़सद की तकमील में रुकावट बने हुए हैं, लिहाज़ा दुशमानाने इस्लाम उलमाए किराम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और

उलमाए किराम और अवाम के दरमियान मज़बूत रिश्ते को तोड़ने के लिए उलमाए किराम और मदारिसे इस्लामिया की गलत इमेज लोगों के सामने पेश करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं जिस में वह इंशाअल्लाह नाकाम व नामुराद होंगे क्योंकि उलमाए किराम ने बच्चे की विलादत के वक़्त कान में अज़ान देने से लेकर नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने तक उम्मते मुस्लिमा की दीनी तालीमी व समाजी रहनुमाई के लिए ऐसी खिदमात पेश की हैं कि एक मुसलमान भी ऐसा नहीं मिल सकता जो उन खिदमात से मुस्तफीज़ न हुआ हो।

3) मौजूदा मकातिब व मदारिस की बक़ा के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और जिन इलाकों या देहातों में मकातिब व मदारिस नहीं हैं वहां मकातिब व मदारिस के क़याम की फिक्र करें। क़ुरान व हदीस की हिफाज़त व खिदमत में मकातिब व मदारिस ने जो किरदार अदा किया है वह तारीख का एक नाक़ाबिले फरामोश हिस्सा है, बर्रे सगीर में क़ुरान व हदीस की मुख्तलिफ तरीक़ों से बिलवास्ता या बिलावास्ता खिदमत अंजाम देने में इन्हीं मकातिब व मदारिस का रोल है।

4) स्कूल व कालेज में ज़ेरे तालीम बच्चों की दीनी तालीम की फिक्र करें, क्योंकि आज जो तलबा असरी दरसगाहों से पढ़ कर निकलते हैं उनमें एक बड़ी तादाद दीन से बेबहरा लोगों की होती है और क़ाबिले लिहाज़ तादाद तो दीन से बेज़ार लोगों की होती है। लिहाज़ा मुसलमानों के ज़ेरे एहतेमाम यूनिवर्सिटियों, कालेजों और स्कूलों के ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त है कि दीनी तालीम व तरबियत को सिर्फ नाम के लिए न रखा जाए कि न असातज़ा उसे अहमियत दें और न तलबा व तालिबात, बल्कि शरई ज़िम्मेदारी समझ कर उनकी दीनी

तालीम व तरबियत पर खास तवज्जोह दी जाए। बच्चों के वालिदैन और सरपरस्तों की भी ज़िम्मेदारी है कि स्कूलों व कालेजों का इंतिखाब ईमान व अक़ीदे की हिफाज़त की फिक्र के साथ करें। जब तक हमारे बच्चे दीनी तालीम से वाकिफ नहीं होंगे हम किस तरह उनको दुशमनाने इस्लाम की नापाक साजिशों से महफूज़ रख सकते हैं। यक़ीनन हम अपने बच्चों को डाक्टर इंजीनियर और डिज़ाइनर बनाएं लेकिन सब से पहले उनको मुसलमान बनाएं। लिहाज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान की ज़रूरी मालूमात के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इस्लामी तारीख से उनको ज़रूर रौशनास कराएं।

5) हिकमत व बसीरत के साथ एक दूसरे को दीने इस्लाम की दावत देते रहें क्योंकि सिलसिलए नुबूवत खत्म हो जाने के बाद दावत व तबलीग की अज़ीम ज़िम्मेदारी इस उम्मते मोहम्मदिया के हर हर फर्द पर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक़ लाज़मी क़रार दी गई जैसा अल्लाह तआला अपने पाक कलाम (सूरह तौबा 17) में इरशाद फरमाया है कि "**मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं अच्छी बातों का हुकुम देते हैं बुरी बातों से रोकते हैं, नमाज़ क़ायम करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, यह वह लोग हैं जिन पर अल्लाह तआला अंकरीब रहम फरमाने वाला है।**" इस आयत में अल्लाह तआला ने मोमिन मर्द और मोमिन औरतों की चंद सिफात ज़िक्र फरमाई हैं जिनमें सबसे पहली सिफत ज़िक्र की कि वह अच्छी बातों का हुकुम देते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं।

6) मालदार और ज़ीहैसियत हज़रात अपने तआवुन की रक़म का एक क़ाबिले क़दर हिस्सा मुसलमानों के कमज़ोर तबक़े के लिए मुख्तस करें। अल्लाह तआला ने इंसान को अपनी इबादत व इताअत का मुकल्लफ करते हुए इस रूए ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया, ताकि इंसान अल्लाह तआला की शरीअत पर अमल करे और एक मुंसिफाना समाज की तशकील के लिए कोशां रहे। इस मक़सद के हुसूल के लिए यक़ीनन जिस्मानी व माली दोनों तरह की क़ुर्बानी दरकार होती है जैसा कि अल्लाह तआला फरमाता है "**जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे हरगिज़ भलाई नहीं पाओगे।**" (सूरह आले इमरान 92) लिहाज़ा हम अपनी ज़कात की अदाएगी के एहतेमाम साथ अपने माल में से कुछ हिस्सा ज़रूर कमज़ोर तबक़े की फलाह व बबहूद पर लगाएं। आज अगर हम ज़कात की सही तरीक़े से अदाएगी करने वाले बन जाएं तो उम्मते मुस्लिमा के बेशुमार मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह।

अल्लाह तआला हम सबको अपनी रज़ा वाले काम करने की तौफीक़ अता फरमा, बर्रे सगीर के उलमा व मदारिस की हिफाज़त फरमा, इस्लाम मुखालिफ अनासिर को सफहे हस्ती से मिटा दे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, आमीन।

क्या ऊंट के दूध और पेशाब से बीमारी का इलाज किया जा सकता है?

मौज़ूए बहस मसअला की वज़ाहत से पहले सही बुखारी में वारिद तीन मुसलसल अहादीस का तरजुमा पेश करता हूं।

1) हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक साहब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि मेरा भाई पेट की तकलीफ में मुबतला है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें शहद पिलाओ। फिर दूसरी मरतबा वही साहब हाज़िर हुए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मरतबा भी शहद पिलाने के लिए कहा। वह फिर तीसरी बार हाज़िर हुए (और अर्ज़ किया कि शहद पिलाया लेकिन शिफा नहीं हुई) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि उन्हें शहद पिलाओ। वह फिर आये और कहा कि (हुकुम के मुताबिक़) मैने अमल किया (लेकिन शिफा नही हुई) हुज़ूर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला सच्चा है और तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, उन्हें फिर शहद पिलाओ, चुनांचे उन्होंने शहद फिर पिलाया और इसी से सेहतयाब हो गए। (सही बुखारी)

2) हज़रत साबित हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि कुछ लोगों को बीमारी थी उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह! हमें क़याम की जगह इनायत फरमाइए और हमारे खाने का इंतिज़ाम फरमाइए। फिर जब वह लोग सेहतमंद हो गए तो उन्होंने कहा कि मदीना की आब व हवा खराब है, चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम ने हर्रा में ऊंटों के साथ उनके क़याम का इंतिजाम कर दिया और फरमाया कि उनका दूध पियो। जब वह सेहतमंद हो गए तो उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को क़त्ल कर दिया और ऊंट हांक कर ले गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे आदमी दौड़ाये और (जैसा उन्होंने चरवाहे के साथ सुलूक किया था) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके हाथ पांव कटवा दिए और उनकी आंखों में सलाई फेरवा दी। मैंने उनमें से एक शख्स को देखा कि ज़बान से ज़मीन चाटता था और उसी हालत में मर गया। (सही बुखारी)

3) हज़रत क़तादा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है करते हैं कि (उरैना के) कुछ लोगों को मदीना की आब व हवा मुवाफिक़ नहीं आई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे के यहां चले जाऐं, यानी ऊंटों के पास और उनका दूध और पेशाब पियें। चुनांचे वह लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे के पास चले गए और ऊंटों का दूध और पेशाब पिया। जब वह सेहतयाब हो गए तो उन्होंने चरवाहे को क़त्ल कर दिया और ऊंटों को हांक ले गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तलाश करने के लिए भेजा। जब उन्हें लाया गया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकुम से उनके हाथ और पांव काट दिए गए और उनकी आंखों में सलाई फेर दी गई। (सही बुखारी)

मजकूरा वाक़्ये की क़दरे तफसील

क़बीला उरैना और क़बीला अकल के तक़रीबन 8 हज़रात मदीना तशरीफ लाए और उन्होंने यह दावा किया कि हम मुलसमान हो गए हैं। वह मर्ज़ुल जुवा में मुबतला हो गए, मर्ज़ुल जुवा पेट की एक बीमारी है जिसमें पेट फूल जाता है और प्यास बहुत लगती है। इस मर्ज़ को इसतिस्क़ा भी कहते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना शहर से थोड़ा बाहर अपने सदक़े के ऊंटों के पास भेज दिया ताकि खुली फिज़ा में ताज़ा आब व हवा में रहें और सही बुखारी की हदीस के मुताबिक़ उन्हे ऊंट के दूध पीने को कहा, जबकि सही बुखारी की दूसरी हदीस के मुताबिक़ उन्हे ऊंट के दूध और पेशाब पीने का हुकुम दिया, चुनांचे वह शिफायाब हो गए। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एहसान का बदला खयानत और खबासत की शकल में इस तरह दिया कि उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को ज़ुल्मन क़त्ल कर दिया और उसकी आंखों में सलाई फेर दी। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे कुछ हज़रात भेजे ताकि उनको गिरफ्तार करके लाया जाए, जब उन्हें गिरफ्तार करके लाया गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह से उनका क़त्ल करवाया जिस तरह उन्होंने चरवाहे को क़त्ल किया था, चुनांचे उनके हाथ पांव कटवा कर उनकी आंखों में सलाई फेरवा दी। यह वाक़्या मुस्ला की मुमानअत के नुज़ूल से पहले का है जैसा कि सही बुखारी में हदीस के आखिर में इसकी वज़ाहत मज़कूर है, हज़रत क़तादा ने बयान किया कि मुझसे मोहम्मद बिन सीरीन ने हदीस

बयान की है कि यह हुदूद के नाज़िल होने से पहले का वाक़्या है (बाद में इस तरह की सज़ा की मुमानअत नाज़िल हो गई)। किसी शख्स के बाज़ आज़ा काट कर या उनको मस्ख करके बेदर्दी से क़त्ल करने को मुसला कहते हैं।

हलाल जानवरों का भी पेशाब नापाक है

मौज़ूए बहस मसअला को समझने से पहले एक दूसरे मसअले को भी समझना होगा कि जिन जानवरों को गोश्त खाया जाता है यानी हलाल जानवर मसलन बकरा, बकरी, गाए, भैंस और ऊंट वगैरह क्या उनका पेशाब पाक है या नापाक? क़ुरान व हदीस की रौशनी में हज़रत इमाम अबू हनीफा, हज़रत इमाम शाफई और दूसरे फुक़हा मसलन इमाम सुफयान सौरी की राय है कि इंसान के पेशाब की तरह हर जानवर का पेशाब नापाक है। एक रिवायत के मुताबिक़ हज़रत इमाम अहमद बिन हमबल की भी यही राय है। अलबत्ता इमाम मालिक और बाज़ दूसर उलमा की राय है कि जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनका पेशाब पाक है और जिन जानवरों का गोश्त नहीं खाया जाता उनका पेशाब नापाक है। हज़रत इमाम मालिक ने इसके लिए बुनियादी तौर पर दो दलीलें पेश की हैं। पहली दलील हज़रत क़तादा से मरवी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की वह मज़कूरा बाला हदीस जिसमें पेशाब पीने का ज़िक्र आया है, वजहे इस्तिदलाल यह है कि अगर पेशाब पाक न होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीने का हुकुम क्यों देते। दूसरी दलील यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरियों के बाड़े (रहने की जगह) में नमाज़ पढ़ सकते हो। वजहे इस्तिदलाल यह है कि अगर उनका पेशाब नापाक होता तो आप

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त क्यों देते। हालांकि इन दोनों अहादीस से हलाल जानवरों के पेशाब के पाक होने की दलील बनाना क़ाबिले एतेराज़ है क्योंकि पहली हदीस से ज़्यादा से ज़्यादा यह साबित होता है कि बीमारी के लिए पेशाब का इस्तेमाल किया जा सकता है, नीज़ अक्सर उलमा ने इस वाक़्ये को खुसूसी व इस्तिसनाई वाक़्या क़रार दिया है जबकि दूसरी हदीस के पूरे अल्फाज़ (यानी बकरियों के रहने की जगह में नमाज़ अदा कर लो लेकिन ऊंटों के रहने की जगह में नमाज़ अदा न करो) से वाज़ेह तौर पर हमारे ही मौक़िफ की ताईद होती है कि हलाल जानवर का पेशाब भी नापाक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के रहने की जगह में नमाज़ अदा करने से मना किया है। दोनों दलीलों का तफसीली जवाब आगे आ रहा है।

जिन फुक़हा व उलमा (इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई और इमाम सुफयान सौरी) ने तमाम जानवरों के पेशाब को नापाक क़रार दिया है वह दलील के तौर पर इस हदीस को पेश करते हैं जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पेशाब से बचो, क्योंकि आम तौर पर क़ब्र का अज़ाब पेशाब से न बचने की वजह से होता है। (मुस्तदरक, इब्ने माजा, दारे क़ुतनी, सही इब्ने खुज़ैमा) शैख हाकिम ने इस हदीस को सही अला शर्तिल बुखारी क़रार दिया है। इस हदीस को अल्लाम हैसमी ने भी (मजमउज़्ज़वायद) में ज़िक्र किया है। गरज़ ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर पर पेशाब से बचने का हुकुम दिया है और किसी इंसान या जानवर के पेशाब की कोई तख्सीस नहीं की। दूसरी दलील मुसनद अहमद में वारिद हदीस है

जिसमें मज़कूर है कि दफन के बाद मैयित को कब्र ने जोर से भींचा और दबा दिया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह अज़ाब उनके पेशाब से न बचने की वजह से था। गरज़ ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पेशाब से बचने की हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िन्दगी में एक मरतबा भी हलाल व हराम जानवरों के पेशाब में कोई फर्क़ बयान नहीं फरमाया।

नीज़ शरइ व तिब्बी दोनों एतेबार से दूर दूर तक पेशाब का गोश्त से कोई तअल्लुक़ समझने में नहीं आता कि जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनका पेशाब पाक हो और जिन जानवरों का गोश्त नहीं खाया जाता हे उनका पेशाब नापाक हो, इसी तरह गोश्त खाए जाने वाले जानवरों के पाखाना को नापाक और उनके पेशाब को को पाक क़रार देने, नीज़ इंसान के पेशाब को नापाक और गोश्त खाए जाने वाले जानवर के पेशाब को पाक क़रार देने की कोई मंतिक़ समझ में नहीं आती, हालांकि क़ुरान व हदीस में ऐसी कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है जिसमें सिर्फ गोश्त खाए जाने वाले जानवरों के पेशाब को पाक क़रार दिया जाए। अगर यह बात मान भी ला जाए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी के इलाज के लिए ऊंट का पेशाब पीने की इजाज़त दी थी मगर यह भी तो बहुत मुमकिन है कि उस ज़माने में इस बीमारी का इलाज उसके इलावा कुछ और नहीं हो इस लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी हो मगर इससे यह कैसे लाज़िम आया कि सिर्फ गोश्त खाए जाने वाले जानवरों का पेशाब पाक है और जहां तक उस हदीस का तअल्लुक़ है कि जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

ने बकरियों के रहने की जगह में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी है तो उस हदीस के पूरे अल्फाज़ यह हैं "बकरियों के रहने की जगह में नमाज़ अदा कर लो लेकिन ऊंटों के रहने की जगह में नमाज़ अदा न करो" इस हदीस के मानी यह हैं कि बकरियों का पेशाब आम तौर पर दूर दूर नहीं जाता है, लिहाज़ा बकरियों के रहने की जगह में तो किसी पाक व साफ जगह में नमाज़ पढ़ सकते हो लेकिन ऊंट का पेशाब दूर दूर तक बहता है लिहाज़ा ऊंट के रहने की जगह में पाक व साफ जगह का मौजूद होना दुशवार है, लिहाज़ा ऊंट के रहने की जगह में नमाज़ अदा न करो। हक़ीक़त यह है कि इस हदीस से हज़रत इमाम अबू हनीफा के मौक़िफ की ही ताईद होती है कि बकरी और ऊंट का पेशाब भी नापाक है।

ऊंट के दूध या दूध और पेशाब से बाज़ बीमारी का इलाज

इस किस्म का सिर्फ एक वाक़्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िन्दगी में पेश आया था, इसके बाद सहाबा के ज़माने में भी कभी ऐसा वाक़्या पेश नहीं आया। जहां तक सही बुखारी में मज़कूर हदीस का तअल्लुक़ है तो उलमाए अहनाफ व शवाफे ने इस के बहुत से वुजूहात दिए हैं जिनमें से तीन जवाबात ज़ैल हैं।

1) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिया बतला दिया गया था कि ऊंट का पेशाब पिये बेगैर उनकी शिफा और ज़िन्दगी मुमकिन नहीं, इस तरह यह लोग मुज़तर के हुकुम में आ गए और मुज़तर के के लिए नजिस चीज़ का इस्तेमाल जायज़ है, यानी अगर किसी इंसान की जान खतरे में हो तो उसकी जान बचाने के लिए हराम चीज़ से इलाज किया जा सकता है।

2) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब पीने का हुकुम नहीं दिया था बल्कि उसके खारजी इस्तेमाल का हुकुम दिया था और असल इबारत यूं थीं "इशरबू मिन अल्बनिहा वज़मिदू मिन आबवलिहा", "इज़मिदू" के मानी हैं लेप चढ़ाना।

3) बहुत से शवाहिद दलालत कर रहे हैं कि यह वाक़्या 6 हिजरी से पहले का है खुद हदीस के रावी हज़रत क़तादा ने बयान किया कि मुझसे मोहम्मद बिन सीरीन ने हदीस बयान की है कि यह हदूद के नाज़िल होने से पहले का वाक़्या है (बाद में इस तरह की सज़ा की मुमानअत नाज़िल हो गई) यानी यह वाक़्या मुसला की हुरमत से पहले का है, जबकि पेशाब से न बचने पर अज़ाबे कब्र की हदीस इस वाक़्या से बाद की है, क्योंकि वह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु 7 हिजरी में इस्लाम लाए थे, लिहाज़ा हज़रत क़तादा से मरवी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस मंसूख है। नीज़ इस हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुसला फरमाया और मुसला बिलइत्तिफाक मंसूख है, लिहाज़ा ज़ाहिर यही है कि यह हुकुम भी मंसूख हो गया हो और इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि इस वाक़्या के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इस क़िस्म का इलाज नहीं बताया और न किसी सहाबी से इस क़िस्म का इलाज करना मंकूल है।

4) सही बुखारी में ही इस हदीस से पहले हज़रत साबित से मरवी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की दूसरी हदीस भी मज़कूर है जिसमें उन्हीं हज़रात का इलाज सिर्फ दूध से मज़कूर है, इस हदीस में पेशाब का दूर दूर तक कोई ज़िक्र नहीं है, इस लिए इस क़िस्म

की बीमारी का इलाज सिर्फ ऊंट से भी किया जाता है। नीज़ सही बुखारी में इन दोनों आहादीस से पहले पेट की बीमारी का इलाज शहद से भी मज़कूर है, लिहाज़ा एहतियात इसी में है कि अगर दुनिया में बीमारी का इलाज मौजूद हो तो पेशाब पी कर इलाज न किया जाए, बल्कि सही बुखारी में वारिद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की रौशनी में पहले शहद, सिर्फ ऊंट के दूध या दूसरी दवाओं से किया जाए और अगर कोई दवा असर नहीं कर रही है और जान का खतरा है तो फिर ऊंट के पेशाब से इलाज किया जा सकता है।

सउदी अरब के मशहूर मुसन्निफ मोहम्मद बिन अब्दुल लतीफ आल शैख ने इस मौज़ू पर एक मज़मून लिखा है जो मशहूर व मारूफ वेबसाइट अलअरबिया पर पढ़ा जा सकता है। मुनासिब मालूमात होता है कि इस मौक़े पर इसका खुलासए कलाम पेश कर दूं ताकि मसअला मज़ीद वाज़ेह हो जाए। उन्होंने शुरू में लिखा है कि बावजूद कि मैं क़ुरान व हदीस पर मुकम्मल तौर पर ईमान लाया हूं और इस बात पर भी मेरा मुकम्मल यक़ीन है कि क़ुरान करीम के बाद सही बुखारी व सही मुस्लिम दो अहम व मुस्तनद सही किताबें हैं, मगर सही बुखारी में वारिद उस हदीस के अल्फाज़ से मुकम्मल तौर पर मुतमिइन नहीं हूं जिसमें ऊंट के पेशाब से इलाज का ज़िक्र वारिद हुआ है। ज़्यादा बेहतर मालूम होता है कि हम इस हदीस के तअल्लुक़ से जलीलुल क़दर फक़ीह हज़रत इमाम अबू हनीफा वाला मौक़िफ इख्तियार करें कि यह एक खुसूसी वाक़्या है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही बतलाया गया था कि ऊंट का पेशाब पिये बेगैर उन हज़रात की शिफा और ज़िन्दगी

मुमकिन नहीं है, यानी इस हदीस में उमूमी हुकुम नहीं है कि कोई भी शख्स ऊंट के पेशाब से इलाज करे जैसा कि बाज़ उलमा ने समझा है। गरज़ ये कि यह एक खुसूसी वाक़्या है जिस तरह जमहूर उलमा ने सही मुस्लिम में वारिद हदीस को खुसूसी वाक़्या क़रार दिया है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की अहलिया को हुकुम दिया था कि वह हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम हज़रत सालिम को दूध पिला दें जिस से दोनों के दरमियान हुरमत साबित हो जाए, हालांकि क़ुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि दो साल के बाद दूध पिलाने से हूरमत साबित नहीं होगी यानी मां बेटे का रिशता नहीं बन सकता। तो जिस तरह से जमहूर उलमा ने सही मुस्लिम में वारिद इस वाक़्ये को खुसूसी व इस्तिसनाई क़रार दिया है इसी तरह ऊंट के पेशाब से इलाज वाले वाक़्ये को भी खास क़रार दिया जाए, क्योंकि तिब्बी एतेबार से यह बात समझ में नहीं आती कि पेशाब जिसमें मुख्तलिफ क़िस्म के ज़हर होते हैं इसको पी कर किसी तरह का इलाज किया जा सकता है। नीज़ यह हज़रात अल्लाह के इल्म में काफिर थे और बहुत मुमकिन है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिये बतला दिया गया हो कि यह लोग मुरतद हो कर मर जाएंगे, लिहाज़ा अल्लाह तआला ने काफिर की शिफा एक नापाक चीज़ में रख दी थी। मौसूफ ने मज़ीद लिखा है कि हदीस की सनद सही होने के बावजूद हदीस में वारिद पेशाब के लफ्ज़ पर भी तो कलाम किया जा सकता है जिस तरह शैख मोहम्मद उसैमीन ने सही मुस्लिम में वारिद मशहूर

व मारूफ जस्सासा वाली हदीस के अल्फाज़ व मफहूम पर अपने अदमे इतमिनान का इज़हार किया है।

गरज़ ये कि इंसान और हराम जानवरों की तरह हलाल जानवरों का पेशाब भी नापाक है और सही बुखारी में वारिद ऊंट के पेशाब से इलाज वाला वाक़्या खुसूसी व इस्तिसनाई है। नीज़ इस हदीस में कुछ शक व शुबहात भी हैं, क्योंकि इस से पहले वाली हदीस में इसी वाक़्या पर सिर्फ ऊंट के दूध से इलाज मज़कूर है और इसमें दूर दूर तक कहीं भी ऊंट के पेशाब का ज़िक्र नहीं है नीज़ इस हदीस में मुसला का भी ज़िक्र है जो बाद में नाजायज़ हो गया। लिहाज़ा हम ऊंट के पेशाब से इलाज उसी सूरत में करायें जब बीमारी का दुनिया में कोई इलाज न हो और ज़िन्दगी खतरे में हो।

आफताब के डूबने के वक़्त
छोटे बच्चों का बाहर जाने से रोकना

अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल व अमल को क़यामत क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए उसवा यानी नमूना बनाया है। (लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना)। हमारा ईमान है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुकुम बजालाने में ही दोनों जहाँ की कामयाबी पोशीदा है। इस वक़्त एक ऐसे मसअला का ज़िक्र करना चाहता हूँ जिस पर तकरीबन हर खास व आम का अमल खत्म हो गया है और वह है सूरज डूबने के वक़्त छोटे बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना करना।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**जब सूरज के डूबने का वक़्त आ जाए तो अपने बच्चों को बाहर निकलने से रोको क्योंकि उस वक़्त शैतान फैल जाते हैं। जब रात का कुछ हिस्सा गुज़र जाए तो बाहर जाने दिया जाए**।" (सही बुखारी- किताब बदउल इखालक, बाब सुफ्फा इबलीस व जुनूदेहि 3280)

इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**सूरज डूबने के वक़्त चैपायों और बच्चों को बाहर न भेजो क्योंकि सूरज डूबने के वक़्त शैतान फैल जाते हैं। जब रात का कुछ हिस्सा गुज़र जाए तो बाहर जाने दो**।" (सही मुस्लिम- किताबुल उशरिबा, बाबुल अमर बितगीतिल अनाए व ईकाए 3764)

सही बुखारी व सही मुस्लिम की इन दोनों अहादीस और इस मौज़ू पर दूसरे अहादीसे नबविया की रोशनी में खैरूल क़ुरून से अस्रे हाज़िर के मुहद्दिसीन, मुफस्सेरीन और उलमा-ए-किराम ने कहा है कि सूरज

डूबने से कुछ पहले और सूरज डूबने के कुछ देर तक छोटे बच्चों को बाहर निकलने से रोकना चाहिए। लेकिन दूसरी अहादीसे नबविया की रोशनी में उलमा-ए-किराम ने लिखा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुकुम इल्ज़ामी नहीं है बल्कि तर्गीबी है यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के अफराद को तर्गीब दी है कि उस वक़्त छोटे बच्चों को घर ही में रखें।

दो इबरतनाक वाक़्या

झूठ बोलना सख्त गुनाह और इंसान को तबाह करने वाला

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बनी इसराइल में तीन शख्स थे, एक कोढ़ी, एक नाबीना और एक गंजा। अल्लाह तआला ने उन तीनों बन्दों का इमतेहान लेना चाहा, चुनांचे अल्लाह तआला ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा, फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? उस कोढ़ी ने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी जिल्द क्योंकि (कोढ़ी होने की वजह से) मुझसे लोग नफरत करते हैं। फरिश्ता ने उस पर अपना हाथ फेरा तो (अल्लाह के हुकुम से) उसकी बीमारी जाती रही और उसका रंग भी खुबसूरत हो गया और जिल्द भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा किस तरह का माल तुम ज़्यादा पसंद करते हो? उसने कहा ऊंट, चुनांचे उसे हामला ऊंटनी अता की गई और कहा गया कि अल्लाह तआला तुम्हें इसमें बरकत देगा।

फिर फरिश्ता गंजे के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा उम्दा बाल ताकि मेरा मौजूदा ऐब खत्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझे पसंद नहीं करते हैं। फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसका ऐब (अल्लह के हुकुम से) जाता रहा और उसके बजाए उमदा बाल आ गए। फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुमको पसंद करोगे? उसने कहा कि गाए। फरिश्ते ने

उसे हामला गाए दे दी और कहा कि अल्लाह तआला तुम्हें इसमें बरकत देगा।

फिर फरिश्ता तीसरे शख्स अंधे के पास गया और कहा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? अंधे शख्स ने कहा अल्लाह तआला मुझे बसारत दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह तआला ने उसकी बीनाई वापस कर दी। फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोग? उसने कहा बकरियां। फरिशते ने उसे हामला बकरी दे दी। तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए (और कुछ अरसे में इतनी बरकत हुई कि) कोढ़ी के ऊंटों से उसकी वादी भर गई, गंजे के गाए बैल से उसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से उसकी वादी भर गई। दोबारा फरिश्ता अपनी उसी शक्ल व सूरत में कोढ़ी के यहां गया और कहा कि मैं एक निहायत मिसकीन आदमी हूं, सफर का तमाम सामान व असबाब खत्म हो चुका है और अल्लाह तआला के सिवा और किसी से मक़सद बरआवरी की उम्मीद नहीं लेकिन मैं तुमसे उसी ज़ात का वास्ता दे कर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और अच्छी जिल्द और माल अता किया एक ऊंट का सवाल करता हूं जिस से सफर की ज़रूरियात पूरी कर सकूं, उसने फरिश्ता से कहा कि हुक़ूक़ और बहुत से हैं (तुम्हारे लिए गुनजाइश नहीं) फरिश्ता ने कहा गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूं, क्या तुम्हें कोढ़ की बीमारी नही थी जिसकी वजह से लोग तुमसे नफरत किया करते थे, एक फक़ीर की दुआ व कोशिश से तुम्हें अल्लाह तआला ने यह चीज़ अता कीं। उसने कहा कि यह सारी दौलत तो नसल दर नसल चली आ रही है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तआला तुमको अपनी पहली हालत पर लौटा दे।

फिर फरिश्ता अपनी उसी शकल व सूरत में गंजे के पास गया और उससे भी वही दरखास्त की। उस गंजे ने भी वही जवाब दिया जो कोढ़ी ने जवाब दिया था। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तआला तुमको अपनी पहली हालत पर लौटा दे।

उसके बाद फरिश्ता अपनी उसी शकल व सूरत में अंधे के पास गया और कहा कि मैं एक निहायत मिसकीन आदमी हूं, सफर के तमाम असबाब व वसाइल खत्म हो चुके हैं और अल्लाह तआला के सिवा और किसी से मक़सद बरआवरी की उम्मीद नहीं लेकिन मैं तुमसे उसी ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें बीनाई दी एक बकरी मांगता हूं जिस से अपने सफर की ज़रूरियात पूरी कर सकूं, अंधे ने जवाब दिया कि वाक़ई मैं अंधा था और अल्लाह तआला ने मुझे बीनाई अता फरमाई और वाक़ई मैं फकीर व मुफलिस था और अल्लह तआला ने मुझे मालदार बनाया, तुम जितनी बकरियां चाहो ले सकते हो। बखुदा जब तुमने अल्लाह का वास्ता दिया है तो जितना भी तुम्हारा जी चाहे ले लो, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रोक सकता, फरिश्ते ने कहा तुम अपना माल अपने पास रखो, यह तो सिर्फ इमतेहान था और अल्लाह तआला तुमसे राज़ी और खुश है और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज़ है। (सही बुखारी)

मेरे अज़ीज़ भाईयो! कोढ़ी और गंजे ने झूठ बोला जिससे वह दोनों जहां में नाकाम हुए लेकिन अंधा सच बोलने की वजह से दोनों जहां में कामयाब व कामरान हुआ। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह तआला अपने पाक कलाम में फरमाता है "**अल्लाह तआला उन लोगों को राह नहीं देखाते जो इसराफ करने वाले हैं और झूठे**

हैं।" (सूरह मोमिन) झूठ के नतायज सख्त मुहलिक और खतरनाक हैं, इसी लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त वईद है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच्चाई को लाज़िम पकड़ो, क्योंकि सच नेकी की राह दिखाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है और आदमी यकसां तौर पर सच कहता है और सच्चाई की कोशिश में रहता है यहां तक कि अल्लाह की नज़र में उसका नाम सच्चों में लिख दिया जाता है और झूठ से बचे रहो इसलिए कि झूठ गुनाह और फुजूर है और फुजूर दोज़ख की राह बताता है और आदमी मुसलसल झूठ बोलता है और इसी की जुस्तजू में रहता है यहां तक कि अल्लाह के नज़दीक उसका शुमार झूठों में लिख दिया जाता है। (सही बुखारी व सही मुस्मिल)

क़र्ज़ की वक़्त पर अदाएगी

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का तज़केरा फरमाया जिसने बनी इसराइल के एक दूसरे शख्स से एक हज़ार दीनार क़र्ज़ मांगा, क़र्ज़ देने वाले ने कहा कि पहले ऐसे गवाह लाओ जिनकी गवाही पर मुझे एतेबार हो, क़र्ज़ मांगने वाले ने कहा गवाह की हैसियत से तो बस अल्लाह तआला काफी है। फिर उस शख्स ने कहा अच्छा कोई ज़ामिन (गारंटी देने वाला) ले आओ, क़र्ज़ मांगने वाले ने कहा ज़ामिन की हैसियत से भी बस अल्लाह तआला ही काफी है। क़र्ज़ देने वाले ने कहा तुमने सच्ची बात कही और वह अल्लाह तआला की गवाही और ज़मानत पर तैयार हो गया, चुनांचे एक मुद्दत के लिए उन्हें क़र्ज़ दे दिया। यह साहब क़र्ज़ लेकर दरयाई

सफर पर रवाना हुए और फिर अपनी ज़रूरियात पूरी करके किसी सवारी (कशती वगैरह) की तलाश की ताकि उससे दरया पार करके उस मुतअय्यन मुद्दत तक क़र्ज़ देने वाले के पास पहुंच सके जो उनसे तैय हुई थी और उनका क़र्ज़ अदा कर दें, लेकिन कोई सवारी नहीं मिली (जब कोई चारा नहीं रहा तो) उन्होंने एक लकड़ी ली और उसमें एक सूराख बनाया फिर एक हज़ार दीनार और एक खत (इस मज़मून का कि) उनकी तरफ से क़र्ज़ देने वाली की तरफ (यह दीनार भेजे जा रहे हैं) रख दिया और उसका मुंह बन्द कर दिया और उसे दरया पर लेकर आए फिर कहा ऐ अल्लाह! तू खूब जानता है कि मैंने फलां शख्स से एक हज़ार दीनार क़र्ज़ लिए थे, उसने मुझसे ज़ामिन मांगा तो मैंने कहा था कि ज़ामिन की हैसियत से अल्लाह तआला काफी है, वह तुझ पर राजी था, उसने मुझसे गवाह मांगा तो उसका जवाब भी मैंने यही दिया कि अल्लाह तआला गवाह की हैसियत से काफी है तो वह तुझ पर राजी हो गया था और (तू जानता है कि) मैंने बहुत कोशिश की कि कोई सवारी मिल जाए जिसके ज़रिये मैं उसका क़र्ज़ मुअय्यन मुद्दत पर पहुंचा सकूं, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं मिली, इसलिए अब मैं इसको तेरे ही हवाले करता हूं (कि तू उस तक पहुंचा दे) चुनांचे उसने वह संदूक की शकल में लकड़ी जिसमें रक़म थी दरया में बहा दी इस यक़ीन के साथ कि अल्लाह तआला इस अमानत को ज़ाये नहीं करेगा। अब वह दरया में थी और वह शख्स वापस हो चुका था, अगरचे अब भी फिक्र यही थी कि किस तरह कोई जहाज़ मिले जिसके ज़रिया वह अपने शहर जा सके। दूसरी तरफ वह साहब जिन्होंने क़र्ज़ दिया था इसी तलाश में (बन्दरगाह) आए कि मुमकिन है कोई जहाज़ उनका

माल ले कर आया हो, लेकिन वहां उन्हें एक लकड़ी मिली वही जिसमें माल था जो क़र्ज़ लेने वाले ने उनके नाम भेजा था, उन्होंने वह लकड़ी अपने घर के इंधन के लिए ले ली फिर जब उसे चीरा तो उसमें से दीनार निकले और एक खत भी। (कुछ दिनों बाद) वह साहब जब अपने वतन पहुंचे तो क़र्ज़ देने वाले के यहां आए और (दोबारा) एक हज़ार दीनार उनकी खिदमत में पेश कर दिए और कहा कि बखुदा मैं तो बराबर इसी कोशिश में रहा कि कोई जहाज़ मिले तो तुम्हारे पास तुम्हारा माल ले कर पहुंचूं, लेकिन मुझे अपनी कोशिशों में कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर क़र्ज़ देने वाले ने पूछा अच्छा यह तो बताओ कोई चीज़ भी मेरे नाम आपने भेजी थी? मक़रूज ने जवाब दिया बता तो रहा हूं कोई जहाज़ मुझे इस जहाज़ से पहले नहीं मिला जिससे मैं आज पहुंचा हूं। इस पर क़र्ज़ देने वाले ने कहा कि फिर अल्लाह तआला ने भी आपका वह क़र्ज़ अदा कर दिया जिसे आपने लकड़ी में भेजा था, चुनांचे वह साहब अपना हज़ार दीनार लेकर खुशी खुशी वापस हो गए। (सही बुखारी)

मेरे अज़ीज़ भाईयो! क़र्ज़ लेते और देते वक़्त इन अहकाम की पाबन्दी करनी चाहिए जो अल्लाह तआला ने सूरह बक़रह की आयत 282 में बयान किए हैं, यह आयत क़ुरान करीम की सबसे लम्बी आयत है। इस आयत में क़र्ज़ के अहकाम ज़िक्र किए गए हैं, इन अहकाम का बुनियादी मक़सद यह है कि बाद में किसी तरह का कोई इख्तिलाफ पैदा न हो। इन अहकाम में से एक अहम हुकुम "**क़र्ज़ की अदाएगी की तारीख भी ताईन कर ली जाए**" है।

क़र्ज़ लेने वाले के लिए ज़रूरी है कि वह हर मुमकिन कोशिश करके वक़्त पर अदाएगी करे। अगर मुतअय्यन वक़्त पर क़र्ज़ की अदाएगी मुमकिन नहीं है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह तआला का खौफ रखते हुए क़र्ज़ देने वाले से क़र्ज़ की अदाएगी की तारीख से मुनासिब वक़्त पहले मज़ीद मोहलत मांगे। मोहलत देने पर क़र्ज़ देने वाले को अल्लाह तआला अजरे अज़ीम अता फरमाएगा। लेकिन जो हज़रात क़र्ज़ की अदाएगी पर क़ुदरत रखने के बावजूद क़र्ज़ की अदाएगी में कोताही करते हैं उनके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में सख्त वईदें वारिद हुई हैं, हत्ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की नमाज़े जनाजा पढ़ाने से मना फरमा देते थे जिस पर क़र्ज़ हो यहां तक कि उसका क़र्ज़ अदा कर दिया जाए। इन अहादीस में से बाज़ अहादीस नीचे लिखे हुए हैं।

हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स का इंतिक़ाल हुआ। गुस्ल व कफन से फरागत के बाद हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज़ पढ़ाने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इस पर कोई क़र्ज़ है? हमने कहा इस पर 2 दीनार का क़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर तुम ही इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ो। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल! इसका क़र्ज़ मैंने अपने ऊपर ले लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वह क़र्ज़ तुम्हारे ऊपर हो गया और मय्यत बरी हो गया। उसके बाद आप

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की नमाज़े जनाजा पढ़ाई। (रवाहु अहमद, अत्तरगीब वत्तरहीब)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुसलमान की जान अपने क़र्ज़ की वजह से मुअल्लक रहती है। (यानी जन्नत के दुखूल से रोक दी जाती है) यहां तक कि उसके क़र्ज़ की अदाएगी कर दी जाए। (तिर्मिज़ी, मुसनद अहमद, इब्ने माजा)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ फजर की नमाज़ पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाया तुम्हारा एक साथी क़र्ज़ की अदाएगी न करने की वजह से जन्नत के दरवाज़े पर रोक दिया गया। अगर तुम चाहो तो उसको अल्लाह तआला के अज़ाब की तरफ जाने दो और चाहो तो उसे (उसके क़र्ज़ की अदाएगी करके) अज़ाब से बचा लो। (रवाहु हाकिम, अत्तरगीब वत्तरहीब)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तआला शहीदों के तमाम गुनाह माफ कर देता है मगर किसी का क़र्ज़ माफ नहीं करता। (मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स किसी से इस नियत से क़र्ज़ ले कि वह उसको अदा करेगा तो अल्लाह तआला उसके क़र्ज़ की अदाएगी के लिए आसानी पैदा करता है और अगर क़र्ज़ लेते वक़्त उसका इरादा हड़प करने का है तो अल्लाह तआला इसी तरह के असबाब पैदा करता है जिससे वह माल ही बरबाद हो जाता है। (बुखारी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स का इंतिक़ाल हुआ ऐसे वक़्त में कि वह मक़रूज है तो उसकी नेकियों से क़र्ज़ की अदाएगी की जाएगी (लेकिन अगर कोई शख्स

उसके इंतिक़ाल के बाद उसके क़र्ज़ की अदाएगी कर दे तो फिर कोई मुवाखज़ा नहीं होगा) (इब्ने माजा)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स इस नियत से क़र्ज़ लेता है कि वह उसको बाद में अदा नहीं करेगा तो वह चोर की हैसियत से अल्लाह तआला के सामने पेश किया जाएगा। (इब्ने माजा)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़र्ज़ की अदाएगी पर क़ुदरत के बावजूद वक़्त पर क़र्ज़ की अदाएगी में टाल मटोल करना ज़ुल्म है। (बुखारी व मुस्लिम) क़र्ज़ की अदाएगी पर कुदरत के बावजूद क़र्ज़ की अदाएगी न करने वाला ज़ालिम व फासिक़ है। (शरह मुस्लिम लिल नववी, फतहुल बारी)

दीनी मालूमात पर मुशतमिल 250 सवाल व जवाब

1) खाने से पहले क्या कहना चाहिए?

जवाब: बिस्मिल्लह.....

2) खाने के बाद क्या कहना चाहिए?

जवाब: अलहमदु लिल्लाह.....

3) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने या सुनने पर हमें क्या कहना चाहिए?

जवाब: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

4) नबी या रसूल का नाम लिखने या सुनने पर हमें क्या कहना चाहिए?

जवाब: अलैहिस सलाम

5) किसी सहाबी का नाम लिखने या पढ़ने या सुनने पर हमें क्या कहना चाहिए?

जवाब: रज़ियल्लाहु अन्हु

6) दुनिया के सबसे आखरी नबी और रसूल का नाम क्या है?

जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

7) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है?

जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्लाह है।

8) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है?

जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना है।

9) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है?

जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है।

10) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पैदा हुए?

जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए।

11) जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतिकाल हुआ तो आप की उम्र कितनी थी?

जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की थी।

12) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां मदफ़ून हैं?

जवाब: मदीना में।

13) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहां नाज़िल हुई?

जवाब: गारे हिरा में।

14) जब पहली मरतबा वही नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी?

जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी।

15) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम बताइये जो आपके रिज़ाई भाई भी थे?

जवाब: हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु।

16) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चचा का नाम बताइये जो इस्लाम लाए थे?

जवाब: हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा।

17) हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी?

जवाब: 25 साल।

18) शादी के वक़्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने साल बड़ी थीं?

जवाब: हज़रत खदीजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थीं।

19) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम बताइये?

जवाब: हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा।

20) बीबी हलीमा सादिया कौन थीं?

जवाब: हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली दाया।

21) हिजरत के मौक़े पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गार में पनाह ली?

जवाब: गारे सौर में।

22) सूरज, चांद, सितारे और ज़मीन व आसमान किसने बनाए?

जवाब: अल्लाह तआला ने।

23) रमज़ान में अज़ाने फजर से पहले जो खाते पीते हैं उसे क्या कहते हैं?

जवाब: सेहरी।

24) रमज़ान में गुरूबे आफताब के बाद जो खाते पीते हैं उसे क्या कहते हैं?

जवाब: इफतार।

25) तुलूए फजर से गुरूबे आफताब तक खाने, पीने वगैरह से रूकने को क्या कहते हैं?

जवाब: रोज़ा।

26) जो क़ुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज़ कर लेता है उसे क्या कहते हैं?

जवाब: हाफिजे क़ुरान।

27) कौन से महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई?

जवाब: रबीउल अव्वल के महीने में।

28) कौन से महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई?

जवाब: रबीउल अव्वल के महीने में।

29) हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा क्या है?

जवाब: क़ुरान करीम।

30) जन्नत के कितने दरवाजे हैं?

जवाब: आठ।

31) जहन्नम के कितने दरवाजे हैं?

जवाब: सात।

32) जन्नत के दारोगा का नाम क्या है?

जवाब: रिज़वान।

33) जहन्नम के दारोगा का नाम क्या है?

जवाब: मालिक।

34) क़ुरान करीम में सबसे ज़्यादा किस हुकुम की ताकीद आई है?

जवाब: नमाज़।

35) गारे हिरा और गारे सौर कहां वाक़े हैं?

जवाब: मक्का में।

36) किस सूरत को सबए मसानी भी कहा जाता है?

जवाब: सूरह फातिहा।

37) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस सन ईसवी में हुई थी?

जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 ईसवी में हुई थी।

38) मुहरे नुबूवत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के किस हिस्से में थी?

जवाब: दो कंधों के दरमियान।

39) अगर कोई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने तो वह कैसा है?

जवाब: जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने वह काफिर है।

40) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया की इमामत कहां की थी?

जवाब: बैतुल मुक़द्दस (मस्जिदे अक़्सा में)।

41) हज़रत आदम अलैहिस सलाम को अल्लाह तआला ने किस चीज़ से पैदा किया?

जवाब: मिट्टी से।

42) इस दुनिया और सारी कायनात का खालिक़ और मालिक कौन है?

जवाब: अल्लाह तआला।

43) बड़े (मर्दों) में से सबसे पहले इस्लाम क़बूल करने वाले का नाम बताइये?

जवाब: हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु।

44) बच्चों में सबसे पहले इस्लाम क़बूल करने वाले का नाम बताइये?

जवाब: हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु।

45) औरतों में सबसे पहले इस्लाम क़बूल करनी वाली औरत का नाम बताइये?

जवाब: हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा।

46) हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात के वक़्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी?

जवाब: 50 साल।

47) खाना किस हाथ से खाना चाहिए?

जवाब: दायें हाथ से।

48) किस माह के रोज़े रखना फर्ज़ है?

जवाब: माहे रमज़ान के।

49) ईदुल फितर की नमाज़ किस तारीख को पढ़ी जाती है?

जवाब: एक शौव्वाल को।

50) ईदुल अज़हा की नमाज़ किस तारीख को पढ़ी जाती है?

जवाब: दस ज़िलहिज्जा को।

51) अरफात के मैदान में हाजी कब जमा होते हैं?

जवाब 9 ज़िलहिज्जा को।

52) जानवरों की क़ुर्बानी कब की जाती है, ईदुल फितर या ईदुल अज़हा के मौक़े पर?

जवाब: ईदुल अज़हा के मौक़े पर।

53) हफ्ता के किन दिनों नफली रोज़े रखने की खुसूसी फज़ीलत है?

जवाब: सोमवार और जुमेरात।

54) शव्वाल के महीने में कितने रोज़े रखने की खुसूसी फज़ीलत है?

जवाब: 6 रोज़े।

55) इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद का नाम बताइये?

जवाब: मस्जिदे कुबा।

56) दुनिया की सबसे पहली मस्जिद का नाम बताइये?

जवाब: मस्जिदे हराम।

57) मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों का है?

जवाब: एक लाख।

58) दुनिया की दूसरी मस्जिद का नाम बताइये?

जवाब: मस्जिदे अक़्सा (कबिला अव्वल)

59) मुंकर नकीर कौन हैं?

जवाब: मुर्दों से कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते।

60) हज़रत जिबरईल अलैहिस सलाम की ज़िम्मेदारी बयान कीजिए?

जवाब: अल्लाह तआला के हुकुम से वही नाज़िल करना।

61) हज़रत इसराफील अलैहिस सलाम की क्या ज़िम्मेदारी है?

जवाब: सूर फूंकना (क़यामत के दिन सूर फूकेंगे)।

62) हज़रत इज़राइल अलैहिस सलाम की क्या ज़िम्मेदारी है?

जवाब: रूह कब्ज़ करना (मौत के वक़्त रूह कब्ज़ करते हैं)।

63) रूहुल्लाह किस नबी को कहा जाता है?

जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस सलाम को।

64) कलीमुल्लाह किस नबी को कहा जाता है?

जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस सलाम को।

65) ज़बीहुल्लाह किस नबी को कहा जाता है?

जवाब: हज़रत इसमाईल अलैहिस सलाम को।

66) खलीलुल्लह किस नबी को कहा जाता है?

जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस सलाम को।

67) रूहुल अमीन कौन हैं?

जवाब: हज़रत जिबरईल अलैहिस सलाम।

68) मदीना का पुराना नाम क्या है?

जवाब: यसरिब।

69) मस्जिदे अक़्सा कहां वाक़े है?

जवाब: बैतुल मुक़द्दस में।

70) मुसलमानों का क़िबला कहां है?

जवाब: मक्का में।

71) मुसलमानों का क़िबला अव्वल किसके कब्ज़े में है?

जवाब: यहूदियों के कब्जा में है (मस्जिदे अक़्सा)।

72) अबू जहल को किसने क़त्ल किया था?

जवाब: मआज़ और मुऔव्वज़ (दो नौ उम्र लड़कों) ने।

73) तुम्हारे मज़हब का क्या नाम है?

जवाब: इस्लाम।

74) क़ुरान करीम का दिल किस सूरह को कहा जाता है?

जवाब: सूरह यासीन को।

75) दिन रात में कितने वक़्त की नमाज़ फर्ज़ है?

जवाब: पांच वक़्त की।

76) पांच फर्ज़ नमाज़ों के नाम बताइये?

जवाब: फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा।

77) पांच फर्ज़ नमाज़ों में फर्ज़ रिकातों की कुल तादाद कितनी है?

जवाब: 17 रिकात।

78) नमाज़े फजर में कितनी रिकात फर्ज़ हैं?

जवाब: 2 रिकात।

79) नमाज़े जुहर में कितनी रिकात फर्ज़ हैं?

जवाब: 4 रिकात।

80) नमाज़े असर में कितनी रिकात फर्ज़ हैं?

जवाब: 4 रिकात।

81) नमाज़े मगरिब में कितनी रिकात फर्ज़ हैं?

जवाब: 3 रिकात।

82) नमाज़े इशा में कितनी रिकात फर्ज़ हैं?

जवाब: 4 रिकात।

83) दिन रात में कितनी रिकात सुन्नते मुअक्कदा हैं?

जवाब: 12 रिकात।

84) उस नबी का नाम बताइये जिन्हें मछली ने निगल लिया था?

जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस सलाम।

85) उस सहाबी का नाम बताइये जिनका नाम क़ुरान करीम में आया है?

जवाब: हज़रत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु।

86) तुम्हें किस ने पैदा किया?

जवाब: हमें अल्लाह तआला ने पैदा किया।

87) जो लोग खुदा को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं?

जवाब: उन्हें काफिर कहते हैं।

88) हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे?

जवाब: अल्लाह तआला के बन्दे और उसके रसूल थे।

89) 12 रिकात सुन्नते मुअक्कदा की तफसील बयान कीजिए?

जवाब: 2 फजर से पहले, 4 ज़ुहर से पहले, 2 ज़ुहर के बाद, 2 मगरिब के बाद और 2 इशा के बाद।

90) हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्र कहां रहे?

जवाब: तक़रीबन 53 साल की उम्र तक अपने शहर मक्का में और तक़रीबन 10 साल मदीना में रहे।

91) कितने दिनों में पूरा क़ुरान नाज़िल हुआ?

जवाब 23 साल में।

92) जो शख्स अज़ान देता है उसे क्या कहते हैं?

जवाब उसे मुअज़्ज़िन कहते हैं।

93) जो शख्स मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं?

जवाब: उसे इमाम कहते हैं।

94) इस्लाम की बुनिया कितनी चीजों पर है?

जवाब: इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर है।

95) इस्लाम के अरकान के नाम बताइये?

जवाब: ईमान, नमाज़, रोजा, ज़कात और हज।

96) नमाज़ कब फर्ज़ हुई?

जवाब: वाक़्या मेराज के मौका पर मक्की ज़िन्दगी में।

97) रोज़ा कब फर्ज़ हुआ?

जवाब: सन 2 हिजरी में।

98) जकात कब फर्ज़ हुई?

जवाब: सन 3 हिजरी में।

99) हज किस सन में फर्ज़ हुआ?

जवाब: सन 9 हिजरी में।

100) शराब पीना कब हराम हुआ?

जवाब: सन 4 हिजरी में।

101) औरतों के लिए परदा करने का हुकुम कब हुआ?

जवाब: सन 5 हिजरी में।

102) सुलह हुदैबिया कब हुई?

जवाब: सन 6 हिजरी में।

103) मक्का कब फतह हुआ?

जवाब: सन 8 हिजरी में।

104) शैतान किस मख्लूक में से है? फरिशता या इंसान या जिन्नात?

जवाब: जिन्नात में से।

105) जिस ऊंटनी पर सवार हो कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई उसका नाम बताइये?

जवाब: उसका क़ुसवा था।

106) किरामन कातेबीन कौन हैं और उनकी क्या ज़िम्मेदारी है?

जवाब: फरिशते हैं जो इंसान के आमाल लिखते रहते हैं।

107) सबसे पहले अमिरूल मोमेनीन का खिताब किस खलीफा को दिया गया?

जवाब: हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को।

108) इस्लाम में सबसे पहली शहीदा का नाम क्या है?

जवाब: हज़रत सुमैय्या रज़ियल्लाहु अन्हा।

109) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम बताओ जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते थे?

जवाब: हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा।

110) हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की वालिदा का नाम क्या है?

जवाब: हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा।

111) अल्लाह तआला को सबसे ज़्यादा नागवार चीज़ जो कि हलाल है, क्या है?

जवाब: तलाक़।

112) क़ुरान की सबसे पहली नाज़िल होने वाली वही किस सूरह में है?

जवाब: सूरह अलक़ में।

113) उस सूरह का नाम बतायें जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी की बुराई बयान की गई है?

जवाब: सूरह तब्बत।

114) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज (हज्जतुल विदा) कब किया?

जवाब: सन 10 हिजरी में।

115) इस्लाम की पहली अहम जंग (जंगे बदर) कब हुई?

जवाब: सन 2 हिजरी में।

116) इस्लाम की दूसरी अहम जंग (जंगे उहद) कब हुई?

जवाब: सन 3 हिजरी में।

117) क़ुरान करीम में कितनी सूरतें हैं?

जवाब: 114

118) क़ुरान करीम में कितने पारे में हैं?

जवाब: 30

119) क़ुरान करीम में "बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम" कितनी बार आई है?

जवाब: 114

120) क़ुरान करीम में कितनी सूरतें "बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम" से शुरू हुई हैं?

जवाब: 113

121) कौन सी सूरह “बिस्मिल्लाह” से शुरू नहीं होती है?

जवाब: सूरह तौबा।

122) कौन सी सूरह में बिस्मिल्लाह दोबार आती है?

जवाब: सूरह नमल।

123) क़ुरान करीम में कितने बार लफ्ज़े क़ुरान दुहराया गया है?

जवाब: 70

124) क़ुरान करीम की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है?

जवाब: सूरह बक़रह।

125) क़ुरान करीम की सबसे बड़ी आयत कौन सी सूरह में मौजूद है?

जवाब: सूरह बक़रह (आयत 282)।

126) क़ुरान करीम में सबसे अफज़ल रात कौन सी बताई गई है?

जवाब: शबे क़दर।

127) क़ुरान करीम किस माह में नाज़िल हुआ?

जवाब: रमज़ान।

128) माहे रमज़ान किस माह के बाद आता है?

जवाब: शाबान।

129) कितनी सूरतें “अलहमदु लिल्लाह” से शुरू होती हैं?

जवाब: सूरह फातिहा, सूरह ईनाम, सूरह कहफ, सूरह फातिर और सूरह सबा।

130) कितनी सूरतों के नाम एक हर्फ से हैं?

जवाब: 3, “साद” “क़ाफ” “नून”।

131) कितनी सूरतें “इन्ना” से शुरू होती है?

जवाब: सूरह फतह, सूरह नूह, सूरह क़दर और सूरह कौसर।

132) कौन सी सूरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़बीले के नाम से है?

जवाब: सुरह कुरैश।

133) कौन सी सूरह को कुरान शरीफ का दिल भी कहते हैं?

जवाब: सूरह यासीन।

134) कौन सी सूरह का नाम जंग के नाम पर है?

जवाब: सूरह अहज़ाब।

135) कौन सी सूरह का नाम धात के नाम पर है?

जवाब: सूरह हदीद।

136) कौन सी सूरह को उरूसुल क़ुरान कहते हैं?
जवाब: सूरह रहमान।

137) कौन सी सूरह “एक तिहाई” क़ुरान के बराबर है?
जवाब: सूरह तौहीद (इखलास)

138) कितनी सूरतें “हुरूफे मुक़त्तआत” से शुरू होती हैं?
जवाब: 29 सूरतें।

139) कौन सी सूरतों को मुऔव्वज़तैन कहते हैं?
जवाब: सूरह फलक़, सूरह नास।

140) कौन सी सूरतें “तबारकल लज़ी” से शुरू होती हैं?
जवाब: सूरह मुल्क और सूरह फुरक़ान।

141) मक्की सूरतों का दौर कितने साल का था?
जवाब: तक़रीबन 13 साल।

142) मदनी सूरतों का दौर कितने साल का था?
जवाब: तक़रीबन 10 साल।

143) क़ुरान मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा उतरा या थोड़ा थोड़ा?

जवाब: थोड़ा थोड़ा नाज़िल हुआ, कभी एक आयत और दो या 4 आयतें, कभी एक सूरह जैसी ज़रूरीयात होती गई उतरता गया।

144) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम लिबास क्या होता था?

जवाब: लुंगी, क़मीस, अमामा, टोपी और चादर।

145) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा का रंग आम तौर पर क्या होता था?

जवाब: काला या सफेद।

146) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज और उमरह किए?

जवाब: एक हज और एक चार उमरह।

147) ज़िन्दगी में एक बार हज फर्ज़ है या हर साल?

जवाब: ज़िन्दगी में सिर्फ एक बार।

148) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमानों का खलीफा कौन बना?

जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु।

149) हज के आमाल का किन नबियों की क़ुर्बानियों से खुसूसी तअल्लुक़ है?

जवाब: हज़रत इब्राहीम और हज़रत इसमाईल अलैहिस सलाम।

150) नबियों की तक़रीबन कुल तादाद कितनी थी?

जवाब: तक़रीबन एक लाख चैबीस हज़ार।

151) सहाबा की तक़रीबन कुल तादाद कितनी थी?

जवाब: तक़रीबन एक लाख चैबीस हज़ार।

152) क़ुरान करीम में कितने अम्बिया का तज़केरा आया है?

जवाब: 25

153) पांच अम्बिया व रुसुल के नाम बताइये?

जवाब: हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसमाईल और हज़रत यूसुफ अलैहिमुस सलाम।

154) क़ुरान करीम में सबसे ज़्यादा किस नबी का नाम आया है?

जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस सलाम।

155) अशहुरे हुरुम की तादाद कितनी है?

जवाब: 4 (ज़िलक़ादा, ज़िलहिलहिज्जा, मुहर्रम और रजब)।

156) जंगों की तारीख के एतेबार से सही तरतीब दीजिए, जंगे उहद, बदर, हुनैन और खंदक?

जवाब: बदर, उहद, खंदक़ और हुनैन।

157) अम्बिया के ज़माना के एतेबार से सही तरतीब दीजिए, नूह, ईसा, मूसा और इब्राहीम अलैहिमुस सलाम?

जवाब: नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिमुस सलाम।

158) इन उलमा में से सबसे पहले कौन थे? (इब्ने क़य्यिम, इब्ने तैमिया, इब्ने हमबल और अबू हनीफा)

जवाब: इमाम अबू हनीफा।

159) हज़रत इमाम अबू हनीफा का क्या नाम है?

जवाब: नोमान बिन साबित।

160) उस सहाबी का नाम बताइये जिनके मौत की वजह से अर्श हिल गया था।

जवाब: हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु।

161) उस सहाबी का नाम बताइये जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया था?

जवाब: हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु।

162) हदीस की मशहूर किताब रियाज़ुस सालिहीन के मुअल्लिफ का नाम बताइये?

जवाब: हज़रत इमाम नववी।

163) मक्का में सबसे पहले बुलंद आवाज़ के साथ क़ुरान करीम की तिलावत करने वाले कौन हैं?

जवाब: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु।

164) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादियों के नाम क्या हैं?

जवाब: हज़रत ज़ैनब, रुक़य्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा।

165) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबज़ादी का नाम क्या है?

जवाब: हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा।

166) हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी किस के साथ हुई थी?

जवाब: हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ।

167) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन दामाद कौन कौन थे?

जवाब: हज़रत अबुल आस, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम।

168) किस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे?

जवाब: जंगे उहद में।

169) इस्लाम की पहली अहम जंग का नाम क्या है?

जवाब: जंगे बदर।

170) नमाज़े जुमा के लिए हाज़िरी का रजिस्टर फरिश्ते किस वक़्त बंद करते हैं?

जवाब: इमाम के खुतबा के लिए मिम्बर पर पहुंचने के वक़्त।

171) नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास कहां तक रहता था?

जवाब: आधी पिंडली तक।

172) नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग ज़्यादा पसंद था?

जवाब: सफेद।

173) फर्ज़ नमाजों के अलावा कौन सी नमाज़ का ज़िक्र क़ुरान करीम आया है?

जवाब: नमाज़े तहज्जुद।

174) सूरह कहफ पढ़ने की कौन से दिन खास फज़ीलत अहादीस में आई है?

जवाब: जुमा के दिन।

175) दरूद शरीफ पढ़ने की कौन से दिन खास फज़ीलत अहादीस में आई है?

जवाब: जुमा के दिन।

176) कौन से दिन के नाम पर क़ुरान करीम में एक सूरह है?

जवाब: जुमा।

177) जुमा के दिन पहली अज़ान की इब्तिदा कब से हुई?

जवाब: हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे खिलाफत से।

178) किस नबी को आसमानों पर उठा लिया गया?

जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस सलाम को।

179) मेराज का वाक़्या नींद की हालत में हुआ या जागने की हालत में?

जवाब: जागने की हालत में।

180) इंसानी तारीख का सबसे लम्बा सफर कौन सा है?

जवाब: सफर मेराज व इसरा।

181) क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा?

जवाब: नमाज़।

182) वह कौन सी दो नमाजें हैं जिनके खास एहतिमाम की हुज़ूर ने ताकीद फरमाई?

जवाब: फजर और असर।

183) नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशआर कहने वाले 3 शोरा के नाम क्या हैं?

जवाब: हज़रत हस्सान बिन साबित, काब बन मालिक और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हुम।

184) जंगे बदर में मुसलमानों के लश्कर की तादाद क्या थी?

जवाब: 313

185) हदीस की चंद मशहूर किताबों के मुख्तसर नाम बतायें?

जवाब: बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, नसई और अबू दाऊद।

186) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िन्दगी में सिर्फ एक शख्स की नमाज़े जनाज़ा गाईबाना पढ़ाई है, बताइये?

जवाब: मुल्क हबशा का बादशाह नज्जाशी।

187) जज़ीरए अरब से बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक मुल्क का सफर किया था नाम बताइये?

जवाब: मुल्के शाम।

188) हज़रत ईसा अलैहिस सलाम का नुज़ूल कहां होगा?

जवाब: दिमश्क़।

189) हज़रत इब्राहीम अलैहिस सलाम के दो बेटों के नाम बताइये?

जवाब: हज़रत इसमाईल और हज़रत इसहाक़ अलैहिमस सलाम ।

190) हज़रत याकूब अलैहिस सलाम के एक बेटे का नाम बताइये?

जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस सलाम।

191) बनी इसराइल किस नबी की औलाद हैं?

जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस सलाम।

192) हज़रत यूसुफ अलैहिस सलाम का तज़केरा तफसील के साथ क़ुरान की किस सूरह में आया है?

जवाब: सूरह यूसुफ।

193) इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है?

जवाब: मुहर्रमुल हराम।

194) हजर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत कौन से महीने में हुई थी?

जवाब: मुहर्रमुल हराम।

195) उन शहीद का नाम बताइये जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदुश शुहदा का लक़ब दिया?

जवाब: हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु।

196) हिजरी कैलेंडर का सिलसिला कब से शुरू हुआ?

जवाब: हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे खिलाफत से।

197) इस्लामी कैलेंडर के चार माह के नाम बताइये?

जवाब: शाबान, रमज़ान, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा।

198) सही तरतीब से लिखिए रमज़ान, शाबान, ज़िलहिज्जा और ज़िल क़ादा।

जवाब: शाबान, रमज़ान, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा।

199) बड़े गुनाहों में से छः बड़े गुनाह कौन से हैं?

जवाब: शिर्क करना, किसी को नाहक़ क़त्ल करना, सूद खाना, नमाज़ न पढ़ना, शराब पीना और झूठ बोलना।

200) क़ाफला हिजरते मोहम्मदिया कितने लोगों पर मुशतमिल था?

जवाब: 4 अफराद (हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के गुलाम आमिर बिन फुहैरा और अब्दुल्लाह बिन अरीक़त रास्ता दिखाने वाले।

201) हम्द किसे कहते हैं?

जवाब: वह अशआर जो अल्लाह तआला की तरीफ में लिखे गए हों।

202) नात किसे कहते हैं?

जवाब: वह अशआर जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व मंक़बत में लिखे जाते हैं।

203) उम्महातुल मोमेनीन किन को कहा जाता है?

जवाब: हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहरात को उम्महातुल मामेनीन कहा जाता है।

204) हज़रत इब्राहीम अलैहिस सलाम किस मुल्क से मुल्के शाम हिजरत फरमा गए?

जवाब मुल्के इराक़ से।

205) वह कौन सी दुआ है जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह के हुकुम से मछली ने हज़रत यूनूस अलैहिस सलाम को अपने पेट से बाहर फेंक दिया था?

जवाब: लाइलाह इल्ला अन्त सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।

206) हज़रत यूसुफ अलैहिस सलाम ने किस मुल्क में हुकूमत की?

जवाब: मिस्र

207) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने के बाद किसके मकान में क़याम फरमाया था?

जवाब: हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु।

208) सुन्नत एतिकाफ कब होता है?

जवाब: रमज़ान के आखरी अशरे में।

209) हिन्दुस्तान के उस मशहूर मुहद्दिस का नाम लिखिये जिसने बुखारी की अहम शरह लिखी है?

जवाब: मौलाना अनवर शाह कश्मीरी

210) मौलाना अनवर शाह कश्मीरी की शरह का नाम क्या है?

जवाब: फैज़ुल बारी।

211) असरे हाज़िर के बर्रे सगीर के किसी एक मुहद्दिस का नाम लिखिये?

जवाब: मुहद्दिस मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी।

212) असरे हाज़िर के बर्रे सगीर के दो उलमा का लिखिये जिन्होंने जदीद मसाइल पर बहुत काम किया है?

जवाब: मुफ्ती तक़ी उसमानी और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी।

213) असरे हाज़िर के मुआशरे की तीन अहम बुराइयां बताइये?

जवाब: सूद खाना, झुठ बोलना और रिशवत लेना।

214) दारुल उलूम देवबन्द की बुनियाद कब रखी गई?

जवाब: 1866 ईसवी।

215) मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर की बुनियाद कब रखी गई?

जवाब: 1866 ईसवी।

216) नदवतुल उलमा लखनऊ की बुनियाद कब रखी गई?

जवाब: 1894 ईसवी।

217) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद कब रखी गई?

जवाब: 1875 ईसवी।

218) जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद कब रखी गई?

जवाब: 1920 ईसवी।

219) उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद कब रखी गई?

जवाब: 1908 ईसवी।

220) वह कौन सी पहाड़ी है जिस पर नूह अलैहिस सलाम की कशती ठहरी थी?

जवाब: जूदी पहाड़ी जो तुर्की में है।

221) उस खलीफा का नाम बताइये जिन्होंने अहादीस को जमा करने का खास एहतिमाम किया गया?

जवाब: हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़।

222) उस तहरीक का नाम बताइये जिसमें आज़ादी के लिए रेशमी कपड़ों पर खुतूत लिखे गए?

जवाब: तहरीके रेशमी रूमाल।

223) तहरीके रेशमी रूमाल के रूहे रवां कौन थे?

जवाब: शैखुल हिन्द मौलाना महमूदुल हसन।

224) जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद किस ने रखी थी?

जवाब: शैखुल हिन्द मौलाना महमूदुल हसन।

225) दारुल उलूम देवबन्द के पहले तालिब इल्म का नाम क्या है?

जवाब: शैखुल हिन्द मौलाना महमूदुल हसन।

226) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीन मोजज़ों को बताइयें?

जवाब: क़ुरान, मेराज, शक्कुल क़मर (चांद के टुकड़े होना)।

227) हज़रत ईसा अलैहिस सलाम के तीन मोजज़ों को बताइये?

जवाब: अल्लाह के हुकुम से मुर्दों को ज़िन्दा करना, मादरज़ाद अंधों को बीनाई देना और अल्लाह के हुकुम से कोढ़ियों को अच्छा करना।

228) सबसे ज़्यादा अहादीस किस सहाबी से मरवी हैं?

जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से।

229) सबसे ज़्यादा अहादीस किस सहाबिया से मरवी हैं?

जवाब: हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से।

230) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशआर कहने वाले मशहूर सहाबी का नाम क्या हैं?

जवाब: हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु।

231) कौन से सहाबी को सय्यदुल क़ुर्रा कहा जाता है?

जवाब: हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु।

232) क़ादसिया की जंग में मुसलमानों के सिपहसालार कौन थे?

जवाब: हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु।

233) दौरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदीना के इर्द गिर्द दो यहूदी क़बाइल के नाम बताइये?

जवाब: बनू क़ुरैज़ा और बनू नज़ीर।

234) हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को किस सहाबी ने खरीद कर आजाद किया था?

जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु।

235) नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत में पांच अरकान में से किस रुक्न के एहतिमाम को कहा?

जवाब: नमाज़।

236) अल्लाह का वह कौन सा हुकुम है जिसके अदा न करने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की पिटाई का हुकुम दिया?

जवाब: नमाज़।

237) क़ुरान करीम की तीन अरबी ज़बान में मशहूर तफासीर के नाम बताइये?

जवाब: तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने जरीर तबरी और तफसीर जलालैन।

238) क़ुरान करीम की तीन उर्दू ज़बान में तफासीर के नाम बताइये?

जवाब: मआरिफुल क़ुरान, तफहीमुल क़ुरान और तदब्बरुल क़ुरान।

239) क़ुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत में कितनी आयात हैं?

जवाब: 286 आयात हैं।

240) क़ुरान करीम की सबसे बड़ी आयत में किस मसअले को ज़िक्र किया गया है?

जवाब: क़र्ज़ की अदाएगी का वक़्त और रक़म तहरीर कर ली जाए।

241) क़ुरान में बहुत सी जगह हिजाब यानी परदा का हुकुम है, कोई एक आयत नम्बर बतायें?

जवाब: सूरह नूर 31, सूरह नूर 60 और सूरह अहज़ाब 59।

242) क़ुरान करीम की उस सूरत का नाम बताइये जिसमें ज़कात के 8 मुस्तहिक़्क़ीन का ज़िक्र है?

जवाब: सूरह तौबा आयत 60।

243) क़ुरान करीम में “अस सलातुल वुस्ता” से क्या मुराद है?

जवाब: असर की नमाज़।

244) क़ुरान की उस आयत और सूरत का नाम बताइये जिसमें वुज़ू के 4 फरायज़ बयान किए गए हैं?

जवाब: सूरह माइदा आयत 6।

245) क़ुरान की उस आयत और सूरत का नाम बताइये जिसमें अल्लाह ने क़ुरान की हिफाज़त का ज़िम्मा खुद लिया है?

जवाब: सूरह हिज्र आयत 9।

246) क़ुरान की उस सूरत का नाम बताइये जिसमें मसाइले मीरास को तफसील से ज़िक्र किया है?

जवाब: सूरह निसा।

247) क़ुरान की उस सूरत का नाम बताइये जिसमें हज को तफसील से ज़िक्र किया है?

जवाब: सूरह बक़रह।

248) क़ुरान करीम में किस हकीम की बाज़ हिकमतों को ज़िक्र किया गया है?

जवाब: हकीम लुक़्मान।

249) क़ुरान करीम की वह कौन सी आयत है जिसमें सूद न छोड़ने वालों से कहा गया है कि अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ?

जवाब: सूरह बक़रह आयत 278 और 279

250) क़ुरान करीम की कौन सी आयत में दाढ़ी का ज़िक्र आया है?

जवाब: सूरह ताहा आयत 94

251) वह आयत लिखये जिसमें मुसलमानों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुकुम दिया गया है?

जवाब: इन्नल्लाह वमलाइकतुहु आखिर तक।

गलत मालूमात को इन्टरनेट के ज़रिया रिवाज देना

इन दिनों इन्टरनेट के ज़रिया किसी भी पैगाम को फारवर्ड करने का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है, चाहे हम इस पैगाम को पढ़ने की तकलीफ गवारा करें या नहीं और इसी तरह इसकी तहक़ीक़ करने की ज़रूरत भी समझें या नहीं कि ईमेल सही मालूमात पर मुशतमिल है या झूठ के पुलिंदों पर। अलबत्ता इसको फारवर्ड करने में इंतिहाई जल्दबाज़ी से काम लिया जाता है। जबकि ईमेल हमारे पास फारवर्ड करने के नहीं बल्कि असल में पढ़ने के लिए भेजा गया था।

किसी शख्स या ग्रुप पर गलत मालूमात ईमेल को फारवर्ड करना हमारे लिए जायज़ नहीं है, खास कर अगर वह ईमेल दीनी मालूमात पर मुश्तमिल हो, क्योंकि इससे गलत मालूमात दूसरों तक पहुंचेगी। मिसाल के तौर पर हाल ही में एक ईमेल बाज़ दोस्तों के पास पहुंचा है कि अल्लाह तआला के 5 नाम किसी भी 11 मुसलमानों को भेज दें तो हमारी बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। इसी तरह बाज़ दोस्तों के पास ईमेल पहुंचा है कि फलां ईमेल अगर इतने दोस्तों को भेज दे तो इससे आपके फलां फलां मसाइल दूर हो जाऐंगे वरना मसाइल ज़्यादा पैदा होंगे। गरज़ ये कि इस तरह के ईमेल का क़ुरान व सुन्नत से कोई तअल्लुक़ नहीं है बल्कि यह आम तौर पर झूठ और फरेब पर मुश्तमिल होते हैं। बाज़ अहबाब लाइल्मी में इस तरह के ईमेल दूसरों को फारवर्ड कर देते हैं।

उलूमे नुबूवत के साथ दुनियावी उलूम को भी हासिल करने की इस्लाम ने तर्गीब दी है जैसा कि हम जानते हैं कि वही की इब्तिदा (इक़रा) यानी पढ़ने के लफ्ज़ से शुरू हुई, नीज़ नबी अकरम

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए इल्म का हासिल करना ज़रूरी है। (इब्ने माजा)

मौजूदा ज़माने में तालीम व तअल्लुम के लिए इन्टरनेट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यह भी अल्लाह की एक बड़ी नेमत है बशर्तेकि इसका सही इस्तेमाल किया जाए, मगर बाज़ हज़रात कुछ ईमेल की चमक दमक देख कर इसको पढ़े बेगैर या तहक़ीक़ किए बेगैर दूसरों को फारवर्ड कर देते हैं। आज कल इन्टरनेट पर बेशुमार ग्रुप भी बने हुए हैं जिसकी वजह से ईमेल को एक मरतबा फारवर्ड करने से हजारों हज़रात को पैगाम पहुंच जाता है, अब अगर गलत मालूमात पर मुश्तमिल कोई ईमेल फारवर्ड किया गया तो वह गलत मालूमात लोगों में रायज होती जाएंगी जिसका गुनाह हर उस शख्स पर होगा जो इसका ज़रिया बन रहा है। लिहाज़ा तहक़ीक़ किए बेगैर कोई भी ईमेल खास कर दीनी मालूमात से मुतअल्लिक़ फारवर्ड करना गुनाह है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आदमी के झूठा होने के लिए काफी है कि वह हर सुनी सुनाई बात बिला तहक़ीक़ बयान करे। (मुस्लिम) एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मेरी तरफ मंसूब करके जानबूझ कर कोई झूठी हदीस बयान की तो वह झूठ बोलने वालों में से एक है। (मुस्लिम)

याद रखें कि इंसान के मुंह से जो बात भी निकलती है या वह लिखता है तो वह बात उसके नामए आमाल में लिखी जाती है जैसा कि अल्लाह तआला का इरशाद है "**इंसान मुंह से जो लफ्ज़ भी निकालता है उसके पास निगहबान (फरिशते उसे लिखने के लिए) तैयार हैं।**" (सूरह काफ 18)

इस्लामी तारीख गवाह है कि गलत खबरों के शाये होने की वजह से इस्लाम और मुसलमानों को बहुत नुक़्सान हुआ है, मिसाल के तौर पर जंगे उहद के मौक़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़त्ल होने की खबर उड़ा दी गई थी जिसकी वजह से मुसलमानों के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी जिसका नतीजा तारीख की किताबों में मौजूद है। इसी तरह जंगे बनु मुस्तलक़ के मौक़े पर मुनाफेक़ीन ने हज़रत आइशा पर तोहमत लगा कर गलत खबर फैलाई थी जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत भी मुतअस्सिर हुई थी। इब्तिदा में यह खबर मुनाफेक़ीन ने उड़ाई थी, लेकिन बाद में कुछ सच्चे मुसलमान भी अपनी लाइल्मी की वजह से इसमें शामिल हो गए थे। आखिर में अल्लाह तआला ने अपने पाक कलाम में हज़रत आइशा की बराअत नाज़िल फरमाई और इस वाक़्या में अल्लाह तआला ने झूठी खबर फैलाने वालों की मज़म्मत की जिन्होंने ऐसी गलत खबर को रायज किया कि जिसके ज़रिया हज़रत आइशा के दामने इफ्फत व इज़्ज़त को दागदार करने की मज़मूम कोशिश की गई थी, इरशादे बारी है "**उनमें से हर एक शख्स पर इतना गुनाह है जितना उसने कमाया है और उनमें से जिसने उसके बहुत बड़े हिस्से को सर अंजाम दिया है इसके लिए अज़ाब भी बहुत बड़ा है।**" (सूरह नूर 11)

आज कल मगरिबी ममालिक की बाज़ वेबसाइट इस्लाम से मुतअल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर Referrendum कराती रहती है। इन Referrendum में बाज़ हमारे भाई काफी जज़्बात से शरीक होते हैं और अपनी सलाहियतों का एक हिस्सा इसमें लगा देते हैं।

मेरे अज़ीज़ दोस्तों! आम तौर पर इस तरह की तमाम वेबसाइट इस्लाम के खिलाफ प्रॉपेगैंडा करने के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं, इन पर कोई तवज्जोह नहीं देनी चाहिए जैसा कि अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया "**ऐ ईमान वालो! अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहक़ीक़ कर लिया करो, ऐसा न हो कि नादानी में किसी क़ौम को तकलीफ पहुंचा दो फिर अपने किए पर पछताओ।**" (सूरह हुजरात 6) नीज़ अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया "**जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए दुनिया व आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है।**" (सूरह नूर 19)

इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है
जितना ही दबाओगे, इतना ही वह उभरेगा

चूंकि इन्टरनेट भी अल्लाह तआला की नेमतों में एक नेमत है, इसको हमें अपने शख्सी व तिजारती मुरासलात के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दीने इस्लाम की तबलीग और उलूमे नुबूवत को फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लिहाज़ा अगर सही दीनी मालूमात पर मुश्तमिल कोई ईमेल मुस्तनद ज़राये से आप तक पहुंचे तो आप इस ईमेल को पढ़ें भी नीज़ दोस्त व अहबाब और ग्रुप को भी फारवर्ड करें ताकि इस्लाम और उसके तमाम उलूम की ज़्यादा से ज़्यादा इशाअत हो सके। लेकिन अगर आप के पास ईमेल गैर मोतबर ज़राये से पहुंचे तो उस ईमेल को बेगैर तहक़ीक़ किए फारवर्ड न करें।

रिज़्क़ की कुंजियां

हम सब रिज़्क़ में वुसअत और बरकत की ख्वाहिश तो रखते हैं मगर क़ुरान व हदीस की रौशनी में रिज़्क़ की वुसअत के असबाब से नावाकिफ हैं, सिर्फ दुनियावी जिद्द व जोहद मेहनत और कोशिश पर इंहिसार कर लेते हैं, लिहाज़ा क़ुरान व हदीस की रौशनी में रिज़्क़ की वुसअत और बरकत के चंद असबाब तहरीर कर रहा हूं, अगर हम दुनियावी जिद्द व जोहद के साथ इन असबाब को भी इख्तियार कर लें तो अल्लाह तआला हमारे रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह जो हर शख्स की ख्वाहिश है।

1) इस्तेगफार व तौबा (अल्लाह तआला से गुनाहों की माफी मांगना)

अल्लाह तआला क़ुरान करीम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुतअल्लिक़ फरमाता है कि उन्होंने अपनी क़ौम से कहा "**पस मैंने कहा: अपने परवरदिगार से गुनाहों की माफी तलब करो। बेशक वह बड़ा बख्शने वाला है। आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे मालों और औलाद में इज़ाफा करेगा और तुम्हारे लिए बाग और नहरें बनाएगा।**" (सूरह नूह 10-12)

मुफस्सेरीन लिखते हैं कि सूरह नूह की इन आयात, सूरह हूद की आयत नम्बर (3) और आयत नम्बर (52) में इस बात की दलील है कि गुनाहों की माफी मांगने से रिज़्क़ में वुसअत और बरकत होती है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कसरत से अल्लाह तआला से अपने गुनाहों की माफी तलब की अल्लाह तआला उसको हर गम से निजात देंगे, हर मुश्किल से निकाल देंगे और

उसको वहां से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहां से उसका वहम व गुमान भी न होगा। (मुसनद अहमद, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा, मुसनद हाकिम)

2) तक़वा (अल्लाह तआला से डरते हुए ज़िन्दगी गुज़ारना)

अल्लाह तआला क़ुरान करीम में फरमाता है और जो कोई अल्लाह तआला से डरता है वह उसके लिए (हर मुश्किल से) निकलने का रास्ता बना देता है और उसको वहां से रोज़ी देता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। (सूरह तलाक़ 2-3)

3) अल्लाह तआला पर तवक्कुल

तवक्कुल (भरोसा) के मानी इमाम गज़ाली ने यूं लिखा है कि तवक्कुल ये है कि दिल का एतेमाद सिर्फ उसी पर हो जिस पर तवक्कुल करने का दावा किया गया हो। (एहयाउल उलूम 4-259)

अल्लाह तआला क़ुरान करीम में इरशाद फरमाता है और जो कोई अल्लाह तआला पर भरोसा रखे वह उसको काफी है। (सूरह तलाक़ 3)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अल्लाह तआला पर इसी तरह भरोसा करो जैसा कि उस पर भरोसा करने का हक़ है तो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ दिया जाए जिस तरह परिंदों को रिज़्क़ दिया जाता है। सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस पलटते हैं। (मुसनद अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

याद रखें कि हुसूले रिज़्क़ के लिए कोशिश और मेहनत करना तवक्कुल के खिलाफ नही है जैसा कि मज़कूरा हदीस से मालूम होता

है कि परिंदों को भी हुसूले रिज़्क़ के लिए घोंसले से निकलना पड़ता है।

4) अल्लाह तआला की इबादत के लिए फारिग होना

इससे मुराद यह नहीं कि हम दिन रात मस्जिद में बैठे रहें और हुसूले रिज़्क़ के लिऐ कोशिश न करें, बल्कि अल्लाह तआला के अहकामात को बजालाते हुए ज़िन्दगी गुजारें।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया ऐ आदम के बेटे! मेरी इबादत के लिए अपने आपको फारिग कर मैं तेरे सीने को तवंगरी से भर दूंगा और लोगों से तुझे बेनियाज़ कर दूंगा। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, मुसनद अहमद)

5) हज और उमरह में मुताबअत (बार बार हज और उमरह अदा करना)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लगातार हज व उमरे किया करो, बेशक यह दोनों (हज और उमरह) फक़्र यानी गरीबी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। (तिर्मिज़ी, नसई)

6) सिला रहमी (रिशतेदारों के साथ अच्छा सुलूक करना)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने रिज़्क़ में कुशादगी चाहे उसे चाहिए कि वह सिला रहमी करे। (बुखारी) सिला रहमी से रिज़्क़ में वुसअत और कुशादगी होती है। इस मौज़ू से मुतअल्लिक़ हदीस की तक़रीबन हर मशहूर व मारूफ किताब में मुख्तलिफ अल्फाज़ के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं।

7) अल्लाह तआला के रास्ते में खर्च करना

अल्लाह तआला क़ुरान करीम में फरमाता है और तुम लोग (अल्लाह की राह में) जो खर्च करो वह उसका बदला देगा और वह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। (सूरह सबा 39)

अहादीस की रौशनी में उलमाए किराम ने फरमाया है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का बदला दुनिया और आखिरत दोनों जहां में मिलेगा। दुनिया में बदला मुख्तलिफ शकलों में मिलेगा जिसमें एक शकल रिज़्क़ की कुशादगी है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया ऐ आदम के बेटे! तू खर्च कर मैं तुझ पर खर्च करूंगा। (मुस्लिम)

मेरे अज़ीज़ दोस्तो जिस तरह हुसूले रिज़्क़ के लिए हम अपनी मुलाज़मत, कारोबार और तालीम व तअल्लुम में जिद्द व जोहद और कोशिश करते हैं, जान व माल और वक़्त की क़ुर्बानियां देते हैं। इसी तरह क़ुरान व हदीस की रौशनी में ज़िक्र किए गए इन असबाब को भी इख्तियार करें, अल्लाह तआला हमारी रोज़ी में वुसअत और बरकत अता फरमाएगा, इंशाअल्लाह।

अल्लाह तआला हमें उखरवी ज़िन्दगी को सामने रख कर यह दुनियावी फानी ज़िन्दगी गुज़ारने वाला बनाए, आमीन।

नज़र यानी मन्नत मानने वाले के मसाइल

नज़र अपने ऊपर कुछ वाजिब करने का नाम है। शरई इस्तिलाह में अल्लाह तआला का तक़र्रुब हासिल करने के लिए अल्लाह तआला की इताअत वाले किसी ऐसे अमल को जो अल्लाह तआला ने ज़रूरी नहीं क़रार दिया या किसी भी जायज़ अमल को अपने ऊपर लाज़िम करने को नज़र यानी मन्नत कहते हैं, मसलन कोई शख्स कहे कि मैं अल्लाह तआला के लिए हर महीने तीन या पांच या सात रोज़े की नज़र मानता हूं, या यूं कहे कि अगर अल्लाह तआला ने मुझे फलां मर्ज़ से शिफा दे दी तो मैं इतना माल सदक़ा करूंगा।

नज़र यानी मन्नत मानने का रिवाज पहली कौमों में भी था, हत्ताकि ज़मानए जाहिलीयत में भी यह सिलसिला जारी था जैसा कि क़ुरान करीम में बहुत सी जगहों पर नज़र का तज़केरा मिलता है।

“**जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ मेरे रब! मेरे पेट में जो कुछ है उसे मैंने तेरी (इबादतगाह की) खिदमत के लिए वक़्फ करने की नज़र मानी है तो मेरी तरफ से क़बूल फरमा।**” (सूरह आले इमरान 35)

“**तो कह देना कि मैंने अल्लाह तआला के नाम का रोज़ा नज़र मान रखा है।**” (सूरह मरयम 26)

“**तुम जितना खर्च करो और जो कुछ नज़र मानो उसे अल्लाह तआला बखूबी जानता है यानी उस पर अज्र व सवाब देता है।**” (सूरह बक़रह 270)

नज़र की किस्में

नज़रे इताअत - अल्लाह तआला का तक़र्रुब हासिल करने के लिए अल्लाह तआला की इताअत वाले आमाल मसलन नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज और उमरह वगैरह में से ऐसे किसी अमल को अपने ऊपर लाज़िम कर लेना जिसको अल्लाह तआला ने ज़रूरी नहीं क़रार दिया है, मसलन कोई शख्स कहे कि मैं रोज़ाना 10 नवाफिल अदा करूंगा या हर माहीने सात या आठ रोज़े रखूंगा। ऐसी मन्नत को पूरा करना लाज़िम है जैसा कि क़ुरान करीम में है "**अपनी नजरों को पूरा करो।**" (सूरह हज 29) नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने अल्लाह की इताअत के लिए कोई मन्नत मानी तो उसको पूरा करना चाहिए। (बुखारी व मुस्लिम) हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैंने ज़मानए जाहिलीयत में नज़र मानी थी कि मैं मस्जिदे हराम में एक रात का एतेकाफ करूंगा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी नज़र को पूरा करो। (बुखारी) नज़र पूरी करने वालों की तारीफ खुद अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में ज़िक्र फरमाया "**वह अल्लाह की इताअत में नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज और उमरह की मन्नत मानते हैं और उसको पूरा करते हैं।**" (सूरह इंसान 7) इस आयत में अल्लाह तआला ने नज़र पूरी करने वालों को नेक लोगों में शुमार किया है।

क़सम का कफ्फारा

अगर कोई शख्स नज़र (मन्नत) मानने के बाद उस पर अमल करने से रुकना चाहे तो उसे क़सम का कफ्फारा अदा करना होगा।

दस मिसकीनों को दमरयाना दरजे का खाना खिलाना या दस मिसकीनों को बक़दरे सतरपोशी कपड़ा देना या गुलाम आज़ाद कराना। अगर इन मज़कूरा तीन कफ्फारों में से किसी एक के अदा करने पर क़ुदरत न हो तो तीन दिन के लगातार रोज़े रखने होंगे।

नज़रे मुक़य्यद - नज़र की दूसरी क़िस्म यह है कि किसी खास शर्त के पूरे होने पर मन्नत मानी जाए, मसलन अगर मेरी तंख्वाह में इज़ाफा हुआ तो मैं 100 रियाल गरीब को दूंगा। या मेरा फलां काम हो गया तो मैं एक बकरा ज़बह करूंगा। इस तरह की शर्त के साथ नज़र मानना जायज़ तो है, अलबत्ता शरीअते इस्लामिया ने इस क़िस्म की नज़र मानने को चंद वुजूहात की वजह से पसंद नहीं फरमाया है मसलन।

— कभी कभी नज़र मानने वाला मन्नत पूरा नहीं कर पाता और फिर गुनाहगार होता है।

— लोगों में यह अक़ीदा पैदा होता है कि नज़र मानने से तक़दीर बदल जाती है।

— लोगों में यह यक़ीन पैदा होता है कि उनकी नज़र की वजह से यह चीज़ हासिल हुई है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की नज़र के मुतअल्लिक़ इरशाद फरमाया नज़र मानने से कोई खैर नहीं आती बल्कि उसके ज़रिया सिर्फ बखील का कुछ माल खर्च हो जाता है। (बुखारी व मुस्लिम)

मसअला - अगर कोई शख्स इस तरह की मुक़य्यद नज़र मान ले तो शर्त पाए जाने पर नज़र का पूरा करना वाजिब है। अगर शर्त पाए

जाने के बावजूद किसी वजह से नज़र पूरी न कर सके तो उसे क़सम के कफ्फारा की तरह कफ्फारा अदा करना होगा।

तम्बीह - नज़र मिस्ल नमाज़, रोज़ा और ज़कात के एक इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह तआला के लिए ही है जैसा कि नमाज़ की हर रिकात में हम इसका एतेराफ करते हैं। "**हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं**" लिहाज़ा अल्लाह तआला के अलावा किसी बुज़ुर्ग या वली के नाम से नज़र यानी मन्नत जायज़ व हराम है और इस नज़र को पूरा न करना वाजिब और ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह की नाफरमानी में कोई नज़र मोतबर नहीं।

मसअला - अगर किसी शख्स ने किसी गुनाह करने की या बुज़ुर्ग या वली के नाम से नज़र मानी तो अल्लाह तआला से तौबा व इस्तिगफार के साथ उस नज़र का खत्म करना वाजिब और ज़रूरी है, अलबत्ता कफ्फारा के वुजूब में उलमा का इख्तिलाफ है, इहतियात क़सम का कफ्फारा अदा करने में है।

मसअला - अगर किसी शख्स ने चंद नजरें मानीं, मगर अब नजरों पर अमल करना मुश्किल हो रहा है तो वह अपनी तमाम नज़रों को खत्म कर सकता है। अलबत्ता एक क़िस्म का कफ्फारा अदा करना होगा या जितनी नजरें मानी थीं उतने ही कफ्फारे अदा करने होंगे, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, एहतियात इसी में है कि हर नज़र का अलग अलग कफ्फारा अदा करें।

क़सम खाने का बयान (हलफ बिल्लाह)

क़ुरान करीम की आयात (सूरह माइदा 89, सूरह बक़रह 225 और सूरह आले इमरान 77) व अहादीस शरीफा की रौशनी में क़सम खाने से मुतअल्लिक़ चंद ज़रूरी व अहम मसाइल उलमाए किराम ने इस तरह बयान फरमाए हैं।

अल्लाह तआला के नाम या उसकी सिफात के अलावा किसी भी चीज़ की क़सम खाना जायज़ नहीं है (मसलन तेरी क़सम, तेरे सर की क़सम)। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स क़सम खाना चाहे तो उसे चाहिए कि वह सिर्फ अल्लाह तआला के नाम ही की क़सम खाए वरना चुप रहे। (बुखारी व मुस्लिम) नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने अल्लाह तआला के अलावा क़सम खाइ गोया उसने कुफ्र और शिक किया। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, सही इब्ने हिब्बान, बैहक़ी, हाकिम) लिहाज़ा हमें हत्तल इमकान क़सम खाने से बचना चाहिए, अगर हमें क़सम खानी ही पड़े तो सिर्फ अल्लाह तआला की क़सम खाएं।

जानबूझ कर झूठी क़सम खाना कबीरा गुनाह है, मसलन किसी शख्स ने कोई काम कर लिया और वह जानता है कि मैंने यह काम किया है और फिर जानबूझ कर क़सम खाले कि मैंने यह काम नहीं किया इस तरह की झूठी क़सम खाना बहुत बड़ा गुनाह है और दुनिया व आखिरत में वबाल का सबब है। ऐसे शख्स के लिए अल्लाह तआला से तौबा व इस्तिगफार करना लाज़िम है। झूठी क़सम इंसान को गुनाह और वबाल में डुबाने वाली है, इसलिए इस

क़सम को यमीने गमूस कहा जाता है। यमीन के मानी क़सम और गमूस के मानी डुबा देने वाले के हैं।

किसी गुज़श्ता वाक़्ये को अपने नज़दीक सच्चा समझ कर क़सम खाए और हक़ीक़त में वह गलत हो मसलन किसी के ज़रिये से यह मालूम हुआ कि फलां शख्स आ गया है, इस पर एतेमाद करके उसने क़सम खाली फिर मालूम हुआ कि वह नहीं आया है। इसी तरह बिला क़स्द ज़बान से क़सम के अल्फाज़ निकल जाएं जैसे अल्लाह की क़सम, क़सम खुदा की। इस तरह की क़सम खाने को यमीने लग्व कहा जाता है। ऐसी क़सम खाने पर गुनाह तो नहीं है, अलबत्ता आदाबे गुफ्तगू के खिलाफ है, लिहाज़ा इस तरह की क़सम खाने से भी हत्तल इमकान बचना चाहिए।

आइन्दा ज़माने में किसी जायज़ काम के करने या न करने की क़सम खाने को यमीन मुंअक़िदा कहा जाता है। इस का हुकुम यह है कि इसके तोड़ने की सूरत में कफ्फारा वाजिब होता है। मसलन किसी शख्स ने क़सम खाई कि फलां काम नहीं करूंगा, फिर वह काम कर ले तो उस पर क़सम का कफ्फारा वाजिब है जिसकी तफसील यह है।

— दस मिसकीनों को दरमियानी दरजे का खाना खिलाना।

— या दस मिसकीनों को बक़दरे सतरपोशी कपड़ा देना।

— या एक गुलाम आज़ाद कराना।

— अगर इन मज़कूरा तीन कफ्फारों में से किसी एक के अदा करने पर क़ुदरत न हो तो क़सम तोड़ने वाले को लगातार तीन दिन के रोज़े रखने होंगे।

अगर किसी शख्स ने नाजायज़ काम मसलन नमाज़ न पढ़ने की क़सम खाई तो उसकी क़सम का कोई एतेबार नहीं होगा, लिहाज़ा उसको नमाज़ पढ़नी ही होगी अलबत्ता कोई कफ्फारा उसके ज़िम्मे नहीं होगा।

कबीरा गुनाहों से इजतेनाब

अल्लाह तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है "**अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुम्हें मना किया जाता है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और तुम्हें एक इज़्ज़त की जगह (जन्नत) में दाखिल करेंगे।**" (सूरह निसा 31) इस आयत में अल्लाह तआला ने इस बात का वादा फरमाया है कि जो शख्स कबीरा गुनाहों (यानी बड़े गुनाहों) से इजतेनाब करेगा तो अल्लाह तआला उसके तमाम छोटे गुनाहों को माफ फरमा कर उसको अपने फज़्ल व करम से जन्नत में दाखिल फरमाएगा।

इससे मालूम हुआ कि हमें कबीरा गुनाहों (यानी बड़े बड़े गुनाहों) से बचना चाहिए। लेकिन कबीरा गुनाहों से इजतेनाब और बचने के लिए उनका जानना ज़रूरी है, लिहाज़ा कबीरा गुनाहों में से उन 40 गुनाहों को मुख्तसर लिख रहा हूं जिनमें आज कल हमारा मुआशरा मुबतला है। अल्लाह तआला हम सबको कबीरा व सगीरा तमाम गुनाहों से महफूज़ रखें, आमीन।

गुनाहे कबीरा किस को कहते हैं

हर उस गुनाह को कबीरा गुनाह कहते हैं जिस से शरीअते इस्लामिया ने सख्ती के साथ रोका हो, या जिसके मुरतकिब के लिए दुनिया में कोई सज़ा मुक़र्रर की गई हो या आखिरत में कोई सख्त वईद सुनाई गई हो या उसके इरतेकाब से ईमान की नफी की गई हो या कुरान व हदीस में उसके लिए मलऊन वगैरह जैसे अल्फाज़ इस्तेमाल किए गए हों।

गुनाहे कबीरा का इरतेकाब

अगर किसी शख्स ने गुनाहे कबीरा का इरतेकाब कर लिया है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह अल्लाह तआला से सच्चे दिल से तौबा व इस्तिगफार करे, नीज़ किए हुए गुनाह पर शर्मिन्दा हो कर आइन्दा न करने का पुख्ता इरादा करे।

सच्चे दिल से माफी मांगने पर अल्लाह तआला बड़े बड़े गुनाह (समुन्दर के झाग के बराबर ही क्यों न हों) हत्ताकि शिर्क को भी माफ फरमा देता है। अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है "**ऐ नबी! कह दो कि ऐ मेरे बन्दो! जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाओ, यक़ीनन अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है, वह बख्शने वाला, रहम करने वाला है।**" (सूरह ज़ुमर 53) लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तो! मौत का फरिश्ता रूह निकालने के लिए किसी भी लम्हा आ सकता है, उसके बाद माफी मांगने का मौक़ा मुयस्सर नहीं होगा, लिहाज़ा अभी भी वक़्त है, माफी का दरवाजा खुला है, फौरन अल्लाह तआला की तरफ रुजू करें और उससे माफी मांगें।

गुनाहे कबीरा की तादाद 70 से भी ज़्यादा ज़िक्र की गई है, उन 40 गुनाहे कबीरा को यहां लिख रहा हूं जिसमें हमारा मुआशरा मुबतला है।

1) शिर्क बिल्लाह - अल्लाह के साथ किसी को इबादत में शरीक करना।

2) किसी को नाहक़ क़त्ल करना।

3) जादू करना या जादू करवाना।

4) सूद खाना।

5) नमाज़ न पढ़ना।

6) ज़कात अदा न करना।

7) बिला उज़्र रमज़ान के रोज़े न रखना।

8) इस्तिताअत के बावजूद हज अदा न करना।

9) वालिदैन की नाफरमानी करना।

10) रिशवत लेना या देना।

11) शराब पीना, या किसी दूसरी नशा आवर चीज़ का इस्तेमाल करना।

12) ज़िना करना।

13) रिशतेदारों से कता तअल्लुक़ करना।

14) तकब्बुर करना।

15) झूठ बोलना।

16) झूठी क़सम खाना।

17) झूठी गवाही देना।

18) फहश कलामी करना।

19) जुआ खेलना।

20) माल हराम तरीके से कमाना और उसका खर्च करना।

21) किसी शख्स को धोका देना।

22) किसी पर ज़ुल्म व सितम करना।

23) चुगल खोरी करना।

24) खुदकुशी करना।

25) चोरी या डकैती करना।

26) नाप तौल में कमी व बेशी करना।

27) किसी भी इंसान मसलन पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाना।

28) टीवी औा इन्टरनेट के ज़रिया फहश मनाजिर देखना।
29) पेशाब के क़तरात से न बचना।
30) मर्द का (तकब्बुराना) टखनों से नीचे कपड़ा पहनना।
31) मुर्दार या हराम जानवर का गोश्त खाना।
32) किसी शख्स (मसलन यतीम) का माल नाहक़ खाना।
33) मुसलमानों की तकफीर करना।
34) अल्लाह और रसूल की तरफ झूठी बात मंसूब करना।
35) शौहर की नाफरमानी करना।
36) औरतों का बेपरदा रहना।
37) पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना।
38) लिवातत और औरत के दुबुर में मुबाशरत करना।
39) गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह करना।
40) काहिनों और नजूमियों की तसदीक़ करना।

अल्लाह तआला हम सबको गुनाहों से बचाए और जो गुनाहे कबीरा व सगीरा हमसे सरज़द हो गए हैं अल्लाह उनको माफ फरमाए, आमीन। मेरे अज़ीज़ दोस्तो! कबीरा गुनाह के शुबहे से भी हमें बचना चाहिए।

इमतेहानात और हम

तक़रीबन एक महीने से बच्चों के इमतेहानात का सिलसिला जारी है, बच्चों के साथ वालिदैन, भाई, बहन व दूसरे रिशतेदार भी इन इमतेहानात में हमातन मशगूल हैं। हर शख्स की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा/बेटी/भाई/बहन अच्छे नम्बरात से इमतेहानात में कामयाबी हासिल करे, किसी अच्छे कोर्स में इसका दाखिला हो जाए वगैरह वगैरह। इन्हीं अफकार व जिद्द व जोहद की वजह से हर शख्स की अपनी ज़ाती ज़िन्दगी इन दिनों किसी न किसी हद तक इन इमतेहानात से मुतअस्सिर है। फैमिलियों का मिलना जुलना भी कम है, फैमिलियों का मुख्तलिफ मुनासिबत की दावतों को मुअख्खर कर दिया गया है। बस हर शख्स की एक ही कोशिश, जिद्द व जोहद और दुआ है कि मेरा बेटा, बेटी, भाई, बहन इन इमतेहानात में कामयाबी हासिल करले ताकि इसका मुस्तक़बिल रौशन व ताबनाक बन जाए।

इन इमतेहानात में कामयाबी के लिए कोशिश करना हमारी ज़िम्मेदारी है ताकि हम और हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो कर एक अच्छा मक़ाम हासिल कर सकें, एक अच्छी व मुहज़्ज़ब ज़िन्दगी गुज़ार सकें। लेकिन इन इमतेहानात के साथ इन इमतेहानात से बहुत ज़्यादा अहम एक दूसरा इमतेहान भी है जिसकी तैयारी भी हमें इसी दुनियावी ज़िन्दगी में रह कर करनी है और यह दुनियावी ज़िन्दगी कब खत्म हो जाएगी किसी को नहीं मालूम। हर शख्स का इस दुनियावी ज़िन्दगी को अलविदा कहना यक़ीनी है जिसका इंकार न किसी ने किया है और न कोई कर सकता है।

हम इन इमतेहानात से मुतअस्सिर हो कर अपनी दुनियावी ज़िन्दगी गुज़ारते हैं, इन इमतेहानात में कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, बेशुमार माली व जिस्मानी कुर्बानियां देते हैं, अपने राहत व आराम को क़ुर्बान करते हैं, हालांकि हम सबका तजुरबा है कि इन इमतेहानात में नाकामी के बावजूद दुनिया में कामयाबी के बेशुमार रास्ते निकल आते हैं, इसकी तलाफी हो जाती है, नीज़ अगर इमतेहानात में बिल्कुल नाकाम हो जाएं तब भी दुनियावी ज़िन्दगी बहरे हाल गुज़र ही जाती है, अगरचे यह हमारा मतलूब नहीं है, हमारा मतलूब तो तालीम हासिल करके दोनों जहां में कामयाबी हासिल करना है।

इन इमतेहानात में मशगूलियत के साथ हमारी यह कोशिश व फिक्र और दुआ होनी चाहिए कि हम, हमारी औलाद, हमारे क़रीबी रिशतेदार और दूसरे मुतअल्लेक़ीन उखरवी इमतेहान में ज़रूर बिज़्ज़रूर कामयाब हो जाएं, क्योंकि उखरवी इमतेहान में नाकामी की सूरत में दर्दनाक अज़ाब है जिसकी तलाफी मरने के बाद मुमकिन नहीं है, मरने के बाद आंसू के समुन्दर बल्कि खून के आंसू बहाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। याद रखें कि अगर हम उखरवी इमतेहान को सामने रख कर यह दुनियावी ज़िन्दगी गुजारेंगे तो हमारा उन बच्चों के इमतेहानात में मशगूल होना, उनकी तालीम पर पैसा खर्च करना, मुलाज़िमत या कारोबार करना, सोना, खाना, पीना वगैरह हर अमल दुनिया व आखिरत दोनों जहां की कामयाबी दिलाने वाला बनेगा इंशाअल्लाह।

उखरवी इमतेहान में कामयाबी और नाकामी की सूरत में क्या नतायज निकलेंगे अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में जगह जगह इसका ज़िक्र फरमाया है। सूरह हाक़्क़ह की चंद आयात में भी इस सूरते हाल का ज़िक्र किया गया है जिनका खुलासए तफसीर दरजे ज़ैल है।

खुलासए तफसीर

जिस रोज़ तुम खुदा के रूबरू हिसाब के वास्ते पेश किए जाओगे और तुम्हारी कोई बात अल्लाह तआला से पोशीदा नहीं होगी, फिर नामए आमाल हाथ में दिए जाएंगे तो जिस शख्स का नामए आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा वह तो जोश व मसर्रत में बेसाख्ता हर एक से कहता फिरेगा कि मेरा नामए आमाल तो पढ़ो, मैं हमेशा हमेशा के लिए कामयाब व कामरान हो गया, मेरा तो पहले ही से एतेक़ाद था कि मुझको मेरा हिसाब मिलने वाला है। गरज़ वह शख्स पसंदीदा ऐश यानी जन्नत में होगा जिसके मेवे इस कद्र झुके होंगे कि जिस हालत में चाहेगा हासिल कर लेगा और हुकुम होगा कि खाओ और पीयो मज़े के साथ इन आमाल के सिले में जो तुमने दुनियावी ज़िन्दगी में किए।

और जिस शख्स का नामए आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा सो वह निहायत हसरत से कहेगा कि काश मुझको मेरा नामए आमाल मिलता ही नहीं और मुझको यह खबर ही न होती कि मेरा हिसाब क्या है। काश मेरी पहली मौत जो दुनिया में आई थी फैसलाकुन होती और दोबारा ज़िन्दा न होता जिस पर यह हिसाब व किताब मुरत्तब हुआ। अफसोस मेरा माल मेरे कुछ काम नहीं आया। मेरा सारा इक़तेदार (जाह व मंसब) खत्म हो गया। ऐसे शख्स के

लिए फरिश्तों को हुकुम होगा कि उस शख्स को पकड़ो और उसके गले में तौक़ पहना दो फिर दोज़ख में इसको दाखिल कर दो फिर एक ऐसी ज़ंज़ीर में जिसकी पैमाइश सत्तर गज़ है इसको जकड़ दो। यह शख्स अल्लाह तआला पर जिस तरह ईमान लाना ज़रूरी था ईमान नहीं रखता था और खुद तो किसी को क्या देता दूसरों को भी गरीब आदमी को खिलाने की तर्गीब नहीं देता था। सो आज उस शख्स का न कोई दोस्त है और न उसको खाने पीने की कोई चीज़ नसीब है, सिवाए इस गंदे पानी के जिसमें अहले जहन्नम की पीप और पस पड़ी होगी जिसको गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाता पीता होगा।

अभी वक़्त है, मौत का फरिश्ता किसी भी वक़्त जिस्म से रूह निकाल सकता है, किसी भी लम्हा आंख हमेशा के लिए बन्द हो सकती है, रूह परवाज़ होने के बाद एक दफा हज या उमरह करने, एक पैसा सदक़ा करने, एक सज्दा या रुकू करने, हत्ताकि सिर्फ एक मरतबा अल्लाहु अकबर कहने की भी इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि मौत पर अमल का वक़्त खत्म और आमाल के मुताबिक़ जज़ा व सज़ा का सिलसिला शुरू हो जाता है, लिहाज़ा हम सब यह पक्का इरादा करें कि इन दुनियावी इमतेहानात के साथ उस उखरवी इमतेहान की तैयारी करते रहेंगे कि जिसमें नाकामी की सूरत में जहन्नम की दहकती हुई आग है जो दुनियावी आग से सत्तर गुना ज़्यादा गरम है। अगर हम वाक़ई उखरवी इमतेहान को सामने रख कर इस दुनियावी ज़िन्दगी को गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमें दुनियावी ज़िन्दगी में भी कामयाबी व राहत मिलेगी और कल क़यामत कि

दिन हमारा नतीजा इंशाअल्लाह दाहिने हाथ में मिलेगा और हम कामयाब होकर हमेशा हमेशा के आराम व सुकून में होंगे।

अल्लाह तआला से गुज़श्ता दिनों में हुई कोताहियों की सच्चे दिल से माफी मांगें, इस वक़्त एक क़तरा आंसू बहा कर अल्लाह तआला से सच्चे दिल से माफी मांगना मुफीद होगा, लेकिन मरने के बाद आंसू के समुन्दर बहाने से भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। अल्लाह तआला हम सबको दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए, आमीन।

गाय का गोश्त

गाय के गोश्त के मुतअल्लिक एक साहब का बयान अखबार में पढ़ा, जिसमें मौसूफ ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाय जबीहा के खिलाफ थे। हालाकि पूरी उम्मते मुस्लिमा कुरान व हदीस की रौशनी में गाय के गोश्त के हलाल होने पर मुत्तफिक है। यकीनन मुसलमानों के लिए ईदुल अजहा के मौके पर गाय ही जबह करना या आम हालात में गाय का गोश्त खाना फर्ज या वाजिब नहीं है लेकिन यह कहना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाय जबह करने के खिलाफ थे कुरान व हदीस से अदमे वाकफियत की अलामत है। मौसूफ ने जिस कौल का सहारा लिया है वह जमहूर मुहद्दिसीन के मुताबिक मुंकर है और काबिले अमल नहीं है। इसके मुकाबला में कुरान करीम की बहुत सी आयात और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में वाजेह तौर पर मौजूद है कि गाय का गोश्त न सिर्फ हलाल है बल्कि कयामत तक आने वाले इंसानों के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाया है। हाँ! अगर मुसलमान बरादराने वतन के साथ यकजहती और रवादारी के लिए गाय जबह न करें तो इसकी गुंजाइश जरूर है मगर गाय जबह करने को शरीअत के खिलाफ करार देना या यह कहना कि हुजूर अकरम सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम गाय जबह करने के खिलाफ थे सरासर गलत है।

अल्लाह तआला ने कुरान करीम में गाय (सूरह बकरा) के नाम से सबसे बड़ी सूरत नाजिल फरमाई जिसकी कल कयामत तक तिलावत होती रहेगी। अल्लाह तआला ने अपने पाक कलाम में 9 जगह गाय का और 10 जगह बच्छड़े का जिक्र फरमाया है। कुरान करीम (सूरह

हूद आयत नम्बर 59 और 70) में है कि जब दो फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास उनको यह खुशखबरी देने के लिए आये कि उनके यहां एक बेटा पैदा होगा (यानी इसहाक अलैहिस्सलाम) तो मेहमान नवाजी के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भुने हुए बच्छड़े का गोश्त उनके सामने पेश फरमाया। सूरह जारियात में भी अल्लाह तआला ने इस वाक्या का जिक्र फरमाया है। अल्लाह तआला ने सूरह अनाम आयत नम्बर 144 में वजाहत के साथ जिक्र फरमाया है कि गाय और बच्छड़े दोनों हलाल हैं।

हदीस की सबसे मुसतनद किताब सही बुखारी में है कि उम्मुल मोमनीन हजरत आइशा रजी अल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि कुरबानी के दिन हमारे यहां गाय का गोश्त लाया गया तो मैंने कहा कि यह कैसा है? (लाने वाले ने) कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजवाज (बीवियों) की तरफ से कुरबानी की है। इस हदीस में वजाहत के साथ मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की कुरबानी की और उनको खाने के लिए गाय का गोश्त भेजा।

हदीस की दूसरी मुसतनद किताब सही मुस्लिम में है कि हजरत आइशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गाय का गोश्त लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कहा गया कि यह गोश्त हजरत बरीरा रजी अल्लाहु अन्हा को सदका में दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके लिए सदका और हमारे लिए हदया है। लिहाजा तुम सब खाओ।

खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गाय का गोश्त खाया है जैसा कि सही बुखारी व सही मुस्लिम में है कि हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामे सरार पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गाय जबह करने का हूकुम फरमाया। वह जबह की गई और सब लोगों ने उसके गोश्त में से खाया। (सही मुस्लिम- किताबुल मसाकात)

सही मुस्लिम (किताबुल हज) में है कि हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज का तल्बिया कहते हुए चल दिए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हूकुम फरमाया कि ऊंट और गाय की कुरबानी में बाहम शरीक हो जायें, सात सात आदमी एक ऊंट या एक गाय की मिल कर कुरबानी करें।

जब अल्लाह तआला ने गाय के गोश्त को हलाल करार दिया है जैसा कि सूरह अनाम आयत नम्बर 144 में वजाहत के साथ मजकूर है। नीज सारी इंसानियत में सबसे अफजल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गाय का गोश्त खाने का सबूत अहादीसे नबविया में मौजूद है। ईदुल अजहा और हज के मौका पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गाय की कुरबानी करने का वाजेह सबूत अहादीस में मौजूद है। नीज कुरान व अहादीस की रौशनी में 1400 साल से उम्मते मुस्लिमा के तमाम मकातिबे फिक्र गाय के गोश्त के हलाल हाने पर मुत्तफिक हैं तो हमें या किसी को को क्या हक हासिल है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बात मंसूब करें कि जिसकी कोई वाजहे दलील मौजूद नहीं

है। और जो कौल जिक्र किया गया वह भी किसी हाल में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है जैसा कि मुहद्दिसीन ने वजाहत के साथ जिक्र कर दिया है। और अगर तसलीम कर भी लिया जाये तो कुरान व हदीस के वाजेह दलाएल की रौशनी में यही कहा जायेगा कि इससे मुराद बेजा इस्तिमाल है और जाहिर है कि किसी भी चीज की कसरत नुकसानदह हो सकती है।

कुरान व हदीस के वाजेह हूकूम के बरखिलाफ किसी ऐसे कौल (गाय के दुध को पियो कि उसमें शिफा है और गाय के गोश्त से बचो कि उसमें बीमारी है) को दलील के तौर पर पेश करना जिसके मुतअल्लिक जमहूर उलमा का फैसला है कि यह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है, बिल्कुल गलत है। नीज यह कौल दूसरी सनदों से भी किताबों में मजकूर है जिसमें गाय के दूध को पियो कि इसमें शिफा है तो मजकूर है लेकिन दूसरा जुमला मजकूर नहीं है जो इस बात की वाजेह अलामत है कि दूसरा जुमला बाद में किसी ने बढ़ाया है।

मैं अपने हम वतन हिन्दू भाइयों से भी यह बात कहना चाहता हूं कि हम आपके जजबात को ठेस पहुंचाने के लिए गाय जबह नहीं करते हैं बल्कि जिस तरह आपकी किताबों के मुताबिक गाय एक मुकद्दस जानवर है इसी तरह इस कायनात के मालिक, खालिक और राजिक के कलाम यानी कुरान मजीद में और सारी इंसानियत के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल में हमें गाय जबह करने की इजाजत है और बकरईद के मौका पर अगर हम मुसलमान गाय जबह करते हैं तो वह आपके जज़बात तो ठेस पहुचाने के लिए नहीं बल्कि इस अमल को मुकद्दस समझ कर ही करते हैं। नीज

जिस तरह तुम गाय की पूजा को इबादत समझते हो इसी तरह ईदुल अजहा के मौका पर मुसलमानों का गाय की कुरबानी करना शरीअते इस्लामिया में इबादत है।

अंगूठी पहनने का हूकुम

सोने की अंगूठी: हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाजेह तालीमात की रौशनी में उलमा का इत्तिफाक है कि सोने की अंगूठी औरतों के लिए पहनना जायज़ है लेकिन मर्द के लिए हराम है जैसा कि मशहूर मुहद्दिस इमाम नववी और हाफिज़ इबनुल बर ने इस मसला में इजमा-ए-उम्मत जिक्र किया है। हाँ इब्तिदा-ए-इस्लाम में मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना जायज थी इसी वजह से बाज साहाबा-ए-कराम के सोने की अंगूठी पहनने के वाक्यात किताबों में मिलते हैं लेकिन बाद में हराम कर दी गई। गर्जकि पूरी उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि कयामत तक मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना जायज़ नही है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की औरतों के लिए सोना और रेशम हलाल है लेकिन मेरी उम्मत के मर्द हजरात के लिए हराम है। (मुसनद अहमद)

चांदी की अंगूठी: सोने की तरह चांदी की अंगूठी पहनना औरतों के लिए जायज है, अलबत्ता मर्द के लिए चंद शरायत के साथ चांदी की अंगूठी पहनना जायज है। हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह रूम को खत लिखने का इरादा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि अगर आप के खत पर मुहर न हुई तो वह आपका खत नहीं पढ़ेंगे चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की एक अंगूठी बनवाई उसपर नक्श था मुहम्मद

रसूलुल्लाह। (बुखारी शरीफ) गर्जकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुहर के तौर पर अंगूठी का इस्तिमाल किया है लेकिन फुकहा व उलमा में इख्तिलाफ है कि अंगूठी पहनना सुन्नत है या सिर्फ जायज है।

अंगूठी में याकूत वगैरह का इस्तिमाल: अक्सर उलमा की राय है कि अंगूठी में याकूत वगैरह पत्थर लगा कर पहनना जायज है, अगरचे बाज उलमा ने इख्तिलाफ किया है।

दूसरी धात की अंगूठी: लोहे, पीतल वगैरह की अंगूठी के मुतअल्लिक भी उलमा की इख्तिलाफ है। बाज उलमा ने औरतों के लिए गुंजाइश रखी है लेकिन मर्द हजरात के लिए जायज नहीं क्योंकि शरीअते इस्लामिया ने मर्द के लिए खास मिकदार की सिर्फ चांदी की अंगूठी पहनने की इजाजत मरहमत फरमाई है। बाज अहादीस में आया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहे की अंगूठी पहनने से मना फरमाया है। इसलिए इहतियात इसी में है कि मर्द व औरत दोनों लोहे की अंगूठी पहनने से परहेज करें। हां मौजूदा जमाना के आर्टीफिशियल जेवरात औरतें इस्तिमाल कर सकती हैं।

अंगूठी कौन-से हाथ में: अंगूठी दायें या बायें दोनों हाथ में से किसी भी हाथ में पहन सकते हैं। क्योंकि हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायें हाथ में अंगूठी पहनते थे। (अबु दाउद) जबकि हदीस की मशहूर किताब (तिरमीजी) में है कि हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा अपने बायें हाथ में

अंगूठी इस्तिमाल करते थे। गर्जकि आम तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायें हाथ में अंगूठी इस्तिमाल करते थे अगरचे बायें हाथ में भी अंगूठी पहनी जा सकती है।

अंगूठी कौन-सी अंगुली में: हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत वाली अंगुली और बीच वाली अंगुली में अंगूठी पहनने से मना फरमाया है। (सही मुस्लिम) इमाम नववी ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि मर्द के लिए इन दो अंगुलियों में से किसी एक अंगुली में अंगूठी पहनना मकरूह है। गर्जकि सबसे छोटी या उसके बराबर वाली अंगुली में अंगूठी पहनी जा सकती है। चूंकि औरतें शरअन एक से ज्यादा अंगूठी इस्तिमाल कर सकती हैं तो उनके लिए किसी भी अंगुली में अंगूठी पहनने की गुंजाइश है।

मर्द के चांदी की अंगूठी का वजन: हदीस की मशहूर किताब अबु दाउद में एक हदीस की बुनियाद पर उलमा अहनाफ ने लिखा है कि मर्द हजरात साढ़े चार माशा (तकरीबन पांच ग्राम) से ज्यादा की चांदी की अंगूठी इस्तिमाल न करें। अलबत्ता औरतों के लिए अंगूठी के वजन की कोई शर्त नहीं है।

मर्द के लिए चांदी की अंगूठी की तादाद: अक्सर उलमा की राय है कि मर्द हजरात सिर्फ एक ही अंगूठी पहन सकते हैं अगरचे बाज उलमा ने फजूल खर्ची के बेगैर एक से ज्यादा की गुंजाइश रखी है।
अंगूठी पर नक्श करवाना: उलमा ने अंगूठी पर किसी का नाम नक्श कराने की इजाजत फरमाई है।

अंगूठी का नग: अंगूठी पहनने के वक्त उसका नग हथेली की तरफ करना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। (अबु दाउद) लेकिन ऐसा करना अंगूठी पहनने वाले के लिए जरूरी नहीं है।

वजू और गुस्ल के दौरान अंगूठी को हरकत देना: अगर अंगूठी बहुत ज्यादा तंग है तो वजू और गुस्ल के दौरान हरकत देना जरूरी है ताकि पानी अंदर तक पहुंच जाये लेकिन अगर अंगूठी बहुत ज्यादा तंग नहीं है और यकीन है कि पानी खाल तक खुद ही पहुंच जाये तो फिर अंगूठी को हरकत देना जरूरी नहीं है।

नये साल की आमद पर जश्न या अपना मुहासबा

यह दुनिया किस तरह दौड़ रही है कि महीने दिनों की तरह और दिन घंटों की तरह गुज़र रहे हैं। हमें एहसास भी नहीं हो रहा है और हमारी ज़िन्दगी के दिन कम होते जा रहे हैं और हम बराबर अपनी मौत के क़रीब होते जा रहे हैं। हम अपनी दुनियावी ज़िन्दगी में एसे मसरूफ और मुंहमिक हैं कि लगता है कि हम इसी दुनिया में हमेशा हमेश रहेंगे। हालांकि अकलमंद और नेक बख्त वह है जो दिनों की तेजी से जाने और साल व मौसम के बदलने को अपने लिए इबरत बनाये, वक़्त की क़दर व कीमत समझे कि वक़्त सिर्फ उसकी वह उम्र है जो उसकी हर सांस पर कम हो रही है और अच्छे आमाल की तरफ रागिब हो कर अपने मौला को राज़ी करने की काशिश करे। वक़्त का तेजी के साथ गुजरना क़यामत की अलामतों से एक अलामत है जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक जमाना आपस में बहुत करीब न हो जाये (यानी शब व रोज की गरदिश बहुत तेज न हो जाये) चुनांचे साल महीने के बराबर, महीना हफ्ता के बराबर, हफ्ता दिनों के बराबर और दिन घंटे के बराबर हो जायेगा। और घंटे का दौरानिया बस इतना रह जायेगा कि जितनी देर में आग का शोला एक दम भड़क कर बुझ जाता है। (मुसनद अहमद, तिरमिजी)

अल्लाह तआला ने हर जानदार के लिए मौत का वक़्त और जगह मुतअय्यन कर दी है और मौत ऐसी चीज है कि दुनिया का कोई भी शख्स चाहे वह काफिर, फाजिर हत्ता कि दहरिया ही क्यों न हो मौत को यकीनी मानता है। और अगर कोई मौत पर शक व शुब्हा भी

करे तो उसे बेवकूफों की फेहरिस्त में शुमार किया जाता है। क्यों कि बड़ी बड़ी माद्दी ताकतें और मशरिक से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज व बेबस हो जाती हैं। हर शख्स का मरना यकीनी है लेकिन मौत का वक़्त और जगह सिवाये अल्लाह की जात के किसी इंसान को नहीं मालूम। चुनांचे बाज बचपन में, बाज़ जवानी और बाज़ अधेड़ उम्र में जबकि बाकी बुढापे में दाइए अजल को लब्बैक कह जाते हैं। बाज़ सेहतमंद, तंदरुस्त नौजवान सवारी पर सवार होते हैं लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वह मौत की सवारी पर सवार हो चुके हैं। अल्लाह तआला ने कुरान करीम इस हकीकत को बार बार जिक्र फरमाया है तुम जहाँ भी होगे (एक न एक दिन) मौत तुम्हें जा पकड़ेगी, चाहे तुम मज़बूत किले में ही क्यों न रह रहे हो। (सूरह निसा 78)

ऐ नबी! आप कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वह तुम से आ मिलने वाली है। यानी वक़्त आने पर मौत तुम्हें ज़रूर उचक लेगी। (सूरह जुमा 8)

जब उनका वक्ते मीआद आ जाता है तो वह घड़ी भर भी उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। (सूरह आराफ 34) और न किसी शख्स को यह मालूम है कि ज़मीन के किस हिस्से में उसे मौत आयेगी। (सूरह लुक़मान 34)

मुख्तलिफ मवाके पर उलमा-ए-किराम और दाइयाने इस्लाम वाज़ व नसीहत करते हैं कि हम दुनियावी ज़िन्दगी की हकीकत को समझ कर वक़्तन फवक़्तन अपनी ज़िन्दगी का मुहासबा करते रहें और ज़िन्दगी के गुज़रे हुए दिनों में आमाल की तलाफी ज़िन्दगी के बाकी मान्दा दिनों में कर सकें। लिहाज़ा हम नये साल की आमद पर

पक्का इरादा करें कि ज़िन्दगी के जितने दिन भी बाकी बचे हैं इंशाअल्लाह अपने मौला को राजी रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अभी हम बकैद हयात हैं और मौत का फरिश्ता हमारी जान निकालने के लिए कब आ जाये मालूम नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पांच काम को पांच कामों से फायदा उठाया जाये। बुढ़ापा आने से पहले जवानी से, मरने से पहले ज़िन्दगी से, काम आने से पहले खाली वक़्त से, गुरबत आने से पहले माल से और बीमारी से पहले सेहत से। (मुस्तदरक हाकिम इबने अबी शैबा) इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन किसी इंसान का कदम अल्लाह तआला के सामने से हट नहीं सकता यहाँ वह मज़कूरा सवालात का जवाब दे दें। ज़िन्दगी कहाँ गूजारी? जवानी कहाँ लगाई? माल कहाँ से कमाया? यानी हुसूले माल के असबाब हलाल थे या हराम। माल कहाँ खर्च किया? यानी माल से मुतअल्लिक और बन्दों के हुकूक़ अदा किए या नहीं। इल्म पर कितना अमल किया?

मेरे अजीज भाईयों! हमें अपनी ज़िन्दगी का हिसाब अपने खालिक व मालिक व राजिक को देना है जो हमारी शहे रग से भी ज्यादा करीब है जो पूरी कायनात का पैदा करने वाला और पूरी दुनिया के निजाम को तने तन्हा चला रहा है।

हमें गुजश्ता 365 दिन के अच्छे दिन और कुछ तकलीफदह लम्हात याद रह गये हैं, बाकी हमने 365 दिन इस तरह भुला दिये कि कुछ हुआ ही नहीं। गरज़ ये कि हमारी कीमती ज़िन्दगी के 365 दिन ऐसे हो गये हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि हमें साल के इख्तिताम पर यह मुहासबा करना चाहिए कि हमारे नामए आमाल में

कितनी नेकियाँ और कितनी बुराईया लिखी गई। क्या हमने इस साल अपने नामए आमाल में ऐसे नेक आमाल दर्ज कराये कि कल क़यामत के दिन इनको देख कर हम खुश हों और जो हमारे लिए दुनिया व आखिरत में नफा बख्श बनें? या हमारी गफलतों और कोताहियों की वजह से ऐसे आमाल हमारे नामए आमाल में दर्ज हो गये जो हमारी दुनिया व आखिरत की नाकामी का ज़रिया बनेंगे? हमें अपना मुहासबा करना होगा कि इस साल अल्लाह की इताअत में बढौतरी हुई या कमी आई? हमारी नमाजें, रोजे और सदकात वगैरह सही तरीका से अदा हुए या नहीं? हमारी नमाजें खुशु व खुजु के साथ अदा हुईं या फिर वही तरीका बाकी रहा जो बचपन से जारी है? रोजों की वजह से हमारे अन्दर अल्लाह का खौफ पैदा हुआ या सिर्फ सुबह से शाम तक भूखा रहना? हमने यतीमों और बेवाओं का ख्याल रखा या नहीं? हमारे मामलात में तबदीली आई या नहीं? हमारे अखलाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का नमूना बने या नहीं? जो इल्म हमने हासिल किया था वह दूसरों को पहुंचाया या नहीं? हमने अपने बच्चों की हमेशा हमेश की ज़िन्दगी में कामयाबी के लिए कुछ इकदामात भी किए या सिर्फ उनकी दुनियावी तालीम और उनको दुनियावी सहुलियात फराहम करने के ही फिक्र करते रहें? हमने इस साल इंसनों को तकलीफें पहुंचाई या उनकी राहत रसानी के इंतिजाम किये? हमने यतीमों और बेवाओं की मदद भी की या सिर्फ तमाशा देखते रहे? हमने कुरान करीम के हमारे ऊपर जो हकूक हैं वह अदा भी किये या नहीं? हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की या नाफरमानी? हमारे पड़ोसी हमारी

तकलीफों से महफ़ूज रहे या नहीं? हमने वालिदैन, पड़ोसी और रिशतेदारों के हक़ूक अदा किये या नहीं?

जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक, कंपनियाँ, और अंजुमनें साल के खत्म होने पर अपने दफ्तरों में हिसाब लगाते हैं कि कितना नुक्सान हुआ या फायदा? और फिर फायदे या नुक्सान के असबाब पर गौर व खौज करते हैं। नीज खसारा के असबाब से बचने और फायदा के असबाब को ज्यादा से ज्यादा इख्तियार करने की प्लानिंग करते हैं। इसी तरह मेरे दीनी भाईयों! आखिरत के ताजिरों को साल के इख्तिताम पर नीज़ वक़्तन फवक़्तन अपनी जात का मुहासबा करते रहना चाहिए कि किस तरह हम दोनों जहां में कामयाबी व कामरानी हासिल करने वाले बनें? किस तरह हमारा और हमारी औलाद का खात्मा ईमान पर हो? किस तरह हमारी उखरवी ज़िन्दगी की पहली मंजिल यानी कब्र जन्नत का बागीचा बने? जब हमारी औलाद, हमारे दोस्त अहबाब और दूसरे मुतअल्लेक़ीन हमें दफन करके कब्रिस्तान की अंधेरे में छोड़ कर आ जायेंगे तो किस तरह हम कब्र में मुंकर नकीर के सवालात का जवाब देंगे? किस तरह हम पुल सिरात से बिजली की तरह गुजरेंगे? क़यामत के दिन हमारा नामए आमाल किस तरह दायें हाथ में मिलेगा? किस तरह हौज़े कौसर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से कौसर का पानी मिले कि जिसके बाद फिर कभी प्यास ही नहीं लगेगी? जहन्नम की अजाब से बच कर किस तरह बेगैर हिसाब व किताब के हमें जन्नतुल फिरदौस में मकाम मिलेगा? आखिरत की कामयाबी व कामरानी ही असल नफा है जिसके लिए हमें हर साल, हर माह, हर हफ्ता बल्कि हर रोज अपना मुहासबा करना चाहिए।

अभी वक़्त है। मौत किसी भी वक़्त अचानक हमें दबोच लेगी, हमें तौबा करके नेक आमाल की तरफ सबकत करनी चाहिए। अल्लाह तआला फरमाता है ऐ मोमिनों! तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। (सूरह नूर 31) इसी तरह अल्लाह तआला का फरमान है कह दो कि ऐ मेरे वह बन्दो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती कर रखी है यानी गुनाह कर रखे हैं अल्लाह के रहमत से मायूस न हो। यकीन जानो अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है। यकीनन वह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। (सूरह ज़ुमर 53) यकीनन नेकियाँ बुराईयों को मिटा देती हैं। (सूरह हूद 114) यही दुनियावी फानी वक्ती ज़िन्दगी उखरवी अबदी ज़िन्दगी की तैयारी के लिए पहला और आखरी मौका है अल्लाह तआला फरमाता है यहाँ तक जब उनमें से किसी पर मौत आ खड़ी होगी तो वह कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे वापस भेज दीजिए ताकि जिस दुनिया को मैं छोड़ आया हूं उसमें जा कर नेक आमाल करूं। हरगिज़ नहीं, यह तो बस एक बात है जो वह कह रहा है, अब उन सब (मरने वालों) के पीछे एक बरजख है जब तक कि वह दोबारा उठायें जायें। (सूरह मोमेनून 99, 100) लिहाजा जरूरी है कि हम अफसोस करने या खून के आंसू बहाने से पहले इस दुनियावी ज़िन्दगी में ही अपने मौला को राजी करने की कोशिश करें, ताकि हमारे बदन से हमारी रूह इस हाल में जुदा हो कि हमारा खालिक व मालिक व राजिक हमसे राजी हो। आज हम सिर्फ फानी ज़िन्दगी के आरजी मकासिद को सामने रख कर दुनियावी ज़िन्दगी गुजारते हैं और दुनियावी ज़िन्दगी के ऐश व आराम और वक्ती इज्जत के लिए जद्द व जिहद करते हैं।

लिहाजा नमाज व रोजा की पाबन्दी के साथ जकात के फर्ज होने पर उसकी अदाएगी करें। कुरान की तिलावत का इहतिमाम करें। सिर्फ हलाल रोजी पर इकतिफा करें ख्वाह बजाहिर कम ही क्यों न हो। बच्चों की दीनी तालीम व तरबीयत की फिक्र व कोशिश करें। अहकाम-ए-इलाही पर अमल करने के साथ जिन अमूर से अल्लाह तआला ने मना किया है उनसे बाज आयें। टीवी और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से अपने आपको और अपने बच्चों को दूर रखें। हत्तल इमकान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपनी ज़िन्दगी में दाखिल करने की कोशिश करें और जिन सुन्नतों पर अमल करना मुश्किल हो उनको भी अच्छी और मोहब्बत भरी निगाह से देखें। और अमल न करने पर नदामत और अफसोस करें। अपने मामलात को साफ सुथरा बनायें। अपने अखलाक को ऐसा बनायें कि गैर मुस्लिम हजरात हमारे अखलाक से मुतअस्सिर हो कर दायरए इस्लाम में दाखिल हों।

नये साल की मुनासबत से दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर HAPPY NEW YEAR के नाम से बहुत सी जगहों पर प्रोग्राम किये जाते हैं और उनमें बेतहाशा रकम खर्च की जाती है। हालांकि इस रकम से लोगों की फलाह व बबहूद के बड़े बड़े काम किये जा सकते हैं, इंसानी हुकूक की ठेकेदार बनने वाली दुनिया की मुख्तलिफ तंजीमें भी इस मौके पर चश्मपोशी से काम लेती है। मगर जाहिर है कि इन प्रोग्रामों को मुंअकिद करने वाले न हमारी बात मान सकते हैं और न ही वह इस वक़्त हमारे मुखातब हैं। लेकिन हम मुस्लमानों को इस मौके पर क्या करना चाहिए? यह इस मजमून को लिखने का बुनियादी मकसद है। पूरी उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि

शरीअते इस्लामिया में कोई मखसूस अमल इस मौका पर मतलूब नहीं है और कियामत तक आने वाले इन्स व जिन्न के नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा-ए-कराम, ताबेईन, तबे ताबेईन, मुफस्सेरीन, मुहद्दिसीन और फुकहा से HAPPY NEW YEAR कह कर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करने को कोई सबूत नहीं मिलता। इस तरह के मवाके के लिए अल्लाह तआला ने कुरान करीम में हमारी रहनुमाई फरमाई है (रहमान के वह बन्दे हैं) जो नाहक कामों में शामिल नहीं होते हैं, यानी जहाँ नाहक और नाजायज काम हो रहे हों अल्लाह तआला के नेक बन्दे उनमें शामिल नहीं होते, बल्कि बुरे कामों को बुरा समझते हुए वकार के साथ वहाँ से गुज़र जाते हैं। (सूरह फुरकान 72)

असरे हाजिर के उलमा-ए-किराम का भी यही मौकिफ है कि यह अमल सिर्फ और सिर्फ गैरों का तरीका है। लिहाजा हमें इन तकरीबात में शिर्कत से हत्तल इमकान बचना चाहिए और अगर कोई शख्स HAPPY NEW YEAR कह कर हमें मुबारकबाद पेश करे तो मुख्तलिफ दुआए कलेमात उसके जवाब में पेश कर दें। मसलन अल्लाह तआला पूरी दुनिया में अमन व सुकून कायम फरमाये, अल्लाह तआला कमजोरों और मजलूमों की मदद फरमाये, अल्लाह तआला बरमा, शाम, इराक और फिलिस्तीन में मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाये। अल्लाह तआला हम सबकी जिन्दगियों में खुशियाँ लायें, अल्लाह तआला 2016 को इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी का साल बना दें। नीज साल गुजरने पर ज़िन्दगी के मुहासबा का पैगाम भी दिया जा सकता है। हम इस मौका पर आइन्दा अच्छे काम करने के अहद करने का पैगाम भी भेज सकते

हैं। गरज ये कि हम खुद HAPPY NEW YEAR कह कर पहल न करें, बल्कि इस मौका पर हासिल शुदा पैगाम पर खुद दाई बन कर मुख्तलिफ अंदाज से मुसबत जवाब पेश फरमायें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मुख्तलिफ कलैंडर राएज थे और जाहिर है कि हर कलैंडर के एतेबार से साल की इब्तिदा भी होती है। हिजरी कलैंडर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु के अहदे खिलाफत में शुरू किया गया और चांद के निजाम से चलने वाले हिजरी कलैंडर के साल की इब्तिदा मुहर्रमुल हराम से शुरू की गई। सूरज के निजाम से ईसवी कलैंडर में 365 या 366 दिन होते हैं, जबकि हिजरी कलैंडर में 354 दिन होते हैं। हर कलैंडर में 12 ही महीने होते हैं। हिजरी कलैंडर में महीना 29 या 30 दिन का होता है जबकि ईसवी कलैंडर में सात महीना 31 दिन के, 4 महीना 30 दिन और 1 महीना 29 दिन का होता है। सूरज और चांद दोनों का निजाम अल्लाह तआला ही ने बनाया है।

शरीअते इस्लामिया में बहुत सी इबादतें हिजरी कलैंडर से मरबूत हैं। दोनों कलैंडर में 10 या 11 रोज का फर्क होने की वजह से बाज मखसूस इबादतों का वक़्त एक ही मौसम से दूसरे मौसम में तबदील होता रहता है। यह मौसमों की तब्दीली भी अल्लाह तआला की निशानी है, हमें इस पर गौर करना चाहिए कि मौसम कैसे तब्दील हो जाते हैं और दूसरों को भी इस पर गौर व फिक्र करने की दावत देनी चाहिए। जाहिर है कि यह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हूकुम है जिसने बहुत से मौसम बनायें और हर मौसम में मौसम के एतेबार से बहुत सी चीजें बनायें, जैसा कि फरमाने इलाही है बेशक आसमानों और जमीन की तखलीक में और रात दिन के बारी बारी आने जाने

में उन अकल वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं जो उठते बैठते और लेटे हुए (हर हाल में) अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और जमीन की तखलीक पर गौर व फिक्र करते हैं (और उनको देख कर बोल उठते हैं कि) ऐ हमारे परवरदिगार! आपने यह सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया। आप (ऐसे फजूल काम से) पाक हैं, पस दोजख के अजाब से बचा लीजिए। (सूरह आले इमरान 190, 191)

नये साल के मौके पर अमूमन दुनिया में सरदी की लहर होती है, सरदी के मौसम में दो खास इबादतें करके हम अल्लाह तआला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। एक इबादत वह है जिसका तअल्लुक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से है और वह रात के आखिरी हिस्सा में तहज्जुद की नमाज की अदायेगी है जैसा कि सरदी के मौसम के मुतअल्लिक हदीस में आता है कि सरदी का मौसम मोमिन के लिए मौसमे रबी है, रात लम्बी होती है, इसलिए वह तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। दिन छोटा होने की वजह से रोजा रखता है। यकीनन सरदी में रात लम्बी होने की वजह से तहज्जुद की चंद रिकात नमाज पढ़ना हमारे लिए आसान है। कुरान करीम में फर्ज नमाज के बाद जिस नमाज का जिक्र ताकीद के साथ बार बार किया गया है वह तहज्जुद की नमाज ही है जो तमाम नवाफिल में सबसे अफजल नमाज है।

सरदी के मौसम में दूसरा अहम काम जो हमें करना चाहिए वह अल्लाह के बन्दों की खिदमत है और इसका बेहतरीन तरीका यह है कि हम गुरबा व मसाकीन व यतीम व बेवाओं व जरूरतमंदों को सरदी से बचने के लिए लिहाफ, कम्बल और गर्म कपड़े तकसीम करें। मुहसिने इंसानियत के इरशादात अहादीस की किताबों में मौजूद

हैं। मैं और यतीम की किफालत करने वाला दोनों जन्नत में इस तरह होंगे जैसे दो अंगुलियाँ आपस में मिली हुई होती हैं। (बुखारी) मिसकीन और बेवा औरत की मदद करने वाला अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है। (बुखारी व मुस्लिम) जो शख्स किसी मुसलमान को जरूरत के वक़्त कपड़ा पहनायेगा अल्लाह तआला उसको जन्नत के सब्ज लिबास पहनायेगा। जो शख्स किसी मुसलमान को भूख की हालत में कुछ खिलायेगा अल्लाह तआला उसको जन्नत के फल खिलायेगा। जो शख्स किसी मुसलमान को प्यास की हालत में पानी पिलायेगा अल्लाह तआला उसको जन्नत में ऐसी शराब पिलायेगा जिस पर मुहर लगी हुई होंगी। (अबू दाऊद, तिरमिजी)

खुलासए कलाम: मौत यकीनी शै है, लेकिन उसका वक़्त अल्लाह के अलावा किसी इंसान को मालूम नहीं हैं, हमें यह तो मालूम है कि साल के इख्तिताम पर हमारी उम्र कितनी होगी, लेकिन ज़िन्दगी के कितने साल, महीने, दिन या लम्हात बाकी रह गये वह किसी को मालूम नहीं। मौत के फरिश्ते के आने पर हमारे घर वाले, खान्दान वाले बल्कि पूरी काएनात मिलकर भी हमें नहीं बचा सकती। लिहाजा अकलमंदी और नेकबख्ती इसी में है कि हम इस फानी दुनियावी ज़िन्दगी को उखरवी व अब्दी ज़िन्दगी सामने रख कर गुजारें जैसा कि मुहसिने इंसानियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुनिया में इस तरह रहो जैसे मुसाफिर हो या रास्ता चलने वाला हो। (बुखारी)

HAPPY NEW YEAR की मुनासबत पर बेतहाशा रकम के खर्च से होने वाली तकरीबात में शिर्कत से बच कर अपने मौला को राजी

करने की कोशिश करें। सर्दी के मौसम में दूसरे आमाल सालिहा के साथ इन दो आमाल का खास इहतिमाम करें। एक हसबे तौफिक नमाजे तहज्जुद की अदाएगी और दूसरे जरूरतमंदों की मदद करना, ताकि गुरबा व मसाकीन व यतीम व बेवायें व जरूरतमंद हजरात रात के इन लम्हात में चैन व सुकून की नीन्द सो सकें जब पूरी दुनिया खुराफात में अरबों व खरबों रूपय बिला वजह खर्च कर रही हो। नीज पूरी इंसानियत को यह पैगाम दिया जाये कि गुरबा व मसाकीन व यतीम व बेवायें व जरूरतमंद का जितना ख्याल इस्लाम में रखा गया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती बल्कि सही बात तो यह है कि इस वक़्त दुनिया में मजहब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही है, बाकी तमाम मजाहिब में सिर्फ रिवायत बाकी रह गई है। दूसरे मजाहिब के लोग अपने मजहब पर अमल तो दरकिनार अपने मजहब की किताबों को भी नहीं पढ़ते। 1400 साल गुजरने के बावजूद मुसलमानों का आज भी कुरान व हदीस से जैसा तुअल्लुक और शगफ है इसकी कोई मिसाल दुनिया में मौजूद नहीं है। इस्लामी तालीमात पर अमल करके ही दुनिया में गुरबत को खत्म किया जा सकता है जो हमेशा फजूल खर्ची की मजम्मत और इंसानों की मदद की तरगीब देता है। याद रखें कि इस्लामी तालीमात पर अमल करके ही दुनिया से सरमायादारों की इजारादारी खत्म की जा सकती है।

रहन (गिरवी रखने)
और बैंक से कर्ज लेने के जरूरी मसाइल

रहन (गिरवी) के मसाइल समझने से पहले तीन बातें समझ लें

1) जो शख्स कोई सामान गिरवी रख कर कोई चीज खरीदता है या कर्ज लेता है उसको राहिन कहते हैं।

2) जिस शख्स के पास कोई सामान गिरवी रखा जाये उसे मुरतहिन कहते हैं।

3) जो सामान गिरवी रखा जाये उसे मरहून कहते हैं। मसलन एक शख्स ने एक हजार रूपये के चावल खरीदे और एक महीने में पैसों की अदायगी तक गिरवी में एक घड़ी रख दी तो घड़ी गिरवी रख कर चावल खरीदने वाला राहिन हुआ, घड़ी अपने पास गिरवी रख कर चावल बेचने वाला मुरतहिन हुआ और घड़ी मरहून हुई। इसी तरह जैद ने उमर से एक लाख रूपय कर्ज लिए और कर्ज की अदायगी की जमानत के लिए अपना सोना गिरवी रखा तो कर्ज की अदायगी के लिए गिरवी रखा हुआ सोना मरहून हुआ जैद राहिन जबकि उमर मुरतहिन है।

रहन के लुगवी मानी मुतलक रोकने के हैं। शरई इस्तिलाह में अपने किसी हक मसलन कर्ज वगैरह के बदले में कर्जदार की ऐसी चीज रोक लेने को रहन कहते हैं कि जिस के जरिया वह अपना कर्ज वसूल कर सके। राहिन और मुरतहिन में जबान से मामला तैय होने के बाद गिरवी में रखी हुई चीज मुरतहिन के कब्जे में आ जाने से रहन लाजिम हो जाता है। यानी जब तक मुरतहिन ने मरहून (गिरवी में रखा हुआ सामान) को अपने कब्जे में न लिया हो राहिन को रहन से फिर जाना और इस मामला को खत्म करना जायज है। लेकिन

कब्जा के बाद यानी राहिन ने चावल या पैसे हासिल कर लिए और मुरतहिन ने गिरवी में रखा हुआ सामान मसलन घड़ी पर कब्जा कर लिया तो अब राहिन को मामला खत्म करने का हक हासिल नहीं है। यानी अब इस को चावल की कीमत या कर्ज में ली हुई रकम की वापसी पर ही गिरवी में रखा हुआ सामान वापस मिलेगा।

रहन यानी गिरवी रख कर कोई मामला तैय करना कुरान व हदीस व इजमा उम्मत तीनों से साबित है। अल्लाह तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है "अगर तुम सफर में हो और तुम्हें कोई लिखने वाला न मिले तो (अदायगी की जमानत के तौर पर) रहन कब्जा में रख लिए जायें।" हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी रहन साबित है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ (Barley) खरीदने के लिए अपनी जिरह मदीना में एक यहूदी के पास गिरवी रखी थी। (बुखारी व मुस्लिम) हजरात सहाबा-ए-किराम भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में रहन के मामलात किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं फरमाया। गर्जकि पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि चंद शरायत के साथ हजर व सफर दोनों में रहन रख कर कोई मामला तैय किया जा सकता है।

रहन भी कर्ज की एक शकल है और कर्ज लेते और देते वक्त हमें उन अहकाम की पाबन्दी करनी चाहिए जो अल्लाह तआला ने सूरह बकरा की आयत 282 में ब्यान किए हैं। इस आयत में कर्ज के अहकाम जिक्र किए गए हैं इन अहकाम का बुन्यिादी मकसद यह है कि बाद में किसी तरह का कोई इख्तिलाफ पैदा न हो। इन अहकाम में से एक हूकूम यह भी है कि कर्ज की अदायगी की तारीख

मुतऐयन कर ली जाये।

सबसे पहले एक तम्हीदी बात जिहन नशी कर लें कि अगर कोई शख्स किसी खास जरूरत की वजह से कर्ज मांगता है तो कर्ज दे कर उसकी मदद करना बाइसे अजर व सवाब है जैसा कि कुरान व हदीस की रौशनी में उलमा-ए-किराम ने लिखा है कि जरूरत के वक्त कर्ज मांगना जायज है और अगर कोई शख्स कर्ज का तालिब हो तो उसको कर्ज देना मुस्तहब है क्योंकि शरीअते इस्लामिया ने कर्ज दे कर किसी की मदद करने में दुनिया व आखिरत के बेहतरीन बदला की तरगीब दी है लेकिन कर्ज देने वाले के लिए जरूरी है कि वह अपने दुनियावी फायदा के लिए कोई शर्त न लगायें (मसलन एक लाख के बदले एक लाख बीस हजार रूपय की अदायगी की शर्त लगाना जायज नहीं), अलबत्ता वह अपनी रकम की अदायगी की जमानत के लिए किसी चीज के गिरवी रखने का मुतालबा कर सकता है।

कर्ज लेने वाले के लिए जरूरी है कि वह हर मुमकिन कोशिश करके वक्त पर कर्ज की अदायगी करे। अगर मुतऐयन वक्त पर कर्ज की अदायगी मुमकिन नहीं है तो उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह तआला का खौफ रखते हुए कर्ज देने वाले से कर्ज की अदायगी की तारीख से मुनासिब वक्त पहले मजीद मुहलत मांगे। मुहलत देने पर कर्ज देने वाले को अल्लाह तआला अजर अजीम अता फरमायगा। लेकिन जो हजरात कर्ज की अदायगी पर कुदरत रखने के बावजूद कर्ज की अदायगी में कोताही करते हैं उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में सख्त वईदें आई हैं हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की नमाजे जनाजा

पढ़ाने से मना फरमा देते थे जिस पर कर्ज हो यहां तक कि उसके कर्ज को अदा कर दिया जाये।

इस्लामी तालिमात में एक अच्छे मुआशरा को वजूद में लाने की बार बार तरगीब दी गई है और जाहिर है कि अच्छा मुआशरा एक दूसरे के काम आने से ही वजूद में आ सकता है। चुनांचे शरीअते इस्लामिया ने जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करने की तरगीब दी है जैसा कि इरशाद नबवी है कि जिस शख्स ने किसी मुस्लमान की कोई भी दुनियावी परेशानी दूर की अल्लाह तआला कयामत के दिन उस की परेशानियों को दूर फरमायेगा। जिसने किसी परेशान हाल आदमी के लिए आसानी का सामान फराहम किया अल्लाह तआला उसके लिए दुनिया व आखिरत में सहूलत का फैसला फरमायेगा। अल्लाह तआला उस वक्त तक बन्दा की मदद करता है जब तक बन्दा अपने भाई की मदद करता रहे। (मुस्लिम) इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई मुस्लमान किसी मुस्लमान को दो मरतबा कर्ज देता है तो एक बार सदका होता है। (नसाई, इबने माजा) कर्ज लेने वाला अपनी खुशी से कर्ज की वापसी के वक्त असल रकम से कुछ जायद रकम देना चाहे तो यह जायज ही नहीं बल्कि ऐसा करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है लेकिन पहले से जायद रकम की वापसी का कोई मामला तैय नहीं होना चाहिए।

रहन से मुतअल्लिक चंद अहम मसाइल

जब राहिन कर्ज में ली गई रकम या गिरवी रख कर खरीदे हुए सामान की कीमत वापस कर देगा तो मुरतहिन गिरवी में रखी हुई चीज को वापस कर देगा। लेकिन जब तक राहिन कर्ज में ली गई

रकम या गिरवी रख कर खरीदे हुए सामान की कीमत अदा नहीं करेगा मुरतहिन को गिरवी में रखी हुई चीज को वापस न करने का हक हासिल रहेगा। कोई सामान गिरवी रख कर कर्ज में ली गई रकम या खरीदे हुए सामान की कीमत वक्त पर अदा न करने पर मुरतहिन को हक हासिल होगा कि वह गिरवी में रखी हुई चीज को बेच करके अपना हक हासिल करले। मसलन घड़ी गिरवी रख कर एक हजार रूपय के चावल फरोख्त करने की सूरत में पहले से तैयशुदा अदायगी के वक्त पर कीमत अदा न करने पर मुरतहिन को यह हक हासिल है कि वह घड़ी फरोख्त करके अपना हक यानी एक हजार रूपय हासिल करले, बाकी रकम राहिन को वापस करदे। हाँ अगर घड़ी एक हजार रूपय से कम में फरोख्त हुई तो उसे अपनी रकम का बाकी हिस्सा राहिन से लेने का हक हासिल रहेगा।

अगर राहिन (जो गिरवी में रखे हुए सामान का असल मालिक है) रहन में रखी हुई चीज (जो मुरतहिन के पास है) फरोख्त कर दे तो उसका फरोख्त करना मुरतहिन की इजाजत या उसका कर्ज अदा करने पर मौकूफ रहेगा। अगर उसके बाद मुरतहिन ने इजाजत दे दी या उसने उसका रूपय दे दिया तो खरीद व फरोख्त हो जायगा वरना नहीं।

रहन में रखी हुई चीज के इखराजात राहिन के जिम्मा होंगे। मसलन राहिन ने अपनी भैंस गिरवी रख कर दस हजार रूपय कर्ज लिए तौ भैंस के चारा वगैरह का खर्च राहिन (यानी जो असल में भैंस का मालिक है) के जिम्मा रहेगा। इसी तरह गिरवी में रखी हुई चीज में जो इजाफा और बढ़ोत्री होती है मसलन गिरवी रखी हुई भैंस ने बच्चा दिया तो बच्चा राहिन (यानी जो असल में भैंस का मालिक है) की

मिलकियत होगा।

रहन में रखी हुई चीज का मौजूद होना जरूरी है यानी अगर कोई शख्स आने वाले साल पर आने वाले फलों को दरख्त और जमीन के बेगैर गिरवी में रख कर रहन को कोई मामला तैय करना चाहे तो यह जायज नहीं है।

अगर मुरतहिन ने अनजाने में मरहून के पास (यानी गिरवी रखी हुई चीज) बरबाद हो जाये तो अब उसकी तीन सूरतें हैं।

1) अगर गिरवी रखी हुई चीज और कर्ज की मालियत बराबर है।

2) गिरवी रखी हुई चीज की कीमत कर्ज की मालियत से ज्यादा है।

3) गिरवी रखी हुई चीज की कीमत कर्ज की मालियत से कम है।

अगर दोनों बराबर हैं तो यह समझा जायगा कि मुरतहिन ने अपना कर्ज हूकमन वसूल कर लिया और अगर गिरवी में रखी हुई चीज की कीमत ज्यादा है तो यह जायद चीज अमानत के हूकूम में है लिहाजा जो जायद है उसके बरबाद होने पर कोई बदला मुरतहिन पर लाजिम नहीं आयगा। और अगर गिरवी में रखी हुई चीज की कीमत की मालियत से कम है तो इस सूरत में गिरवी में रखी हुई चीज की कीमत की मिकदार के बराबर कर्ज खत्म हो जायगा और बाकी मान्दा कर्ज मुरतहिन राहिन से वसूल करेगा।

बैंक से कर्ज ऐन सूद है

तमाम मकातिबे फिक्र के 99.99% उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि असरे हाजिर में बैंक से कर्ज लेने का रायज तरीका वही सूद है जिसको कुरान करीम में सूरह बकरा की आयात में मना किया गया है जिसके न छोड़ने वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का एलान जंग है और तौबा न करने वालों के लिए कयामत के दिन

रूसवाई व जिल्लत है और जहन्नम उनका ठिकाना है असरे हाजिर की पूरी दुनिया के उलमा पर मुश्तमिल अहम तंजीम मजमउल फिकहुल इस्लामी की इस मौजू पर बहुत सी बार मिटिंगें हो चुकी हैं मगर हर मिटिंग में उसके हराम होने का ही फैसला हुआ है। बर्रे सगीर के जम्हूर उलमा भी उसके हराम होने पर मुत्तफिक हैं। फिकह अकेडमी (न्यू दिल्ली) की बहुत सी Conference में उसके हराम होने का ही फैसला हुआ है। मिश्री उलमा जो अमूमन आजाद ख्याल समझे जाते हैं वह भी बैंक से मौजूदा रायज निजाम के तिहत कर्ज लेने के अदमे जवाज पर मुत्तफिक हैं। पूरी दुनिया में किसी भी मकतबे फिक्र के दारूल इफता ने बैंक से कर्ज लेने के रायज तरीका के जवाज का फैसला नहीं किया है। खलीजी ममालिक के बाज बैंकों ने कर्ज देने की बाद जायज शकलें निकाली हैं मगर हर शकल में शक व शुबहात मौजूद हैं इसी वजह से यहां के उलमा के दरमयान भी उसके जवाज में इख्तिलाफ है लिहाजा इहतियात इसी में है कि हम खलीजी ममालिक में भी बैंक से कर्ज लेने से बचें।

बाज माद्दा प्रस्त लोग कहते हैं कि कुरान करीम में वारिद सूद की हूरमत का तअल्लुक जाती जरूरत के लिए कर्ज लेने से है लेकिन तिजारत की गर्ज से सूद पर कर्ज लिया जा सकता है, इसी तरह बाज माद्दा प्रस्त लोग कहते हैं कि कुरान में जो सूद की हुरमत है उससे मुराद सूद पर सूद है लेकिन सिंगल सूद कुरान के उस हूकुम में दाखिल नहीं है, पहली बात तो है कि कुरान करीम में किसी शर्त को जिक्र किए बेगैर सूद की हुरमत का एलान किया गया है तो कुरान करीम के इस अमूम को मुखतस करने के लिए कुरान व हदीस की वाजेह दलील दरकार है जो कयामत तक पेश नहीं की जा

सकती। इसी लिए खैरूल कुरून से आज तक किसी भी मशहूर मुफस्सिर ने सूद की हुरमत वाली आयत की तफसीर इस तरह नहीं की, नीज कुरान में सूद की हुरमत के एलान के वक्त जाती और तिजारती दोनों गर्ज से सूद लिया जाता था, इसी तरह एक मरतबा का सूद या सूद पर सूद दोनों रायज थे। 1400 साल से मुफस्सेरीन व मुहद्दिसीन व उलमा ने दलायल के साथ इसी बात को लिखा है। यह मामला ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि कुरान करीम में शराब पीने की हुरमत इस लिए है कि उस जमाना में शराब गंदी जगहों पर बनाई जाती थी, आज सफाई सुत्थराई के साथ शराब बनाई जाती है, हसीन बोतलों में और खुबसूरत होटलों में मिलती है लिहाजा यह हराम नहीं है।

इन दिनों हूसूले माल के लिए ऐसी दोड़ शुरू हो गई है कि अक्सर लोग इसका भी इहतिमाम नहीं करते कि माल हलाल वसायल से आ रहा है या हराम वसायल से बल्कि कुछ लोगों ने तो अब हराम वसायल को मुख्तलिफ नाम दे कर अपने लिए जायज समझना और दूसरों को उसकी तरगीब देना शुरू कर दिया है हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हलाल वाजेह है, हराम वाजेह है। और उनके दरमयान कुछ मुशतबह चीजें हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते। जिस शख्स ने शुबहा वाली चीजों से अपने आपको बचा लिया उसने अपने दीन और इज्जत की हिफाजत की। और जो शख्स मुशतबह चीजों में पड़ेगा वह हराम चीजों में पड़ जायगा उस चरवाहे की तरह जो दूसरे की चरागाह के करीब बकरियां चराता है क्योंकि बहुत मुमकिन है कि चरवाहे की थोड़ी सी गफलत की वजह से वह बकरियां दूसरे की चरागाह से कुछ खा लें। (बुखारी

व मुस्लिम) लिहाजा हमें चाहिए कि बैंक से कर्ज लेने से बिल्कुल बचें, दुनियावी जरूरतों को बैंक से कर्ज लिए बेगैर पूरा करें, कुछ दुशवारियां, परेशानियां आयें तो उन पर सब्र करें। क्योंकि हर मुस्लमान को चाहिए कि सिर्फ हलाल वसायल पर ही इकतिफा करें, जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हराम माल से जिस्म की बोढ़त्री न करो क्योंकि इससे बेहतर आग है। (तिरमिजी) इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वह इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी प्रवरिश हराम माल से हुई हो, ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नम है। (मुसनद अहमद)

नोट- इस बात को अच्छी तरह जिहन में रखें कि उलमा ने कुरान व हदीस की रौशनी में बैंक से कर्ज लेने और बैंक में जमाशुदा रकम पर सूद के हराम होने का फैसला आपसे दुशमनी निकालने के लिए नहीं बल्कि आपके हक में किया है क्योंकि कुरान व हदीस में सूद को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है, शराब नोशी, खिंजीर खाने और जिनाकारी के लिए कुरान करीम में वह लफ्ज इस्तिमाल नहीं किए गए जो सूद के लिए अल्लाह तआला ने इस्तिमाल किए हैं।

लेखक का परिचय

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी का तअल्लुक़ सम्भल (यूपी) के इल्मी घराने से है, उनके दादा मशहूर मुहद्दिस, मुक़र्रिर और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद इसमाईल सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में तक़रीबन 17 साल बुखारी शरीफ का दर्स दिया, जबकि उनके नाना मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में इफता की ज़िम्मेदारी निभाने के साथ साथ बुखारी व हदीस की दूसरी किताबें भी पढ़ाईं।

डाक्टर नजीब क़ासमी ने इब्तिदाई तालीम सम्भल में ही हासिल की, चुनांचे मिडिल स्कूल पास करने के बाद अरबी तालीम का आगाज़ किया। इसी बीच 1986 में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल भी पास किया। 1989 में दारुल उलूम देवबन्द में दाखिला लिया। दारुल उलूम देवबन्द के क़याम के दौरान यूपी बोर्ड से इन्टरमीडिएट का इमतिहान पास किया। 1994 में दारुल उलूम देवबन्द से फरागत हासिल की। दारुल उलूम देवबन्द से फरागत के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली से B.A (Arabic) और तरजुमे के दो कोर्स किए, उसके बाद दिल्ली यूनिवार्सिटी से M.A. (Arabic) किया।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली के अरबी विभाग की जानिब से मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी को "अल जवानिबुल अदबिया वल बलागिया वल जमालिया फिल हदीसिन नबवी" यानी हदीस के अदबी व बलागी व जमाली पहलू पर दिसम्बर 2014 में डाक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने प्रोफेसर डाक्टर शफीक अहमद खां नदवी भूतपूर्व सदर अरबी विभाग और प्रोफेसर रफीउल इमाद फायनान की अंतर्गत में

अरबी ज़बान में 480 पृष्ठों पर मुशतमिल अपना तहक़ीक़ी मक़ाला पेश किया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने बहुत सी किताबें उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी जबानों में तहरीर की है। 1999 से रियाज़ (सऊदी अरब) में बरसरे रोज़गार हैं। कई सालों से रियाज़ शहर में हज तरबियती कैम्प भी मुनअक़िद कर रहे हैं। उनके मज़ामीन उर्दू अख़बारों में प्रकाशित होते रहते हैं।

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी की वेब साइट (www.najeebqasmi.com) को काफी मक़बूलियत हासिल हुई है जिसकी मोबाइल ऐप (Deen-e-Islam) तीन जबानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर मज़ामीन के साथ उनकी किताबें और बयानात हैं।

हज व उमरह से मुतअल्लिक़ खुसूसी ऐप (Hajj-e-Mabroor) भी तीन ज़बानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है, जिन से सफर के दौरान हत्ताकि मक्का, मिना, मुज़दल्फा और अरफात में भी इस्तिफादा किया जा सकता है।

हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मश्हूर उलमा, दीनी इदारों और मुख्तलिफ मदरसों ने दोनों Apps (दुन्या की पहली मोबाइल ऐपस) की ताईद में खुतूत तहरीर फरमा कर अवाम व खवास से दोनों Apps से फायदा उठाने की अपील की है।

http://www.najeebqasmi.com/
najeebqasmi@gmail.com
MNajeeb Qasmi - Facebook
Najeeb Qasmi - YouTube
Whatsapp: 00966508237446

First Islamic Mobile Apps on the world in 3 languages:
Deen-e-Islam & Hajj-e-Mabroor

AUTHOR'S BOOKS

IN URDU LANGUAGE:

حج مبرور، مختصر حج مبرور، حی علی الصلاۃ، عمرہ کا طریقہ، تحفۂ رمضان، معلومات قرآن، اصلاحی مضامین جلد ۱،
اصلاحی مضامین جلد ۲، قرآن وحدیث: شریعت کے دو اہم ماخذ، سیرت النبی ﷺ کے چند پہلو،
زکوٰۃ وصدقات کے مسائل، فیملی مسائل، حقوق انسان اور معاملات، تاریخ کی چند اہم شخصیات، علم وذکر

IN ENGLISH LANGUAGE:

Quran & Hadith - Main Sources of Islamic Ideology
Diverse Aspects of Seerat-un-Nabi
Come to Prayer, Come to Success
Ramadan - A Gift from the Creator
Guidance Regarding Zakat & Sadaqaat
A Concise Hajj Guide
Hajj & Umrah Guide
How to perform Umrah?
Family Affairs in the Light of Quran & Hadith
Rights of People & their Dealings
Important Persons & Places in the History
An Anthology of Reformative Essays
Knowledge and Remembrance

IN HINDI LANGUAGE:

क़ुरान और हदीस - इस्लामी आइडयोलॉजी के मैन सोर्स
सीरतुन नबी के मुख़्तलफ़ि पहलू
नमाज़ के लिए आओ, सफलता के लिए आओ
रमज़ान - अल्लाह का एक उपहार
ज़कात और सदक़ात के बारे में गाइडेंस
हज और उमराह गाइड
मुख़्तसर हज्जे मबरूर
उमरह का तरीका
पारविारकि मामले क़ुरान और हदीस की रोशनी में
लोगों के अधकिार और उनके मामलात
महत्वपूर्ण वयक्ति और स्थान
सुधारात्मक निबंध का एक संकलन
इल्म और जिक्र

First Islamic Mobile Apps of the world in 3 languages
(Urdu, Eng.& Hindi) in iPhone & Android by Dr. Mohammad Najeeb Qasmi

DEEN-E-ISLAM HAJJ-E-MABROOR